Par. 8. 17. II. 10. 53
285

अंक २
संख्या १०

सत्यमेव जयते

बुधवार
१५ अप्रैल, १९५३

संसदीय वाद विवाद

1st
लोक सभा
तीसरा सत्र
शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

भाग १—प्रश्न और उत्तर

विषय-सूची

प्रश्नों के मौखिक उत्तर [पृष्ठ भाग २९५३—३००८]
तारांकित प्रश्न संख्या १२५०, दिनांक ९ अप्रैल, १९५३ के एक
अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में संशोधन सम्बन्धी वक्तव्य [पृष्ठ भाग ३००८]
प्रश्नों के लिखित उत्तर [पृष्ठ भाग ३००८—३०२४]

(मूल्य ४ आने)

238 P.S.D.

लोक सभा

बुधवार, १५ अप्रैल, १९५३

सदन की बैठक सवा आठ बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

मेवे के निर्यात पर अफ़गानिस्तान द्वारा रोक

*१३०५. **डा० राम सुभग सिंह :** (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि अफ़गानिस्तान ने अपने देश से मेवा भारत भेजे जाने पर रोक लगा दी है ?

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार को इसके कारण ज्ञात हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि हमारी मेवे की कितनी प्रतिशत आवश्यकता अफ़गानिस्तान से आये मेवे से पूरी होती है ?

श्री करमरकर : वर्ष १९५१-५२ की अप्रैल से दिसम्बर तक की कालावधि में अफ़गानिस्तान से फल तथा तरकारियों—नमक लगे या डिब्बों में बन्द—के आयात

की मात्रा १७,००० टन थी तथा उनका मूल्य २,८८,००,००० रुपये था । उस वर्ष सब जगहों से कुल १२,३८,००,००० रुपये के मूल्य के फल तथा तरकारियां आईं।

डा० राम सुभग सिंह : क्या अफ़गानिस्तान से आने वाले मेवों की कीमतों में कोई वृद्धि हुई है ?

श्री करमरकर : कुछ समय तक कीमतें कुछ बढ़ी रही थीं ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या माल भेजने में कोई परिवहन सम्बन्धी कठिनाइयां आई थीं ?

श्री करमरकर : हम माल का निर्यात नहीं करते, हम तो आयात करते हैं ।

श्री एस० सी० सामन्त : मेरा अभिप्राय आयात करने से ही है ।

श्री करमरकर : परिवहन सम्बन्धी कोई कठिनाई नहीं आई थी ।

सैन्स्टील

१३०६. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या **योजना** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि डा० कामेसम द्वारा निर्मित सैन्स्टील में क्या क्या तत्व हैं और वह रीइन्फोर्सड् सीमेन्ट कांक्रीट की तुलना में कैसी रहती है ?

योजना, सिंचाई तथा विद्युत् मंत्री (श्री नन्दा) : सैन्स्टील एक ढांचेदार सी चीज़ होती है जो बांस, सरकंडों, ताड़ तथा

ऐसी ही अन्य वस्तुओं से तैयार की जाती है ।

इसके बनाने वाले का दावा है कि यह पट्टियों, ब्लाकों, कड़ियों, गर्डरों तथा कंकरेट के बने अन्य प्रकार के ढांचों को अधिक पक्का करने वाले तत्व के रूप में या स्वयं एक ढांचे के रूप में प्रयोग की जाने के लिये उपयुक्त है ।

श्री एस० सी० सामन्त : इस चीज़ की किस्म कैसी है और इसका प्रयोग कैसे किया जा रहा है ?

श्री नन्दा : अभी इसका प्रयोग नहीं किया जा रहा है और अभी तक इसकी किस्म का भी वैज्ञानिक रूप से परीक्षण नहीं किया गया है ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या अन्य वस्तुओं के सम्बन्ध में भी ऐसे प्रयोग किये जा रहे हैं ?

श्री नन्दा : अन्य वस्तुओं के सम्बन्ध में भी कई प्रयोग किये जा रहे हैं ।

छोटी कारों का आयात

*१३०७. **श्री पी० टी० चाको :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ८ अश्व शक्ति से कम की छोटी कारों का आयात कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो ये कारें किन किन देशों से मंगवाई जाती हैं ;

(ग) उक्त कारों पर आयात शुल्क का दर; तथा

(घ) क्या भारत एक अश्व शक्ति की छोटी फ्रेंच कारें भी मंगवा रहा है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी हां । फ़िएट और रिनौल्ट ।

(ख) इटली और फ़्रांस ।

(ग) आयात की जाने वाली कारों पर, यदि वे बनी बनाई आयें, शुल्क का स्टैन्डर्ड दर ७५ प्रतिशत मूल्यानुसार है । यदि कार के अलग अलग हिस्से आयें, तो आयात शुल्क का दर ३१ १/२ प्रतिशत मूल्यानुसार और ९४ १/२ प्रतिशत मुल्यानुसार के बीच, अलग अलग हिस्सों के वर्गीकरण के अनुसार होता है ।

(घ) जी नहीं ।

श्री पी० टी० चाको : भारत में बनाई गई या अलग अलग हिस्से जोड़ कर तैयार की गई छोटी कारों की कीमत बाहर से मंगाई गई उसी अश्व शक्ति की कारों के जहाज़ से उतारे जाने पर के मूल्य की तुलना में कितनी है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : मुझे याद है कि पहले भी मैं ने एक ऐसे ही प्रश्न का उत्तर दिया था । पहले तो बनी बनाई कार मंगवाने में कुछ फायदा था क्योंकि बहिः शुल्क में कुछ फ़र्क पड़ता था । तब ऐसी कारों पर अधिमान्य शुल्क दर ५४ प्रतिशत तथा साधारण स्टैन्डर्ड दर ६० प्रतिशत थी। अब उस फायदे का समकरण कर दिया गया है और ख्याल है कि अब अलग अलग हिस्से जोड़ कर यहां बनाई गई कार की तथा आयात की गई बनी बनाई कार की कीमत करीब करीब एकसी ही रहेगी ।

श्री के० सुब्रह्मण्यम् : क्या जर्मनी से कार मंगवाये जाने पर कोई प्रतिबन्ध हैं ; तथा यदि हैं, तो उसके कारण क्या हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : किसी क्षेत्र विशेष से कार मंगवाये जाने पर तो कोई प्रतिबंध नहीं हैं, परन्तु अधिक आयात अनुज्ञप्ति स्वीकृत करने के सम्बन्ध में हमारी

नीति अति प्रतिबन्धात्मक है। ऐसा इसलिये है क्योंकि स्थानीय उत्पादन तथा आयात के सम्बन्ध में हमारी नीति अभी निश्चित नहीं है। देश में मोटर उद्योग के भविष्य के बारे में कोई नीति हम सम्भवत: तटकर आयोग के प्रतिवेदन के प्राप्त होने पर निश्चित करेंगे।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : वर्ष १९५२-५३ में कितनी कारों का आयात किया गया था और उनका कुल मूल्य कितना था ?

श्री करमरकर : जनवरी-जून १९५२ की कालावधि में डालर क्षेत्रों तथा सुलभ मुद्रा क्षेत्रों से मंगाई जाने वाली कारों का मूल्य निर्धारण क्रमश: ९९ लाख रुपये तथा २,९३,६०,००० रुपये किया गया था।

अभोर शिविर में हिन्दू और सिख

*१३०८. **श्री बहादुर सिंह :** (क) क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि अभोर शिविर, मुज़फ्फराबाद (जम्मू और काश्मीर का आजाद काश्मीर के अधीन राज्य-क्षेत्र) में मुज़फ्फराबाद के बहुत से हिन्दू तथा सिख विस्थापित व्यक्तियों को रखा गया है ?

(ख) वे लोग शिविर में कितने समय से रह रहे हैं ?

(ग) उन्हें निकट भविष्य में भारत भेजने के लिये क्या प्रबन्ध किये जा रहे हैं ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) तथा (ख). मुज़फ्फराबाद का अभोर शिविर मार्च १९४८ में स्थापित किया गया था। १९४८ में इसमें रहने वाले १८०० व्यक्तियों को सीधे भारत में कुरुक्षेत्र शिविर में लाया गया था। जून १९४८ के पश्चात् शिविर में और व्यक्ति भी दाखिल किये गये थे और १९५० के शुरू में उसकी जन संख्या पुन: बढ़ कर १८०० हो गई थी। १९५० और १९५३ के बीच भिन्न भिन्न समयों पर उनमें से लोगों को निकाला गया और इस समय शिविर में केवल १०२ हिन्दू और सिख हैं। इन में से ९७ तो १९४७ के अन्त से वहां हैं और ५ हाल ही में दाखिल हुए व्यक्ति हैं।

(ग) भारत के लाहौर स्थित उप उच्चायुक्त की प्रार्थना पर पंजाब (पाकिस्तान) के प्राधिकारियों ने आज़ाद काश्मीर के प्राधिकारियों से शिविर बंद करने के लिये कहा है। उसके उत्तर की प्रतीक्षा है।

श्री बहादुर सिंह : क्या हाल ही में पाकिस्तान सरकार से इन व्यक्तियों के भारत भेजे जाने के सम्बन्ध में कोई लिखापढ़ी हुई है ?

श्री अनिल के० चन्दा : इस विषय में हमारे लाहौर स्थित उप उच्चायुक्त पाकिस्तान के प्राधिकारियों से निरन्तर पत्र व्यवहार कर रहे हैं।

श्री बहादुर सिंह : पाकिस्तान सरकार का रुख़ क्या है ?

श्री अनिल के० चन्दा : मैं समझता हूं कि पाकिस्तान सरकार ने आज़ाद काश्मीर सरकार से इस शिविर को बंद करने और उसमें रहने वाले सब व्यक्तियों को भारत को सौंपने के लिये कहा है।

लोहा तथा इस्पात नियन्त्रक की समकारी निधि

*१३०९. **श्री वी० पी० नायर :** (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री श्री ए० एम० टामस द्वारा लोहा तथा इस्पात नियन्त्रक की समकारी नीधि के सम्बन्ध में पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १३ के उत्तर की ओर निर्देश करने और यह बतलाने की कृपा करेंगे कि १ जनवरी, १९५३ को उक्त निधि की स्थिति क्या थी ?

(ख) वर्ष १९५२ में ऐसे उत्पादकों तथा आयातकों से कुल कितनी धनराशि वसूल की गई जिनकी उत्पादन लागत मान मूल्य से कम रही है और उसी कालावधि में उन आयातकों तथा उत्पादकों को कुल कितनी धनराशि का भुगतान किया गया जिनकी उत्पादन लागत मान मूल्यों से अधिक रही है ?

(ग) क्या इस निधि का उपयोग विकास कार्यक्रमों के लिए पुनर्देय अग्रिम धन देने में करने की प्रस्थापना पर, जिसकी ओर उपरोक्त प्रश्न में निर्देश किया गया था, अन्तिम रूप से विनिश्चय हो गया है ?

(घ) यदि उपरोक्त भाग (ग) का उत्तर नकारात्मक हो, तो क्या सरकार सदन पटल पर उक्त अग्रिम धनों के प्रदान, उपयोग तथा पुनर्भुगतान सम्बन्धी नियम रखेगी ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) तथा (ख). सदन पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या ११]**

(ग) तथा (घ). मामला अभी विचाराधीन है ।

श्री वी० पी० नायर : अग्रिम धन देने के पहले उत्पादन की वास्तविक लागत की जांच कैसे की जाती है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : आप का अभिप्राय किस अग्रिम धन से है ?

श्री वी० पी० नायर : विवरण से पता चलता है कि ५ करोड़ से कुछ अधिक रुपये दिये गये । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने धन देने से पहले इस्पात के कारखानों की जांच करने के लिये भी कोई व्यवस्था कर रखी है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : तो आपका अभिप्राय इस्पात के कारखानों से है ?

श्री वी० पी० नायर : जी हां ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : वस्तुतः इन इस्पात के कारखानों को दिये जाने वाले प्रतिधारण मूल्य की समय समय पर तटकर आयोग द्वारा जांच की जाती है । वैसे तो यह प्रक्रिया बराबर जारी रहती है ; परन्तु जब कभी उत्पादक इसमें फेर-बदल करने की कोई मांग करते हैं तो यह मामला तटकर आयोग को भेज दिया जाता है जो उत्पादन की लागत की जांच करके प्रत्येक श्रेणी की इस्पात का प्रतिधारण मूल्य निश्चित कर देता है । उत्पादकों से रुपया उसी आधार पर वसूल किया जाता है । आजकल इस्पात का जो प्रतिधारण मूल्य है वह उसके विक्रय मूल्य से कहीं अधिक है । हां, कुछ समय पहिले एक बार, जब मैसूर की इस्पात का आधार मूल्य ३५३ रुपये प्रति टन था, वह ३८९ प्रति टन की दर से बिक रही थी । परन्तु आज कल तो इसका मूल्य ४०० रुपये प्रति टन के लगभग है । अतएव प्रतिधारण मूल्य हर तरह से कम है । परन्तु यह चीज़ तटकर आयोग द्वारा निश्चित की जाती है । लोहा तथा इस्पात के नियन्त्रक के कार्यालय में हमारा एक बहुत योग्य आदमी इस काम पर लगा हुआ है । वही लेखों की जांच करता है । वस्तुतः वह लेखापरीक्षा तथा लेखा सेवा के अधीन है ।

श्री वी० पी० नायर : क्या वह एक प्रशिक्षित परिव्यय-लेखापाल हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : वह महालेखापाल की हैसियत के पदाधिकारी हैं और करीब १८०० रुपये मासिक वेतन पा रहे हैं । वह लेखापरीक्षा तथा लेखा सेवा के पदाधिकारी हैं ।

श्री वी० पी० नायर : मेरा प्रश्न यह था कि क्या वह प्रशिक्षित परिव्यय-लेखापाल हैं ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : सच तो यह है कि तटकर आयोग द्वारा कोई मूल्य निश्चित किये जाने के पहिले सारी चीज़ पर परिव्यय-लेखापालों द्वारा विचार किया जाता है। यह कोई तदर्थ विनिश्चय नहीं होता ।

श्री वी० पी० नायर : एक पूर्व अवसर पर श्री ए० एम० टामस द्वारा पूछे गये एक प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री ने जिस प्रस्थापना को विचाराधीन बतलाया था, क्या अब उस पर अन्तिम रूप से विनिश्चय हो गया है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : जब तक भुगतान नहीं हो जाता तब तक प्रत्येक प्रस्थापना विचाराधीन या परीक्षाधीन ही रहती है । अन्तिम निश्चय तो भुगतान किये जाने के समय होता है । हां, श्री ए० एम० टामस ने एक पूर्व अवसर पर जिस मामले का निर्देश किया था उसमें अभी भुगतान नहीं हुआ है ।

नीलोखेरी परियोजना

*१३१०. **श्री वी० पी० नायर :** क्या **योजना** मंत्री श्री तुषार चटर्जी के तारांकित प्रश्न संख्या २५ के ५ नवम्बर, १९५२ को दिये गये उत्तर की ओर निर्देश करने और यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) ऐसे उपक्रमों की संख्या जो १ मार्च, १९५३ को पूर्ण या आंशिक रूप से बंद थे, उपक्रमों के नाम तथा प्रत्येक में बेकार कामगारों की संख्या सहित ;

(ख) ऐसे कामगारों की कुल संख्या जो नीलोखेरी परियोजना में अब भी काम से लगे हुए हैं ; तथा

(ग) क्या सरकार बेकार कामगारों को काम दिलाने में कामयाब हुई है तथा यदि हां, तो कितनों को ?

योजना, सिंचाई तथा विद्युत् मंत्री (श्री नन्दा) : (क) सदन पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें अपेक्षित जानकारी दी गई है ।

(ख) ८८६ ।

(ग) होज़री कोआपरेटिव ने, जो बंद हो गई थी, अब काम करना शुरू कर दिया है और उसमें १० कामगार लगे हुए हैं, यद्यपि निकट भविष्य में वहां २२ कामगार रखे जायेंगे । चमड़ा उद्योग, जो पूर्णतः बंद हो गया था, अब फिर चालू हो गया है और उसमें इस समय १० कामगार काम कर रहे हैं । सामुदायिक योजना कार्यक्रम के अन्तर्गत नीलोखेरी विकास क्षेत्र - में नीलोखेरी नगरी के तथा उसके आस पास के लोगों के लिये काम प्राप्त करने की पहले से ही काफ़ी गुंजाइश है । अतः ख्याल है कि काम सम्बन्धी स्थिति में जल्दी ही और सुधार होगा ।

विवरण

पूर्ण अथवा आंशिक रूप से बद हुए औद्योगिक संस्थानों के नाम तथा बेकार हुए व्यक्तियों की संख्या

(क) जो औद्योगिक उपक्रम १ मार्च, १९५३ को पूर्ण अथवा आंशिक रूप से बंद थे उनके नाम तथा उस दिन प्रत्येक उपक्रम में बेकार कामगारों की संख्या नीचे दी जाती है :—

उपक्रम के नाम	बेकार कामगारों की संख्या
(१) पूर्ण रूप से बन्द	
१. साबुन बनाने का उद्योग	१९
२. कपड़े छापने का उद्योग	१९
३. जाली बनाने का उद्योग	७
४. चमड़ा कमाने का उद्योग	१८
(२) आंशिक रूप से बन्द	
१. तैयार पोशाक बनाने का कारखाना	१५
पूर्ण योग .	६८

श्री वी० पी० नायर : इस आदर्श सामुदायिक योजना में बेकारी होने का क्या कारण है ?

श्री नन्दा : विशेषज्ञों की एक समिति ने सारी स्थिति की जांच करके एक प्रतिवेदन दिया है । प्रतिवेदन देखने से यह पता चलता है कि वहां की कठिनाइयों का मुख्य कारण साधारण मंदी का होना है जो देश के अन्य भागों में भी मौजूद है ; इसके अलावा कुछ विशेष कारण भी हैं ।

श्री वी० पी० नायर : क्या बेकारी इसी सामुदायिक योजना में है या अन्य सामुदायिक योजनाओं में भी ऐसी ही बेकारी फैली हुई है ?

श्री नन्दा : असल में यह योजना उस अर्थ में सामुदायिक योजना नहीं है जिसमें कि हम साधारणतया "सामुदायिक योजना" शब्दों का प्रयोग करते हैं ।

श्री वी० पी० नायर : यह प्रश्न जिस प्रश्न पर आधारित है उसका उत्तर देते हुए माननीय मंत्री ने बतलाया था कि मामले पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है । क्या मैं जान सकता हूं कि उक्त सक्रिय विचार के परिणामस्वरूप क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री नन्दा : कई कार्यवाहियां की गई हैं । सर्वप्रथम, इस विशेषज्ञ समिति ने सारी स्थिति की जांच करके कुछ सिपारिशें की हैं । इनमें से कुछ सिपारिशें तो स्वीकार कर ली गई हैं और उन पर पालन भी किया गया है ; कुछ अन्य सिपारिशों की जांच की जा रही है । उदाहरण के लिये, यह देखा गया कि इन उद्योगों को किसी सुप्रशिक्षित विशेषज्ञ की सहायता तथा मंत्रणा प्राप्य नहीं है । अब वह कमी पूरी कर दी गई हैं । इसके अतिरिक्त कुछ अन्य विषय भी विचाराधीन हैं ।

श्री वी० पी० नायर : क्या इस कालावधि में सरकार ने उन कामगारों को कोई सहायता दी है जो बेकार हैं ?

श्री नन्दा : किसी प्रकार की सहायता दी जाने के सम्बन्ध में मेरे पास कोई विशेष जानकारी तो नहीं है, परन्तु मैं समझता हूं कि सहायता देने का कोई प्रश्न नहीं उठा ।

श्री गिडवानी : क्या वहां कोई कच्चा माल भी बेकार पड़ा खराब हो रहा है ?

श्री नन्दा : मेरे पास कोई जानकारी नहीं है । सामान्यतया यह होता है कि जहां उद्योग होते हैं वहां कच्चे माल का भी कुछ स्टाक रहता ही है । हां, यदि माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि उसका कोई भाग पड़ा खराब हो रहा है और यदि वह मुझे इस प्रश्न की सूचना दें तो मैं इसका पता लगा सकता हूं ।

सेठ अचल सिंह : क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि नीलोखेरी में इस समय कौन कौन से उद्योग जारी हैं ?

श्री नन्दा : दस-बारह उद्योगों की एक सूची है; यदि माननीय सदस्य सूची लेना चाहें तो मैं उन्हें दे सकता हूं ।

अनुचित तरीके अपना कर अनुज्ञप्तियां प्राप्त किया जाना

*१३११. **श्री पुन्नूस :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या १९५०, १९५१ और १९५२ में कोई ऐसे मामले हुए हैं जिनमें भारत सरकार से आयात तथा निर्यात की अनुज्ञप्तियां अनुचित तरीके अपना कर प्राप्त की गई हों ?

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने मामलों का पता चलाया गया ?

(ग) सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध तथा भविष्य में ऐसी बातों को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी हां ।

(ख) १९५० में ८०, १९५१ में २१३ तथा १९५२ में ३०८ मामले ।

(ग) ४३६ सार्थों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की गई हैं जिनमें से कुछ पर तो मुकदमा चलाया जा रहा है । शेष १६५ मामलों की जांच हो रही है । आशा है कि इन सार्थों के विरुद्ध की गई कार्यवाही भविष्य में ऐसे अपराधों को रोकेगी ।

श्री पुन्नूस : क्या उनमें किन्हीं पदाधिकारियों का भी हाथ था ?

श्री करमरकर : मैं तो ऐसा समझता हूं । कुछ मामलों में पदाधिकारियों का हाथ था ।

श्री पुन्नूस : क्या मैं उनकी संख्या जान सकता हूं ?

श्री करमरकर : इसकी मुझे सूचना चाहिये ।

कुमारी एनी मस्करीन : क्या मद्रास से अंडी के बीजों का निर्यात करने के लिये कोई अनुज्ञा दी गई थी ?

श्री करमरकर : मद्रास से अंडी के बीजों के निर्यात का प्रश्न पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही से उत्पन्न नहीं होता ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : ये लोग अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिये कौन कौन से अनुचित तरीके अपनाते हैं ?

श्री करमरकर : मैं नहीं समझता कि उन्हें बतलाना लोक हित में इष्टकर होगा ; हां, मैं अपने मित्र को यह बतला सकता हूं कि ये किस प्रकार के होते हैं : अनुज्ञप्तियों का अनुचित व्यवसाय करना, जाली दस्तावेज़ें बनाना, धोखा देकर अनुज्ञप्ति प्राप्त करना, रिश्वत देना, आयात नियन्त्रण विनियमों का बराबर उल्लंघन करना, अनधिकृत आयात के आधार पर अनुज्ञप्ति प्राप्त करने का आवेदन करना आदि ।

श्रीमती ए० काले : जो सरकारी कर्मचारी रिश्वत देने के मामले में पकड़े गये, उन्हें दंड दिया गया या नहीं ?

श्री करमरकर : जब कभी उनका दोष पाया जाता है, उन्हें दंड दिया जाता है ।

श्रीमती ए० काले : क्या मैं ऐसे मामलों की संख्या जान सकती हूं ?

श्री करमरकर : मुझे सूचना चाहिये ।

सरदार ए० एस० सहगल : जिन सार्थों ने ऐसे अनुचित तरीके अपना कर अनुज्ञप्तियां प्राप्त कीं, क्या उनके विरुद्ध कोई मामला चलाया गया है ?

श्री करमरकर : इस सम्बन्ध में मेरे पास इस समय तो कोई जानकारी नहीं है ; हां, उपयुक्त मामलों में ऐसी कार्यवाही की ज़रूर गई है ।

सेठ गोविन्द दास : जिन जिन लोगों के ऊपर ये मुकदमें चले हैं उनमें से किसी को अब तक दंड मिला है या सब के सब छट गये हैं ?

श्री करमरकर : हम जो एक्शन लेते हैं उसमें तो हम ऐसे लोगों को एक पीरियड के लिये या दो पीरियड के लिये डिबार कर देते हैं । हम उनको दंड नहीं देते हैं । वे जब मजिस्ट्रेट के सामने जाते हैं तो वह मजिस्ट्रेट ही जिसको अपराधी करार दे उसको दंड दे सकता है और शिक्षा दे सकता है ।

सेठ गोविन्द दास : मैं यह जानना चाहता था कि जो लोग मजिस्ट्रेट के सामने जाते हैं, उनके .....

अध्यक्ष महोदय : श्री पुन्नूस ।

श्री पुन्नूस : इन मामलों के परिणाम-स्वरूप कितनी वित्तीय हानि हुई ?

श्री करमरकर : हमें तो कोई वित्तीय हानि नहीं हुई ; हां, जनता के हितों को नुकसान पहुंचा ।

श्री पुन्नूस : इन मामलों में कितने विदेशी सार्थ सन्निहित थे ?

श्री करमरकर : मुझे सूचना चाहिये ।

भारत तथा लंका के बीच प्रत्यर्पण सन्धि

*१३१२. **डा० राम सुभग सिंह :** (क) क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या भारत तथा लंका के बीच कोई प्रत्यर्पण सन्धि विद्यमान है ?

(ख) यदि नहीं, तो भारत से लंका में और लंका से भारत में शरण लेने वाले दाण्डिक अथवा अन्य अपराधियों के विरुद्ध कैसे कार्यवाही की जाती है ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) तथा (ख). जी नहीं भारत गणराज्य बनने के पश्चात् भारत तथा लंका के बीच अपराधियों का प्रत्यर्पण रोक दिया गया है । लंका की सरकार के साथ एक प्रत्यर्पण सन्धि होने तक उस सरकार के साथ कोई पारस्परिक प्रबन्ध किये जाने का प्रश्न विचाराधीन है ।

डा० राम सुभग सिंह : स्वतन्त्रता मिलने के पहले दाण्डिक तथा अन्य अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की क्या प्रणाली थी ?

श्री अनिल के० चन्दा : तब संयुक्त राजतंत्र तथा उपनिवेशों के बीच १८८१ का पलायित अपराधी अधिनियम लागू था । स्पष्ट है कि भारत के गणराज्य बन जाने के पश्चात् यह भारत तथा लंका के बीच, जो कि राष्ट्रमंडल की एक डोमिनियन बन गया, लागू नहीं रह सकता था ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या उक्त पलायित अपराधी अधिनियम लंका के न्यायालय द्वारा अमान्य घोषित कर दिया गया या लंका की सरकार ने अथवा भारत सरकार ने उसका निराकरण कर दिया ?

श्री अनिल के० चन्दा : ऐसा नहीं है । पलायित अपराधी अधिनियम संयुक्त राजतंत्र में, उसके किसी उपनिवेश में, उसके किसी रक्षित राज्य में या संयुक्त राजतंत्र न्यास राज्यक्षेत्र में लागू हो सकता है । उसका अर्थ यह हुआ कि १८८१ का पलायित अपराधी अधिनियम केवल संयुक्त राजतंत्र तथा लंका के बीच और संयुक्त राजतंत्र तथा भारत के बीच लागू हो सकता है, भारत तथा लंका के बीच नहीं ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या स्वतन्त्रता मिलने के बाद कोई ऐसा मामला भी हुआ है जिसमें भारत ने दाण्डिक या अन्य अपराधियों के प्रत्यर्पण की मांग की हो और लंका की सरकार ने वह माँग ठुकरा दी हो ?

श्री अनिल के० चन्दा : सात मामलों में लंका भारत से और एक मामले में भारत लंका से प्रत्यर्पण चाहता है ।

होरिलाडीह की कोयला खान

*१३१३. **श्री एम० एन० सिंह :** (क) क्या **उत्पादन** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह जानने के लिये कोई कार्यवाही की गई थी कि १४ फरवरी, १९५३ को बिहार के मानभूम कोयला क्षेत्र में की होरिलाडीह कोयला खान में पानी इकट्ठा करने की व्यवस्था कैसी थी क्योंकि उस दिन समीपवर्ती कोयला क्षत्रों की सभी खानों में गहरे स्तर पर काम होने की वजह से उक्त खान में इकट्ठा हुआ पानी सूख गया था ?

(ख) क्या सरकार इस बात की जांच करके कारण बतलायेगी कि होरिलाडीह

कोयला खान में २८ से लेकर ३ फुट तक ऊँची १४ तह क्यों नहीं निकाली गईं ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) यह पता लगा है कि होरिलाडीह कोयला खान में अब तक पानी भरा रहा है। समीपवर्ती खानों में काम होने की वजह से पानी के स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है ।

(ख) तह नम्बर १४ के जितने भाग पर काम हो सकता है, उतने भाग पर तो काम पूरा कर लिया गया है । हां, इस तह में खम्भे निकालना तब तक सम्भव नहीं होगा जब तक कि पूर्ण रूप से थाक न लगा दी जाये । ख्याल है कि कम्पनी का इरादा रेत की थाक लगाने का कार्य पूरा करने के बाद इस काम को पुनः चालू करने का है ।

झरिया कोयला क्षेत्रों में कोयले का स्टाक

*१३१४. **श्री एम० एन० सिंह** : (क) क्या **उत्पादन** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि झरिया कोयला क्षेत्रों की लगभग सभी कोयला खानों की १६ तह स्टाक में क्यों रखी जाती हैं और वे ईंट पकाने के प्रयोजनों के लिये जनता को क्यों नहीं दी जातीं ?

(ख) क्या सरकार जानती है कि ये कोयला खानें इन १६ तह का स्टाक रखने के लिये अपने डिपों में स्थान न होने के कारण ऐसी ज़मीनें खरीद रही हैं जिन पर खेती हो रही है ?

(ग) इस विषय में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) झरिया कोयला क्षेत्र में तह नम्बर १६ में सामान्यतया "बी ग्रेड" का ऐसा कोयला होता है जिसमें से भट्टी आदि निकाली हुई होती है और जो बिल्कुल साफ़ होता है । ऐसा इसलिये किया जाता है जिससे कि खरीददारों से कोई शिक़ायत न मिले । स्टाक में कोयला नहीं, वरन् यह मट्टी ही रखी जाती है । इस मट्टी में कोई ५० प्रतिशत कोयला मिला होता है। यह सामान्यतया ईंट पकाने के काम में नहीं आता और इसकी मांग भी नहीं होती क्यों कि कोयला क्षेत्रों में ईंट पकाने के लिये "ग्रेड २" तथा "ग्रेड ३" का कोयला मिल सकता है ।

(ख) जांच से पता चलता है कि हाल ही में किसी कोयला खान ने कोयले की मट्टी आदि का स्टाक रखने के लिये कोई ज़मीन नहीं ख़रीदी है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग के अधीन इंजीनियर संघ की विज्ञप्तियां

*१३१५. **श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी)** : क्या **निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय लोक-निर्माण-विभाग के अधीन इंजीनियर-संघ द्वारा अगस्त तथा दिसम्बर, १९५२ में प्रकाशित दो विज्ञप्तियों को देखा है ; तथा

(ख) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो क्या सरकार ने इन दोनों विज्ञप्तियों में उल्लिखित केन्द्रीय लोक-निर्माण-विभाग के सहायक इंजीनियरों तथा सैक्शन अधिकारियों की व्यथाओं पर विचार किया है ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) मामला विचाराधीन है ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : क्या सरकार को इन अधिकारियों के स्थायी बनाये जाने में अनुचित विलम्ब होने की कोई सूचना मिली है तथा क्या सरकार उनके स्थायी किये जाने के सम्बन्ध में कोई अनियमितायें देखी हैं ?

सरदार स्वर्ण सिंह : यह तो एक सामान्य सा प्रश्न है । यदि माननीय सदस्य कोई विशिष्ट मामला बतलायें तो मैं इस सम्बन्ध में जांच करूंगा ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : क्या गृह कार्य मंत्रालय ने यह परिपत्र जारी किया है कि जो अधिकारी तीन वर्ष से अधिक निरन्तर सेवायें प्रस्तुत कर चुके हैं उन्हें स्थायी बना दिया जाये ?

सरदार स्वर्ण सिंह : नहीं । ऐसा कोई सामान्य आदेश नहीं है ।

श्री एम० ऐस० गुरुपादस्वामी : क्या मंत्रालय को कोई ऐसी शिकायत भी मिली है कि उच्च अधिकारी अपने अधीन अधिकारियों की निन्दा करने के लिये गुप्त रिपोर्टों का उपयोग कर रहे हैं ?

सरदार स्वर्ण सिंह : जी नहीं ।

व्यापार करार

*१३१६. **श्री लक्ष्मण सिंह चरक :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या कोई ऐसे मामले हुये हैं जिनमें अगस्त, १९४७ से दिसम्बर, १९५२ तक की कालावधि में विदेशों के साथ हुये व्यापार क़रारों के निबन्धनों का संविदाकारी पक्षों द्वारा अतिक्रमण किया गया हो ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : जी नहीं ।

पटसन की बनी वस्तुओं का पाकिस्तान को निर्यात

*१३१७. **श्री केलप्पन :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि पाकिस्तान सरकार ने भारत से पटसन की बनी वस्तुओं का आगे आयात न करने का फ़ैसला किया है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : भारत सरकार को ऐसे किसी फ़ैसले का पता नहीं है । हमें तो बस इतना पता है कि पाकिस्तान ने अब तक बहुत सी वस्तुओं का, जिनमें पटसन की बनी वस्तुयें भी सम्मिलित हैं, चालू अर्ध वर्ष में किसी भी देश से आयात करने की अनुज्ञप्ति के लिये प्रार्थनापत्र नहीं मागे हैं ।

श्री केलप्पन : क्या पटसन की बनी वस्तुओं के पाकिस्तान द्वारा भारत से किये जाने वाले आयात में कोई कमी हुई है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : हां । स्पष्ट है कि जहां तक पाकिस्तान की आयात नीति का प्रश्न है, बहुत सी वस्तुओं के आयात पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगा दिया गया है । उस सीमा तक, अन्य देशों के साथ साथ भारत को भी नुक़सान पहुंचा है ।

श्री केलप्पन : क्या मैं जान सकता हूं कि कौन कौन से देश भारत से पटसन की बनी वस्तुएं मंगवाते हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : इसका मैं ठीक ठीक उत्तर तो न दे सकूंगा । हां, वे देश अमरीका, आस्ट्रेलिया, अर्जेन्टाइन आदि हैं ।

श्री केलप्पन : इन निर्यातों में पाकिस्तान का कितना अंश था ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं अंश तो नहीं बतला सकता; हां, विभाजन के पश्चात् हमारा पाकिस्तान को पटसन की बनी वस्तुओं का निर्यात इस भांति रहा है :

१९४८ में	१९६३१ टन
१९४९ में	२९३६८ टन
१९५० में	१६३९७ टन
१९५१ में	११७६५ टन
१९५२ में	२६७२५ टन

श्री के० के० बसु : क्या हाल की भारत-पाकिस्तान वार्ता के दौरान में पाकिस्तान सरकार के साथ इस मामले पर भी बातचीत हुई थी ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : इस पर बातचीत नहीं हुई थी ।

श्री के० के० बसु : इस बात को ध्यान में रखते हुये कि पटसन की बनी वस्तुओं के निर्यात में कमी होने के कारण निर्माताओं को नुक़सान पहुंचने की सम्भावना है, क्या हम उनके लिये नये बाज़ार स्थापित करने का प्रयत्न कर रहे हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : जी हां । यह प्रयत्न तो बराबर किया जा रहा है ।

भूटान में एम बांध का निर्माण

*१३१८. **श्री बेली राम दास :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भूटान में "मानस नदी" परियोजना सम्बन्धी बांध के निर्माण की स्थिति क्या है ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : भूटान सरकार ने भारत सरकार को सूचित किया है कि वह इस बांध के निर्माण के पक्ष में नहीं है। यह मामला अभी विचाराधीन है ।

श्री बेली राम दास : क्या सरकार ने इस बांध के निर्माण के लिये कोई वैकल्पिक स्थान पसन्द कर लिया है ?

श्री अनिल के० चन्दा : इसका प्रस्तुत प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : भूटान सरकार इस बांध का निर्माण न करने के क्या कारण बतलाती है ?

श्री अनिल के० चन्दा : बस, वह इस बांध के निर्माण के पक्ष में नहीं है ।

श्री बेली राम दास : क्या मैं जान सकता हूं कि भूटान सरकार ने किन कारणों से इस बांध के निर्माण की अनुमति नहीं दी है ।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न पहले पूछा जा चुका है और उत्तर भी दिया जा चुका है ।

कॉड लिवर आयल

*१३२०. **श्री एस० वी० एल० नरसिंहम् :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) भारत में कॉड-लिवर ऑयल की वार्षिक मांग ;

(ख) कॉड-लिवर ऑयल बनाने वाले सरकारी कारख़ानों की संख्या ;

(ग) वर्ष १९५१-५२ में भारत में तैयार की गई कुल मात्रा ;

(घ) क्या प्रत्येक कारख़ाने में तैयार किये गये तैल का विश्लेषण किया जाता है;

(ङ) क्या इसकी क़िस्म के बारे में कोई शिक़ायतें मिली हैं ;

(च) यदि उपरोक्त भाग (ङ) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो किन किन कम्पनियों द्वारा तैयार किये गये तैल के बारे में शिक़ायतें की गई हैं ; तथा

(छ) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या क़दम उठाये गये हैं?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): (क) वार्षिक मांग का अनुमान कोई ३०,००० गैलन लगाया जाता है ।

(ख) देश में काड-लिवर ऑयल तैयार करने वाला कोई कारख़ाना नहीं है ।

(ग) से (छ). प्रश्न नहीं उठते ।

कुमारी एनी मस्करीन : क्या भारत में शार्क-लिवर ऑयल, जो कॉड-लिवर ऑयल जैसा ही होता है, तैयार करने वाले कारख़ाने हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : शार्क-लिवर ऑयल तैयार करने वाले कारख़ाने तो हैं, परन्तु मैं नहीं समझता कि यह तैल या इसकी क़िस्म कॉड-लिवर ऑयल के समान होती है ।

श्री नानादास : सरकार ने भारत में कॉड-लिवर ऑयल तैयार करने के कारख़ाने चालू करने के लिये क्या पग उठाये हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यदि मेरे माननीय मित्र यह कह सकें कि यहां कॉड मछलियां मिल सकती हैं, तो सरकार भी कारख़ाने चालू करने के लिये पग उठा सकेगी ।

श्री वी० पी० नायर : क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में जांच की है कि वैज बैंक में कॉड मछलियां मिल सकती हैं या नहीं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : वैज बैंक मे ?

श्री वी० पी० नायर : त्रावनकोर के तट पर मत्स्यग्रहण के लिये यह बहुत सुन्दर स्थान है और इसे संसार के सर्वश्रेष्ठ मत्स्य-ग्रहण-स्थानों में से एक माना जाता है ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मुझे पता चला है कि भारत के निकटवर्ती क्षेत्रों में कॉड मछली पाये जाने की कोई सम्भावना नहीं है । शायद माननीय सदस्य को इस विषय में कोई अधिक जानकारी है । यह जानकारी मैं उनसे प्राप्त कर रहा हूं ।

श्री वी० पी० नायर : परन्तु आपने तो गलत बात बतलाई है ।

हीराकुड परियोजना के पुनरीक्षित प्राक्कलन

*१३२१. **पंडित लिंगराज मिश्र :** क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या हीराकुड बांध परियोजना के पुनरीक्षित प्राक्कलन को आवश्यक मंजूरी दे दी गई है जिससे निर्माण का कार्यक्रम, मंत्रणा समिति की मार्च १९५२ की रिपोर्ट में दिये गये सुझाव के अनुसार, पूरे ज़ोर-शोर के साथ किया जा सके ?

योजना, सिंचाई तथा विद्युत् मंत्री (श्री नन्दा) : उड़ीसा की सरकार ने परियोजना के प्रथम चरण के लिये पुनरीक्षित प्राक्कलन पर अपनी स्वीकृति दे दी है । अब इस प्राक्कलन की हीराकुड केन्द्रीय बोर्ड द्वारा पड़ताल की जा रही है । बोर्ड की सिपारिश प्राप्त होते ही भारत सरकार अपेक्षित पुनरीक्षित मंजूरी दे देगी । हां, इससे निर्माण के कार्यक्रम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है जो कि पूरे ज़ोर-शोर के साथ अग्रसर हो रहा है ।

श्री टी० एन० सिंह : क्या इन पुनरीक्षित प्राक्कलनों पर—उनके उड़ीसा सरकार द्वारा स्वीकृत किये जाने के पहले—भारत सरकार तथा वित्त मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है ?

श्री नन्दा : मैं पहले ही कह चुका हूं कि उड़ीसा सरकार ने तो अपनी स्वीकृति दे दी है, परन्तु नियन्त्रण बोर्ड अभी प्राक्कलनों की जांच कर रहा है । उसकी जांच समाप्त होने के बाद भारत सरकार भी उस पर विचार करेगी ।

श्री टी० एन० सिंह : क्या इस विषय में भारत सरकार के समुचित प्राधिकारियों द्वारा प्रशासनीय मंजूरी दे दी गई है ?

श्री नन्दा : प्रारम्भ में भारत सरकार मंजूरी दे चुकी है ।

श्री टी० एन० सिंह : मेरा अभिप्राय पुनरीक्षित आंकड़ों से है ।

श्री नन्दा : पुनरीक्षित आंकड़ों के विषय में तो मैं ने तथ्य उल्लिखित कर दिये हैं । उड़ीसा सरकार ने स्वीकृति दे दी है । नियन्त्रण बोर्ड अब इसकी जांच

कर रहा है जो कि अगले कुछ दिनों में पूरी हो जायेगी। उसके समाप्त होते ही यह मामला भारत सरकार अपने हाथ में ले लेगी।

श्री टी० एन० सिंह : क्या मंत्री महोदय ने वित्त मंत्रालय से विचार-विमर्श कर लिया है ?

श्री नन्दा : मूल प्राक्कलनों पर तो वित्त मंत्रालय और अन्य सम्बन्धित मंत्रालय मंजूरी दे चुके हैं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न पुनरीक्षित प्राक्कलनों के बारे में है।

श्री नन्दा : साधारण स्वीकृति तो दे दी गई है कि काम चलता रहे। परन्तु भारत सरकार ने पुनरीक्षित प्राक्कलन पर स्वीकृति नहीं दी है। क्यों कि अभी वह उसके पास नहीं पहुंचे हैं।

श्री लोकनाथ मिश्र : बोर्ड में कौन कौन हैं।

श्री नन्दा : उड़ीसा के मुख्य मंत्री तथा कुछ अन्य अधिकारी।

कोयले पर वाणिज्यिक भार (चार्ज)

*१३२२. **श्री के० पी० सिन्हा :** क्या **उत्पादन** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने कोयले पर वाणिज्यिक भार समाप्त कर दिया है या समाप्त करने का विचार कर रही है जिससे कि कोयला का विदेशों को निर्यात सुकर बनाया जा सके ; तथा

(ख) अधिभार की प्रति टन दरें क्या हैं ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) पाकिस्तान को निर्यात किये जाने वाले कोयले पर वाणिज्यिक भार २५ मार्च, १९५३ से समाप्त कर दिया गया है। इसके सामान्य रूप से समाप्त किये जाने के प्रश्न पर अलग विचार किया जा रहा है।

(ख) वाणिज्यिक अधिभार की दर भिन्न भिन्न देश को किये जाने वाले निर्यात के विषय में अलग अलग है। सदन पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें प्रत्येक देश के विषय में अतिरिक्त भार की प्रति टन दर बतलाई गई है। **[देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या १२]**

श्री के० पी० सिन्हा : क्या यह सच है कि इस करार के अन्तर्गत हमें कोई एक करोड़ रुपये प्रति वर्ष का घाटा है ?

श्री के० सी० रेड्डी : यह सच है कि पाकिस्तान को निर्यात किये जाने वाले कोयले पर वाणिज्यिक भार समाप्त किये जाने में हमें कोई एक करोड़ रुपये का घाटा रहेगा ?

श्री के० पी० सिन्हा : क्या यह सच है कि यह करार इस आशा से किया गया था कि इस विषय में एक दीर्घकालीन करार हो सकेगा ?

श्री के० सी० रेड्डी : करार की कालावधि के विषय में तो मैं कुछ नहीं जानता। यह प्रश्न तो मेरे माननीय मित्र वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री से पूछा जाना चाहिये।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : वाणिज्यिक भारों के विषय में किसी एकरूप नीति का अनुसरण क्यों नहीं किया जाता ? हर देश में अलग अलग दर रखने से क्या लाभ ?

श्री के० सी० रेड्डी : हमें यह देखना होता है कि वे देश दूसरे देशों से किये जाने वाले आयात के प्रकाश में कितना भार सहन कर सकेंगे। हमें उन देशों में प्रचलित

स्पर्धी मूल्यों का भी ध्यान रखना होता है । अतएव हम सब देशों को किये जाने वाले निर्यात के सम्बन्ध में कोई एकरूप वाणिज्यिक भार नहीं रख सकते ।

फिजी में आयात शुल्क

*१३२४. **श्री सी० आर० चौधरी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २८ मार्च, १९५३ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १०५८ के उत्तर की ओर निर्देश करने और यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार के पास इस सम्बन्ध में कोई जानकारी है कि फिजी में "मान" तथा "अधिमान्य" शुल्क जैसे, आयात शुल्क हैं, तथा

(ख) क्या फिजी में हमारा व्यापार आयुक्त है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) अपेक्षित जानकारी प्राप्त की जा रही है और प्राप्त होते सदन पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) फिजी में कोई वाणिज्यिक प्रतिनिधि तो नहीं है, परन्तु हमारा फिजी स्थित आयुक्त ही हमारे व्यापार हितों का भी ख्याल रखता है ।

श्री सी० आर० चौधरी : हमारे देश से मंगाये जाने वाले सामान पर आयात शुल्क मान दर से लगाया जाता है या आधिमान्य दर से ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं यही जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न तो कर रहा हूं ।

श्री सी० आर० चौधरी : क्या हमारे निर्यात से मांगें पूरी हो जाती हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं नहीं कह सकता । मैं तो केवल निर्यात के आंकड़े दे सकता हूं । मैं यह नहीं कह सकता कि इससे मांगें पूरी हो सकेंगी या नहीं ।

श्री नानादास : हम फिजी को किन किन वस्तुओं का निर्यात करते हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मुख्यत: रुई की बनी वस्तुएं, पटसन की बनी वस्तुएं, बिसाती का सामान आदि भेजा जाता है ।

नन्दी कोंडा परियोजना

*१३२५. **श्री सी० आर० चौधरी :** क्या **योजना** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) योजना आयोग द्वारा ८ दिसम्बर, १९५२ को आयोजित "इंजीनियरों तथा विशेषज्ञों के सम्मेलन" में किये गये विनिश्च या विनिश्चयों के अनुसार नन्दी कोंडा परियोजना की दाईं ओर वाली नहर की जांच कितनी हो चुकी है ;

(ख) इसके कब तक पूरी की जाने की आशा है ;

(ग) योजना आयोग ने अपनी २० जनवरी, १९५३ को हुई बैठक में कृष्णा तथा गोदावरी नदियों के कछार के विकास सम्बन्धी जांच के बारे में जो विनिश्चय किया था, क्या वह उस विनिश्चय को पुनरीक्षित करके किया गया था जो ८ दिम्बर, १९५२ को इंजीनियरों तथा विशेषज्ञों के सम्मेलन में हुआ था ; तथा

(घ) २० जनवरी, १९५३ को योजना आयोग ने मद्रास तथा हैदराबाद राज्यों द्वारा खोसना समिति की सिफारिशों के अनुसार नन्दी कोंडा परियोजना सम्बन्धी जांच की जाने के विषय में जो विनिश्चय किया था उसका क्षेत्र तथा प्रभाव क्या होगा ?

योजना, सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (श्री नन्दा) : (क) नन्दी कोन्डा नहर की कोई २०० मील तक सीध बांधी जा चुकी है, १०० मील अभी बाक़ी है ।

(ख) आशा है कि जांच का काम, जिसमें सीध बांधना और डिज़ाइन, प्राक्कलन, ड्राइंग तथा रिपोर्ट तैयार करना शामिल है, जुलाई, १९५३ के अन्त तक पूरा हो जायेगा ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री सी० आर० चौधरी : क्या जांच पूरी होने के तुरन्त बाद ही इस परियोजना का कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा ?

श्री नन्दा : यह बात जो जांच के परिणामों पर निर्भर करेगी ।

श्री नानादास : सरकार ने कृष्णा-पेन्नार परियोजना के सम्बन्ध में क्या विनिश्चय किया है ?

श्री नन्दा : यह तो उसी जांच में शामिल है ।

श्री रघुरामय्या : क्या इरादा यह है कि इस परियोजना को चालू पंचवर्षीय योजना में--खोसला समिति की सिफ़ारिशों के अधीन रहते हुये--शामिल कर लिया जाये ?

श्री नन्दा : जी हां । यह प्रथम पंचवर्षीय योजना में ही शामिल है क्यों कि उसमें नई योजनाओं के लिय एक सामान्य उपबन्ध है । यदि जांच पूरी हो गई तो इसे इसी कालावधि में हाथ में लिया जा सकेगा ।

श्री नानादास : कावली-कानूपुर नहरों के सम्बन्ध में--जो कि नन्दी कोंडा परियोजना में शामिल हैं--कितनी प्रगति हुई है ?

श्री नन्दा : ये दोनों नहरें सम्पूर्ण योजना में सम्मिलित हैं ।

श्री सी० आर० चौधरी : जांच खोसला समिति की देखरेख में की जा रही है या मद्रास राज्य की देखरेख में ?

श्री नन्दा : यह जांच टैक्निकल समिति की सामान्य देखरेख में हो रही है । इस समिति के अध्यक्ष श्री खोसला हैं ।

श्री एस० वी० रामस्वामी : क्या इस परियोजना को, इस बात को ध्यान में रखते हुये कि कृष्णा-पेन्नार परियोजना से शेष मद्रास राज्य को लाभ पहुंचेगा, अधिमान दिया जायेगा ?

श्री नन्दा : जांच का उद्देश्य यह है कि कृष्णा तथा गोदावरी नदियों के पानी के उपयोग करने का सर्वश्रेष्ठ ढंग पता लगाया जा सके ।

श्री नानादास : ८ दिसम्बर, १९५२ को यह तय किया गया था कि कृष्णा-पेन्नार परियोजना को छोड़ दिये जाने या प्रारम्भ किये जाने के बारे में अन्तिम निश्चय ३ मास के भीतर हो जाना चाहिये । क्या मैं जान सकता हूं कि अब स्थिति क्या है ?

श्री नन्दा : तीन मास में अन्तिम निश्चय किये जाने के बारे में तो कोई फ़ैसला नहीं हुआ था ।

महाराष्ट्र में दुर्भिक्ष क्षेत्र

*१३२६. **श्री बोगावत :** क्या योजना मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या पंच वर्षीय योजना में उन क्षेत्रों में कि नदी घाटी परियोजनाओं को उच्च प्राथमिकता दी गई है, जिन में दुर्भिक्ष का बहुत डर है ;

(ख) क्या जिला अहमदनगर, ज़िला शोलापुर, ज़िला बीजापुर और ज़िला पूना के अहमदनगर से लगे हुय भाग में, जहां कि दुर्भिक्ष का बहुत डर रहता है, यह प्राथमिकता लागू नहीं है ;

(ग) यदि ऐसा है, तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) क्या केन्द्र द्वारा श्री राममूर्ति की अध्यक्षता में नियुक्त की गई एक समिति ने महाराष्ट्र के दुर्भिक्ष क्षेत्रों के सम्बन्ध में एक प्रतिवेदन दिया था और स्थायी तथा अर्धस्थायी आधार पर सहायता प्रदान करने के उपयुक्त तरीक़े सुझाये थे ;

(ङ) यदि हां, तो अहमदनगर, शोलापुर, बीजापुर के ज़िलों तथा पूना के उस भाग के लिये क्या तरीके सुझाये गये हैं ; तथा

(च) इस विषय में भारत सरकार क्या क़दम उठाने का विचार रखती है ?

योजना, सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (श्री नन्दा) : (क) से (ग). पंचवर्षीय योजना में सिंचाई योजनाओं को सम्मिलित करते समय जिन मुख्य मुख्य बातों का ध्यान रखा गया वे यह थीं—

(१) क्या पंजवर्षीय योजना बनाये जाने के समय अमुक सिंचाई योजना की क्रियान्विति हो रही थी ; तथा

(२) क्या अमुक सिंचाई योजना से खाद्य उत्पादन में शीघ्र ही वृद्धि होने की सम्भावना है ।

जहां तक बम्बई का सम्बन्ध है, पंचवर्षीय योजना में यह व्यवस्था की गई थी कि जो योजनायें पहले ही प्रारम्भ की जा चुकी हैं, उन्हें यथासम्भव शीघ्र पूरा कर लिया जाये ।

(घ) जी हां ।

(ङ) तथा (च). इस सम्बन्ध में बहुत सी सिफ़ारिशें की गई हैं, जिन में से अधिकांश दीर्घकालीन उपायों से सम्बन्ध रखती हैं । इन सिफ़ारिशों की जांच की जा रही है । छोटी सिंचाई योजनाओं के लिये, तात्कालिक सहायता के रूप में, २३ करोड़ रुपये के ऋण दिये गये है ।

श्री बोगावत : क्या पंचवर्षीय योजना में समुचित रक्षण योजनाओं की व्यवस्था है और क्या सरकार पंचवर्षीय योजना में इस हेतु संशोधन करेगी ?

श्री नन्दा : रक्षण-योजनाओं को हाथ में लिया जा रहा है और इस प्रयोजनार्थ पंचवर्षीय योजना में संशोधन की आवश्यकता नहीं है ।

श्री बोगावत : क्या सरकार राममूर्ति समिति की सिफ़ारिशें सदन पटल पर रखेगी ?

श्री नन्दा : जैसा कि मैं ने अभी कहा, अधिकांश सिफ़ारिशें दीर्घकालीन उपायों से सम्बन्ध रखती हैं । परन्तु यदि माननीय सदस्य चाहें तो उन्हें जानकारी दी जा सकती है ।

श्री बोगावत : क्या सरकार ने ऐसे क्षेत्र के लिये, जहां दुर्भिक्ष का बहुत डर है, अत्यधिक महत्वपूर्ण नदी घाटी परियोजनाओं पर विचार किया है ?

श्री नन्दा : जी हां । इन कई परियोजनाओं की या तो तुरन्त जांच की जा रही है या भविष्य में की जायेगी ।

श्री बोगावत : क्या सरकार पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कुकाडी परियोजना पर विचार करेगी जो कि दुर्भिक्ष क्षेत्र, पूना, शोलापुर, अहमदनगर, के लिय बहुत लाभदायक होगी ?

श्री नन्दा : राममूर्ति समिति ने जिन परियोजनाओं की सिफ़ारिश की है, उनमें से एक यह भी है । इस पर विचार किया जायगा ।

श्री आल्तेकर : क्या सरकार को ज्ञात है कि शोलापुर, बीजापुर तथा अहमदनगर ज़िलों में भूमि अच्छी है और यदि वहां ठीक

पानी मिल जाय तो वह खाद्य की दृष्टि से एक बहुल-क्षेत्र बन सकता है ?

श्री नन्दा : यह तो मानी हुई बात है ।

श्री गाडगिल : क्या सरकार योजना के आगामी चरण में दुर्भिक्ष क्षेत्रों में के सिंचाई कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की वांछनीयता पर विचार करेगी ?

श्री नन्दा : यह तो अच्छा सुझाव है । ऐसा तो अब भी किया जा रहा है ।

अध्यक्ष महोदय : अब हम अगला प्रश्न लेते हैं ।

तेल शोधक कारखाने

*१३२७. **श्री नानादास** : (क) क्या **उत्पादन** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या अशोधित तेल (क्रूड आयल) मध्य पूर्व के अतिरिक्त, जहां से कि वह इस समय आता है, किसी अन्य समीपतर क्षेत्र से भी प्राप्त हो सकता है ?

(ख) तेल शोधक कारखानों के उपोत्पाद क्या हैं और वे अन्य देशों के लिये कहां तक उपयोगी सिद्ध हो सकेंगे ?

(ग) भारत के तेल शोधक कारखानों से जिप्सम सल्फ्यूरिक एसिड (गन्धक का तेजाब) उद्योग के विकास को कहां तक सहायता मिलेगी ?

(घ) जब तीन तेल शोधक कारखाने उत्पादन आरम्भ कर देंगे तो लगभग कितने विदेशी विनिमय की बचत हो जायगी ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) बम्बई के तेल शोधक कारखानों के लिये तो मध्य पूर्व अशोधित तेल प्राप्त करने का समीपतम स्रोत रहेगा, परन्तु विशाखापट्टनम में स्थापित होने वाले कारखाने के लिये मध्य पूर्व से निकटतर स्रोत का पता लगाना होगा । इस बीच भारत में भी तेल के लिय पूर्वेक्षण किया जा रहा है और बंगाल की कछार भूमि में कुछ उत्साहजनक लक्षण भी प्रकट हुये हैं ।

(ख) तेल शोधक कारखानों में अनेक उपोत्पाद तैयार किये जाते हैं जिनमें टोलुईन, बेन्ज़ीन, सल्फ़र (गन्धक), प्रोपेन गैस तथा कुछ अन्य गैस प्रमुख हैं । इनमें से अधिकांश रासायनिक उद्योगों के लिये उपयोगी होते हैं । इन चीज़ों के उत्पादन के लिये और अधिक पूंजी लगाने की आवश्यकता होती है जिसके लिय तेल शोधक कम्पनियें इस समय तत्पर नहीं हैं क्यों कि वे इस समय मुख्य कारख़ाने स्थापित करने के प्रश्न में व्यस्त हैं । हां, इस प्रयोजन के लिये भविष्य में संयत्र लगाने के प्रश्न की जांच की जा रही है और तेल शोधक कम्पनियों से कहा गया है कि वे भविष्य में एसे संयंत्र लगाने के लिये व्यवस्था करें । इस समय तेल शोधक कारख़ानों की गैसों का उपयोग केवल ईंधन के रूप में किया जा सकता है ।

(ग) क्यों कि तेल शोधक कारख़ानों को काफ़ी मात्रा में सल्फ्यूरिक एसिड (गन्धक का तेजाब) की आवश्यकता पड़गी, अत: देश में गन्धक के तेजाब बनाने के उद्योग को--चाहे वह गैसों से बनाया जाये या जिप्सम से--प्रोत्साहन मिलेगा ।

(घ) भारत में तीन तेल शोधक कारख़ाने स्थापित हो जाने से विदेशी विनिमय में कोई १० करोड़ रुपये प्रति वर्ष की बचत होने की सम्भावना है ।

श्री नानादास : क्या सरकार ने अशोधित तेल प्राप्त करन के लिये किसी देश या देशों के साथ कोई क़रार किया है ?

श्री के० सी० रेड्डी : सरकार ने कोई क़रार नहीं किया है ।

श्री नानादास : इन तेल शोधक कारखानों की मांग देश के उत्पादन से कहां तक पूरी होगी ?

श्री के० सी० रेड्डी : क्या माननीय सदस्य का तात्पर्य शोधित उत्पादों से है ?

श्री नानादास : देश में उत्पन्न अशोधित तेल से इन कारखानों की मांग कहां तक पूरी होगी ?

श्री के० सी० रेड्डी : इस समय आसाम में डिगबोई के अतिरिक्त भारत में कहीं अशोधित तेल उत्पन्न नहीं होता ।

श्री के० के० बसु : क्या इस तेल का कुछ भाग, शोधित किये जाने के बाद, पुनः बाहर भेजा जायेगा और यदि भेजा जायेगा तो शोधित तेल का अनुपात ?

श्री के० सी० रेड्डी : मैं समझता हूं कि इस प्रश्न का उत्तर तो पहले दिया जा चुका है । अब पुनः निर्यात का तो प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री नानादास : क्या हमारे ऊपर तेल शोधक कारखानों के उत्पादों को राष्ट्र मंडलीय देशों को भेजने का आभार है ?

श्री के० सी० रेड्डी : जी नहीं । ऐसा कोई आभार नहीं है ।

श्री के० सुब्रह्मण्यम् : क्या यह सच है कि लिगनाइट से, जो कि मद्रास में काफ़ी मात्रा में उपलब्ध है, बनावटी अशोधित् तेल के निर्माण में सहायता मिलती है यदि हां तो इसका विकास करने के लिये क्या प्रयत्न किये गये हैं ?

श्री के० सी० रेड्डी : लिगनाइट अभी दक्षिण आर्कट में निकाला जाता है । मद्रास सरकार ने अभी एक अग्रिम परियोजन प्रारम्भ की है । इसके अलावा, कोयले से बनावटी पैट्रोल बनाने का प्रश्न फिलहाल उठा रखा गया है ।

श्री सारंगधर दास : क्या तेलशोधक कारखाने स्थापित करने वाली कम्पनियों के साथ किये गये क़रार में एक शर्त यह भी है कि भारत की आवश्यकता पूरी करने के बाद जो उत्पाद शेष बचेंगे वे केवल दूर पूर्व में ही बेचे जायेंगे ?

श्री के० सी० रेड्डी : मैं नहीं समझता कि कोई एसी शर्त भी है कि आवश्यकता से अधिक स्टाक केवल दूर पूर्व में ही बेचा जायेगा ।

अध्यक्ष महोदय : अब हम अगला प्रश्न लेते हैं ।

कलकत्ते को नमक का निर्यात

*१३२८. **श्री नानादास :** (क) क्या **उत्पादन** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि काठियावाड़ और कच्छ से कलकत्ता पत्तन को कितने नमक का निर्यात किया गया ?

(ख) काठियावाड़-कच्छ से कलकत्ता पत्तन तक भाड़े की प्रति टन दर क्या थी और है ?

(ग) भाड़े पर होने वाले व्यय से उस नमक का विक्रय मूल्य कितना बढ़ गया ?

(घ) विशाखापटनम से कलकत्ता पत्तन तक भाड़े की प्रति टन दर क्या थी और है ?

(ङ) सरकार ने विशाखापटनम से कलकत्ता नमक भेजने के लिये क्या पग उठाये हैं ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) लगभग ३.८५ लाख टन ।

(ख) काठियावाड़-कच्छ से कलकत्ता पत्तन को नमक भेजने का भाड़ा १९५२ में ३४ रुपये ८ आने प्रति टन था । वर्तमान दर, जो १-१-५३ से चालू है, ३० रुपये १२ आने प्रति टन है ।

(ग) वर्तमान भाड़े की दर से काठियावाड़-कच्छ के नमक का मूल्य कलकत्ते के बाज़ार में उत्पादन-क्षत्रों में प्रचलित मूल्य से ५ पाई प्रति सेर बढ़ जाता है ।

(घ) विशाखापटनम से कलकत्ता पत्तन तक के भाड़े की दर ज्ञात नहीं है क्यों कि हाल के वर्षों में वहां से नमक नहीं भेजा गया है ।

(ङ) सरकार ने विशाखापटनम से कलकत्ता नमक भेजने के लिये कोई पग नहीं उठाये हैं क्यों कि निर्माताओं से या साधारण व्यापारियों से एसी कोई मांग नहीं की गई है । हां, उसके निर्यात पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है ।

श्री नानादास: सरकार, इस बात को ध्यान में रखते हुये कि नमक कलकत्ते कम ख़र्चे पर भेजा जा सकता है, पूर्वी तट पर नमक का उत्पादन बढ़ाने के लिये क्या पग उठायेगी ?

श्री के० सी० रेड्डी: यह प्रश्न तो बहुत सामान्य सा है । भारत के सभी भागों में नमक का उत्पादन बढ़ाने के लिये प्रत्येक सम्भव कार्यवाही की जा रही है । पूर्वी तट पर भी नमक का उत्पादन बढ़ा है । कोई भी निर्माता पूर्वी तट पर नमक का उत्पादन करने के लिये स्वतन्त्र है ; सरकार उसे सहायता ही देगी ।

श्री नानादास: क्या सरकार नमक के विशाखापटनम से कलकत्ते तक के भाड़े की जांच करेगी ?

श्री के० सी० रेड्डी: मुझे ऐसा करने का कोई कारण प्रतीत नहीं होता ।

श्री पुन्नूस: क्या कोई ऐसी शिक़ायत आई है कि भाड़े की दरें अधिक हैं ?

श्री के० सी० रेड्डी: मुझे ऐसी किसी शिक़ायत का पता नहीं है, श्रीमान् ।

जाफ़ना तम्बाकू

*१३२९. **श्री नानादास:** (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि गत वर्ष भारत में कितना खाने का जाफ़ना तम्बाकू आया ?

(ख) जाफ़ना तम्बाकू भारत में उत्पादित तम्बाकू की तलना में कैसा है ?

(ग) क्या सरकार का विचार वर्ष १९५३-५४ में और इसके बाद भी खाने के जाफ़ना तम्बाकू के आयात की अनुमति देने का है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर): (क) १९५२ में ३,५४,१४९ पौंड ।

(ख) कहा जाता है कि जाफ़ना तम्बाकू का स्वाद विशेष अच्छा होता है जो भारत में उत्पादित तम्बाकू में नहीं होता ।

(ग) जी हां ।

श्री नानादास: सरकार ने जाफ़ना क़िस्म का तम्बाकू भारत में ही उत्पन्न करने के लिये क्या पग उठाये हैं ?

श्री करमरकर: जाफ़ना क़िस्म से मिलती-जुलती भारतीय क़िस्म के तम्बाकू के कुल उत्पादन का अनुमान कोई ४०-५० लाख पौंड के लगभग लगाया जाता है । सम्भव है कि निकट भविष्य में त्रावनकोर-कोचीन की सारी मांग पूरी हो जाय ।

कुछ माननीय सदस्य: हम सुन नहीं सके ।

अध्यक्ष महोदय: सम्भव है कि कुछ वर्षों में सारी मांग पूरी की जा सके ।

श्री पुन्नूस: उन्होंने कोई बात त्रावनकोर-कोचीन के बारे में कही थी । वह क्या थी ?

श्री करमरकर: जाफ़ना तम्बाकू की अधिकांश खपत त्रावनकोर-कोचीन में ही होती है । इसीलिये मैं ने उसका ज़िक्र किया था ।

कुमारी एनी मस्करीन : क्या सरकार ने जाफ़ना की किसी कम्पनी के साथ यह क़रार किया है कि वह अगले दस वर्ष तक जाफ़ना तम्बाकू का आयात करेगी ?

श्री करमरकर: मैं तो ऐसा नहीं समझता ।

आल इण्डिया रेडियो तथा प्रेस इन्फ़ार्मेशन ब्यूरो

*१३३०. **प्रो० डी० सी० शर्मा** : (क) क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि आल इंडिया रेडियो तथा प्रेस इन्फार्मेशन ब्यूरो में कितने पद ऐसे व्यक्ति धारण किये हुये हैं जो सीधे ही भर्ती किये गये थे, संघ लोक-सेवा-आयोग के द्वारा नहीं ?

(ख) उनमें से कितनों के पास अपेक्षित योग्यतायें नहीं हैं ?

(ग) उनमें से कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो संघ लोक-सेवा-आयोग द्वारा नहीं लिये गये थे ?

(घ) यदि कोई ऐसे व्यक्ति हैं, तो इन अनियमितताओं को दूर करने के लिये क्या पग उठाये गये हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) :

(क) आल इंडिया रेडियो: २०४
प्रेस इन्फ़ार्मेशन ब्यूरो: १६

(ख) आल इण्डिया रेडियो: २
प्रेस इन्फ़ार्मेशन ब्यूरो: कोई नहीं ।

(ग) आल इण्डिया रेडियो: ४१
प्रेस इन्फ़ार्मेशन ब्यूरो : १

(घ) आल इण्डिया रेडियो: संघ लोक-सेवा-आयोग द्वारा न लिये जाने पर भी, जो ४१ व्यक्ति अपने अपने पदों पर लगे रहे, उनमें से ३५ के स्थानों पर तो विधिवत् प्रवरित अभ्यार्थी नियुक्त किये जा रहे हैं और शेष ६ के स्थानों पर उस समय नियुक्त कर दिये जायेंगे जब कि संघ लोक-सेवा-आयोग आवश्यक प्रवरण कर लेगा ।

प्रेस इन्फ़ार्मेशन ब्यूरो: जिन पदों पर संघ लोक-सेवा-आयोग द्वारा अस्वीकृत व्यक्ति कार्य कर रहे हैं उन्हें भरने के लिये संघ लोक-सेवा-आयोग को लिखा जा चुका है ।

भविष्य में अनियमित नियुक्तियों को रोकने के लिये सभी सम्बद्ध कार्यालयों को आवश्यक अनुदेश जारी किये जा चुके हैं ।

प्रो० डी० सी० शर्मा: ये सीधी भर्ती क्यों की गई ?

श्री करमरकर : जिस समय आल इण्डिया रेडियो का तेजी के साथ विकास किया जा रहा था, तब इतना समय नहीं था कि ये नियुक्तियां सामान्य प्रणाली से की जातीं । अतएव ये सीधी भर्ती कर ली गई । परन्तु जितनी जल्दी हो सका हमने इस बात का प्रयत्न किया कि ये स्थान नियमित रूप से भरे जायें ।

प्रो० डी० सी० शर्मा: संघ लोक-सेवा-आयोग द्वारा जिन अभ्यर्थियों के नाम प्रतीक्षा सूची पर रखे जाते हैं, उनके सम्बन्ध में क्या होता है ?

श्री करमरकर: मैं समझता हूं कि वे प्रतीक्षा करते रहते हैं ।

प्रो० डी० सी० शर्मा: यह तो कोई उत्तर नहीं हुआ । मैं यह जानना चाहता हूं कि प्रतीक्षा सूची पर के अभ्यर्थियों का क्या होता है ?

श्री करमरकर: मेरे ख्याल में सही उत्तर यह है कि स्वीकृत या अस्वीकृत कर दिये जाने तक उन्हें प्रतीक्षा करनी होती है ।

डा० राम सुभग सिंह : आल इन्डिया रेडियो का यह विकास कब किया गया था जब कि ये नियुक्तियां की गईं ?

श्री करमरकर : नियुक्तियां तो १९४७ से की जाती रही हैं । परन्तु इनको नियमित रूप देने के लिये कार्यवाही अभी हाल ही में की जा सकी है ।

श्री सारंगधर दास : नियुक्तियों को नियमित रूप देने के सम्बन्ध में जो उत्तर दिया गया उसको ध्यान में रखते हुये, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या शुरू में लोगों की भर्ती के सम्बन्ध में तथा उनकी अन्य विभागों में योग्यता के सम्बन्ध में कोई विशिष्ठ अनुदेश नहीं थे ?

श्री करमरकर : मंत्रालय की ही एक नियमित समिति थी । "नियमित रूप देने" से मेरा अभिप्राय यह है कि जहां पद संघ लोक-सेवा-आयोग द्वारा भरे जाने हों, वहां वे उसी सामान्य प्रणाली से भरे जायें । जैसे वे भी कोई अनियमित नियुक्तियां नहीं थीं ।

नीलोखेरी

*१३३१. **प्रो० डी० सी० शर्मा** : क्या **योजना** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि नीलोखेरी एक निचले क्षेत्र में बसी हुई है ;

(ख) क्या यह सच है कि बरसात के मौसम में उस बस्ती के मकानों में पानी घुस आता है ;

(ग) क्या यह सच है कि वहां हमेशा मलेरिया का प्रकोप बना रहता है ; तथा

(घ) जिस समय विकास परियोजनाओं के लिये इस स्थान को पसन्द किया था, क्या उस समय इस तथ्य को ध्यान में रखा गया था ?

योजना, सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (श्री नन्दा) : (क) यह एक निचले क्षेत्र में बसी हुई है ।

(ख) जी हां, कभी कभी ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

प्रो० डी० सी० शर्मा : क्या नीलोखेरी के निवासियों द्वारा यह अभ्यावेदन किया गया था कि वहां अधिक सफ़ाई आदि की व्यवस्था की जाये ?

श्री नन्दा : अभ्यावेदन की कोई आवश्यकता नहीं है । प्रशासन उस बस्ती को अधिक से अधिक सफ़ाईपूर्ण बनाने का भरसक प्रयत्न कर रहा है ।

मथुरा ज़िले के लिये कोयला

*१३३२. **श्री दिगम्बर सिंह** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) अक्तूबर, १९५२ से आज तक ज़िला मथुरा, यू० पी० के लिए नियत किए गए कोयले की **मात्रा** ;

(ख) किस ने कितना मांगा **था** ;

(ग) योजना कार्य के लिए कितना कोयला निश्चत किया गया था ;

(घ) ज़िला विकास संघ को अपना अभ्यंश अभी तक क्यों नहीं मिला है ; तथा

(ङ) कब तक मिलने की आशा है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) सदन पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें अपेक्षित जानकारी दी गई है । **[देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या १३]**

ईंट पकाने के काम में आने वाले कोयले के लिये मंजूरी अर्धवार्षिक आधार पर दी जाती है अौल जुलाई १९५२ से जून १९५३

तक की कालावधि में इस प्रयोजनार्थ मथुरा के लिये स्वीकृत रेल डिब्बों (वैगन) की संख्या १५१ है।

(ख) इस सम्बन्ध में जानकारी प्राप्य नहीं है क्योंकि मांगें राज्य कोयला नियन्त्रक के पास भेजी जाती हैं, कोयला आयुक्त के पास नहीं।

(ग) जुलाई १९५२ से जून १९५३ तक की कालावधि में सारे उत्तर प्रदेश को १४४० डिब्बे दिये गये थे।

(घ) तथा (ङ). राज्य द्वारा और उत्तर प्रदेश के नियन्त्रक द्वारा मथुरा जिले के जिला सहकारी संघ (डिस्ट्रिक्ट को-आपरेटिव फैडरेशन) के लिये कोई आवंटन नहीं किया गया है।

श्री दिगम्बर सिंह : क्या माननीय मंत्री जी को यह पता है कि जो लोग व्यक्तिगत कार्य के लिये कोयला मांगते हैं, उनको तो वह मिल जाता है, लेकिन कोआपरेटिव और प्लानिंग वगैरह के कार्यों के लिए जब मांगते हैं तो कोयला नहीं मिलता ?

श्री के० सी० रेड्डी : प्रत्येक राज्य को बांट में दिये जाने वाले कोयले का आन्तरिक विभाजन सम्बन्धित राज्य सरकार करती है। इस लिये मैं इस सम्बन्ध में ब्यौरा बतलाने की स्थिति में नहीं हूं।

श्री दिगम्बर सिंह : क्या माननीय मंत्री जी को यह पता है कि लोगों के अन्दर यह भावना पैदा हो गई है कि व्यक्तिगत आधार पर कार्य करना चाहिये क्यों कि वहां जा कर वे कोयला प्राप्त कर लेते हैं और कोआपरेटिव आधार पर नहीं करना चाहिये, क्योंकि कोयला प्राप्त नहीं होता ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। माननीय मंत्री ने अभी कहा कि यह मामला पूर्णतः राज्य सरकार के नियन्त्रण में है। उनसे यह आशा नहीं की जा सकती कि वह इस सम्बन्ध में विस्तारपूर्ण प्रश्नों का उत्तर दें।

टैक्निकल मंत्रणा समिति (खनन)

*१३३३. **श्री विट्टल राव** : (क) क्या **उत्पादन** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या टैक्निकल मंत्रणा समिति (खनन) ने, जो कि धातुकर्मिक कोयले के उत्पादन का परिमाण सीमित कर दिये जाने के फलस्वरूप खनन समवायों को हुई कठिनाइयों पर विचार करने के लिये नियुक्त की गई थी, अपना कार्य समाप्त कर लिया है ?

(ख) यदि हां, तो कौन कौन सी खनन समवायों को इस आदेश से मुक्त कर दिया गया है और उनका धातुकर्मिक कोयले का वार्षिक उत्पादन कितना है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) धातुकर्मिक कोयले के उत्पादन के सीमित किये जाने सम्बन्धी आदेश, जिसके परिणामस्वरूप कोयला खानों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, के विरुद्ध अपीलों पर कोयला बोर्ड द्वारा विचार किया जाता है। कोयला बोर्ड, जहां कहीं आवश्यक होता है, टैक्निकल मंत्रणा समिति (खनन) से भी विचार-विमर्श करता है।

टैक्निकल मंत्रणा समिति (खनन) कोयला बोर्ड से सम्बद्ध एक स्थायी समिति है अतः उसके कार्य समाप्त करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। सदन-पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें समिति के कृत्य बताये गये हैं। **[देखिये परिशिष्ट ९, अनुबंध संख्या १४]**

(ख) कोई भी खनन समवाय इस आदेश से मुक्त नहीं की गई है।

श्री विट्टल राव : क्या यह समिति अपनी जांच केवल बंगाल तथा बिहार के कोयला क्षेत्रों तक ही सीमित रखेगी

या मध्य प्रदेश और हैदराबाद की कोयला खानों के बारे में भी करेगी ?

श्री के० सी० रेड्डी : जहां भी ये आदेश जारी किये जा चुके हैं, वहां कोयला बोर्ड इस समिति से विचार-विमर्श करेगा ।

श्री विट्टल राव : मेरा प्रश्न धातु-कर्मिक कोयला सम्बन्धी इन आदेशों के बारे में नहीं है । समिति के निदेश पदों में और भी तो कितनी बातें सम्मिलित हैं । क्या समिति उन सब पर विचार करेगी ?

श्री के० सी० रेड्डी : जी हां ।

श्री विट्टल राव : क्या मैं जान सकता हूं कि इस समिति में कुल कितने सदस्य हैं और उनमें कितने असरकारी हैं ?

श्री के० सी० रेड्डी : इसके लिये मुझे सूचना चाहिये ।

धातुकर्मिक कोयला (निर्यात)

*१३३४. **श्री विट्टल राव** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) १९५२ में निर्यात किये गये धातुकर्मिक कोयले की मात्रा ; तथा

(ख) यह कोयला किन किन देशों को निर्यात किया गया और उनसे कितना कितना मूल्य वसूल किया गया ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) ८४१,७९९ टन ।

(ख) जापान, बर्मा, अदन, पूर्वी अफ्रीका दक्षिण कोरिया तथा पाकिस्तान । वसूल किये गये मूल्य के सम्बन्ध में जानकारी इस समय प्राप्त नहीं है ।

श्री वी० पी० नायर : क्या मैं दक्षिण कोरिया तथा जापान को भेजे गये धातुकर्मिक कोयले की ठीक ठीक मात्रा जान सकता हूं ? क्या जापान को निर्यात इस शर्त पर किया जाता है कि कोयला दक्षिण कोरिया को पुनः निर्यात नहीं किया जायेगा ?

श्री के० सी० रेड्डी : मुझे खेद है कि मेरे पास प्रत्येक देश को किये जाने वाले निर्यात के अलग अलग आंकड़े नहीं हैं ।

श्री वी० पी० नायर : क्या जापान को निर्यात किये जाने वाले धातुकर्मिक कोयले के साथ यह शर्त होती है कि यह कोयला जापान से फिर दक्षिण कोरिया न भेजा जाये ?

श्री के० सी० रेड्डी : इस सम्बन्ध में मेरे पास इस समय तो जानकारी नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न । श्री सी० आर० नरसिंहन् उपस्थित नहीं हैं ।

श्री एस० वी० रामस्वामी : क्या मैं प्रश्न रख सकता हूं, श्रीमान् ?

अध्यक्ष महोदय : वह सम्पूर्ण सूची के समाप्त होने पर लिया जायेगा ।

अगला प्रश्न, संख्या १३३७.

ग्राम मंत्रणा समिति

*१३३७. **श्री एस० सी० सामन्त** : (क) क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि अब तक कितने और किन-किन रेडियो स्टेशनों में ग्राम मंत्रणा समितियां बनाई गई हैं ?

(ख) समितियों के कृत्य क्या हैं ?

(ग) मार्च १९५३ तक कितनी बैठकें हुई थीं ?

(घ) क्या सरकार का विचार शेष रेडियो स्टेशनों में भी ग्राम मंत्रणा समितियां स्थापित करने का है ?

(ङ) यदि हां, तो कब ?

(च) प्रत्येक समिति में सदस्यों की संख्या क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) अब तक चौदह ग्राम मंत्रणा समितियां बनाई गई हैं। ये दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, विजयवाड़ा, लखनऊ, तिरुचिरापल्ली, पटना, कटक, शिलांग-गौहाटी, बड़ौदा, इलाहाबाद, त्रिवेन्द्रम, हैदराबाद और कोझिकोदे में हैं।

(ख) समितियों के कृत्य ये हैं :—

(१) स्टेशन डायरेक्टर को ग्राम कार्यक्रम आयोजन के बारे में—जहां तक इसका स्टेशन के ग्राम कार्यक्रम से सम्बन्ध है—परामर्श देना।

(२) स्टेशन डायरेक्टर को ग्रामीण श्रोताओं की प्रतिक्रिया तथा जन सम्मति से सूचित करते रहना।

(३) ग्राम कार्यक्रम सुनना और उनके विषय तथा भाषा के सम्बन्ध में सुझाव प्रस्तुत करना।

(४) स्टेशन डायरेक्टर को ऐसे विषयों में परामर्श देना जो परामर्श के लिये उसे निर्दिष्ट किये जायें।

(ग) उनके स्थापित किये जाने के समय से ३१ मार्च, १९५३ तक समितियों की ७६ बैठकें हुई हैं।

(घ) जी हां। सरकार मैसूर, जलन्धर तथा नागपुर में ऐसी समितियां बनाने का विचार कर रही है।

(ङ) ये तीनों समितियां शायद इस वर्ष के दौरान में बना दी जायंगी।

(च) प्रत्येक समिति में असरकारी सदस्यों की संख्या तीन से ले कर चार तक है।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या समिति के सदस्यों को बैठकों में भाग लेने के लिये कोई यात्रा भत्ता या दैनिक भत्ता दिया जाता है ?

श्री करमरकर : मेरे पास कोई जानकारी तो नहीं है, परन्तु मेरा ख्याल है कि दिया जाता है।

श्री एस० सी० सामन्त : इन समितियों के सदस्यों को कौन नियुक्त करता है ? क्या स्थानीय संस्थाओं से विचार-विमर्श किया जाता है ?

श्री करमरकर : जी हां। इस प्रयोजनार्थ जो विचार-विमर्श आवश्यक होता है वह हम कर रहे हैं। परन्तु उनकी नियुक्ति सरकार ही करती है।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं जान सकता हूं कि समिति न कितने मामलों में इस प्रादेशिक भाषा के प्रश्न का निर्देश किया है, और कितने मामलों में उसकी सिफ़ारिश स्वीकार कर ली गई है ?

श्री करमरकर : प्रादेशिक भाषा का प्रश्न ? मैं प्रश्न का तात्पर्य नहीं समझ सका।

श्री एस० सी० सामन्त : प्रादेशिक समितियों ने यह सिफ़ारिश की थी कि उन स्टेशनों में प्रादेशिक भाषा चालू कर दी जाये। क्या उनकी यह सिफ़ारिश प्रत्येक मामले में स्वीकार कर ली गई थी ?

श्री करमरकर : ग्राम-कार्यक्रमों में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है वह ऐसी भाषा होती है जिसे ग्रामीण श्रोता समझा सकें। मैं समझ नहीं सका कि मेरे माननीय मित्र क्या पूछना चाहते हैं।

श्री बी० एस० मूर्त्ति : क्या यह सच नहीं है कि उनमें से कुछ रेडियो स्टेशनों में कार्यक्रम मंत्रणा समिति तथा ग्राम मंत्रणा समिति दोनों हैं ? क्या सरकार का इरादा इन दोनों समितियों को मिला कर एक बना देने का है ?

श्री करमरकर : जी नहीं। जहां कहीं ये दो समितियां विद्यमान हैं, वहां हमने

इन दोनों को मिला कर एक कर देने का निश्चय नहीं किया है क्योंकि इन दोनों समितियों के उद्देश्य भिन्न भिन्न हैं। ग्राम मंत्रणा समिति तो केवल ग्रामीण श्रोताओं की आवश्यकताओं पर ध्यान देती है।

श्री के० सी० सोधिया : ग्रामीण प्रसारण सम्बन्धी कुल बजट कितना है ?

श्री करमरकर: इसके लिये तो मुझे सूचना चाहिये।

श्री एस० सी० सामन्त : इन समितियों के बनाये जाने के समय से, उन स्टेशनों में दो या तीन भाषाओं में प्रसारण होता था ; ग्राम मंत्रणा समितियों ने भी प्रादेशिक भाषाओं में प्रसारण करने की सिफ़ारिश की थी। मैं यह जानना चाहता हूं कि कितने मामलों में ये सिफ़ारिशें स्वीकार कर ली गई हैं।

श्री करमरकर : मैं इस प्रश्न को नहीं समझ सक रहा हूं क्योंकि ये ग्राम-कार्यक्रम प्रादेशिक भाषाओं में ही प्रसारित किये जाते हैं। उदाहरण के लिये, दिल्ली में यह भाषा हिन्दी या उर्दू है।

अध्यक्ष महोदय : उनका प्रश्न यह था कि क्या इन समितियों ने प्रसारण की भाषाओं में कोई और भाषा शामिल की जाने की सिफ़ारिश की है, और यदि की है, तो कितनी के विषय में।

श्री करमरकर: अब मेरी समझ में आया। यह बात मैं पता लगाऊंगा।

सहायक स्टेशन डायरेक्टर

*१३३८. **श्री के० सुब्रह्मण्यम्** : (क) क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या हाल ही में सहायक स्टेशन डायरेक्टरों के पद के लिये अभ्यर्थियों का कोई संवरण किया गया है ?

(ख) संवरण के लिये कितने अभ्यर्थी थे और उनमें स्त्रियां कितनी थीं ?

(ग) कितने अभ्यर्थी चुने गये और उनमें स्त्रियां कितनी हैं ?

(घ) क्या कोई पद विशेष रूप से स्त्रियों के लिये रक्षित हैं, यदि हां, तो उनका प्राप्य पदों से क्या अनुपात है ?

(ङ) संवरण बोर्ड के सदस्य कौन कौन हैं ?

(च) संवरण बोर्ड में सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय का प्रतिनिधित्व कौन करता है ?

(छ) क्या सरकार को इन पदाधिकारियों के संवरण में पक्षपात किये जाने की शिक़ायत मिली है या पता लगी है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी हां।

(ख) १०५ अभ्यर्थियों से 'इन्टरव्यू' किया गया जिनमें ७ महिलायें भी थीं।

(ग) १४ अभ्यर्थियों का संवरण किया गया है जिनमें २ महिलायें हैं।

(घ) जी नहीं।

(ङ) तथा (च). संवरणमंडल में दो सदस्य संघ लोक सेवा आयोग के थे। उनकी सहायता के लिये एक प्रतिनिधि मंत्रालय का और एक आल इण्डिया रेडियो का था। ये दो व्यक्ति केवल आयोग के सदस्यों को सहायता देने और मंत्रालय का दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिये थे। वास्तविक संवरण के विषय में उनका कोई उत्तरदायित्व या शक्ति नहीं थी।

(छ) जी नहीं।

श्री नानादास : चुने गये १४ अभ्यर्थियों में से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों के व्यक्ति कितने हैं ?

श्री करमरकर : यह तो मुझे पता लगाना होगा।

श्री बी० एस० मूर्त्ति: क्या इन १४ पदों में से कोई अनुसूचित जातियों के लिये रक्षित है ?

श्री करमरकर: मुझे सूचना चाहिये ।

श्री आर० एन० सिंह: क्या मैं यह जान सकता हूं कि इन चौदह में उत्तर प्रदेश के कितने हैं ?

श्री करमरकर: मैं पता लगाऊंगा ?

श्री के० सुब्रह्मण्यम्: बोर्ड में सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय का प्रतिनिधित्व कौन करता है ?

श्री करमरकर: अन्य पदाधिकारी का नाम पूछना चाहते हैं ? नाम तो इस समय मेरे पास नहीं है, परन्तु यदि नाम मुझे मालूम भी होता तो भी मेरी समझ में नहीं आता कि इसके बताये जाने से क्या लाभ होता । फिर भी यदि मेरे माननीय मित्र नाम जानना ही चाहते हैं और यदि ऐसा करने की अनुमति हुई तो मैं नाम बतला दूंगा ।

श्री के० सुब्रह्मण्यम्: उक्त पदाधिकारी किस श्रेणी का है । प्रश्न के भाग (च) में मैं ने यही पूछा था ।

श्री करमरकर: वह एक ज्येष्ठ पदाधिकारी है । ठीक ठीक श्रेणी तो मैं पता लगाऊंगा ।

अल्प सूचना प्रश्न और उत्तर

कृष्ण नदी के ऊपर सड़क वाला पुल

श्री रघुरामय्या : क्या **यातायात** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या मद्रास सरकार की मद्रास राज्य में कृष्ण नदी पर विजयवाडा के निकट एक "रोड-कम-रेगूलेटर" पुल के निर्माण सम्बन्धी प्रस्थापना भारत सरकार के पास पहुंच गयी है ।

(ख) क्या भारत सरकार ने उस सम्बन्ध में कोई विनिश्चय किया है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन): मैं आपकी अनुमति से प्रश्न के उत्तर में एक वक्तव्य देना चाहता हूं ।

२. राष्ट्रीय राज-पथों के विकास के लिये चालू पंचवर्षीय कार्यक्रम में विजयवाडा में कृष्ण नदी के ऊपर राष्ट्रीय राज-पथ नं० ५ (कलकत्ता–मद्रास) पर एक सड़क वाले पुल के निर्माण का उपबन्ध है । कार्यक्रम के अनुसार पुल के निर्माण का कार्य वर्ष १९५३-५४ में प्रारम्भ किया जाना है । वस्तुतः, इस बात के लिये आवश्यक कार्यवाही की जा रही थी कि पुल के निर्माण का कार्य वर्ष १९५३-५४ में ही प्रारम्भ हो जाये ।

३. गत फरवरी के प्रथम सप्ताह तक तो प्रस्थापना यह थी कि कृष्णा नदी के ऊपर, बांध के कोई एक मील नीचे, एक पुल बनाया जाये । इस पुल की रूप रेखा तथा प्राक्कलन मद्रास के राज-पथों के मुख्य इंजीनियर से ७ जनवरी, १९५३ को मिल गये थे । जिस समय इन विवरणों तथा प्राक्कलनों की जांच की जा रही थी, परामर्शक इंजीनियर (सड़क) मद्रास आये थे और उन्होंने उस पुल के डिजाइन के बारे में मद्रास के राज-पथों के मुख्य इनजीनियर के साथ बातचीत की थी । इस बातचीत के दौरान में राज-पथों के मुख्य इंजीनियर ने एक "रेगूलेटर-कम-रोड" पुल बनाने का प्रश्न अनौपचारिक रूप से उठाया था और यह सुझाव दिया था कि इस मामले पर राज्य के मुख्य सिंचाई इंजीनियर के साथ बातचीत की जानी चाहिये । यह अनौपचारिक बातचीत ९ फरवरी, १९५३ को हुई और इसमें परामर्शक इंजीनियर (सड़क) ने राज्य के मुख्य इंजीनियरों से यह कहा कि केन्द्र को बांध के नीचे की ओर एक पुल बनाने की मूल योजना

को क्रियान्वित करने की बजाये वर्तमान बांध के ऊपर की ओर एक "रेगूलेटर-कम-रोड" पुल के निर्माण में राज्य सरकार का साथ देने में कोई आपत्ति नहीं होगी । परन्तु शर्त यह है कि इस पुल तक जाने वाले रास्तों के लिये सीधबन्दी होनी चाहिये । उन्होंने मुख्य इंजीनियरों से यह भी कहा कि केन्द्रिय वित्त मंत्रालय की सम्मति के अधीन रहते हुये, राष्ट्रीय राज-पथ पर पुल बनाने का खर्चा राष्ट्रीय राज-पथों के बजट में शामिल होगा । उन्होंने मिलेजुले पुल के डिजाइन के बारे में भी सुझाव किये और यह इच्छा प्रकट की कि उक्त योजना की संशोधित रूपरेखा और प्राक्कलन भारत सरकार को भेजे जायें ।

४. २० मार्च, १९५३ को आन्ध्र प्रदेश के कुछ संसद् सदस्यों ने मुझ से "रेगूलेटर-कम-रोड" पुल के निर्माण की प्रस्थापना के सम्बन्ध में बातचीत की । इस बातचीत में मैं ने उन्हें बतलाया कि परामर्शक इंजीनियर (सड़क) तथा मद्रास के मुख्य इंजीनियरों के बीच अनौपचारिक चर्चा तो हुई है, परन्तु एक "रेगूलेटर-कम-रोड" पुल के निर्माण के लिये मद्रास सरकार से अभी तक कोई प्रस्थापनायें प्राप्त नहीं हुई हैं ।

५. २५ मार्च, १९५३ को मद्रास सरकार से एक पत्र प्राप्त हुआ जिसमें केन्द्र से यह कहा गया था कि वह मद्रास सरकार को एक "रेगूलेटर-कम-रोड" पुल का निर्माण करने का प्राधिकार दे दे और एक सड़क वाले पुल के निर्माण पर जितना व्यय होता उतनी राशि देना स्वीकार कर ले । क्यों कि भारत सरकार के यातायात मंत्रालय की साधारणतया यह नीति रही है कि वह राष्ट्रीय राजपथ निधि में से कोई व्यय करना स्वीकार करने से पूर्व यह देखता है कि राज्य द्वारा प्रस्थापित योजना टैक्निकल दृष्टिकोण से अच्छी है या नहीं और क्यों कि इस मामले में केन्द्रीय सरकार द्वारा उठाये जान वाला वास्तविक व्ययांश प्राक्कलन आदि प्राप्त होने के बाद ही आंका जा सकता है, अतः १ अप्रैल, १९५३ को मद्रास सरकार को यह लिखा गया है कि वह केन्द्रीय सरकार को, उसके द्वारा परीक्षण तथा स्वीकृति के लिये, योजना की विस्तारपूर्ण रूप रेखा तथा प्राक्कलन भेजे । इस पत्र में पुल का डिजाइन परामर्शक इंजीनियर (सड़क) द्वारा उल्लिखित टैक्निकल आवश्यकताओं के अनुकूल बनाये जाने के प्रश्न की भी चर्चा की गई है ।

६. ज्यों ही मद्रास सरकार से विस्तृत विवरण तथा प्राक्कलन प्राप्त हो जायेंगे, त्यों ही उनकी शीघ्रता से जांच पड़ताल की जायेगी और भारत सरकार का अन्तिम फ़ैसला भी बिना किसी विलम्ब के राज्य सरकार को भेज दिया जायेगा ।

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : श्रीमान्, मेरा सुझाव यह है कि ये वक्तव्य पढ़ कर सुनाये जाने की बजाय सदन पटल पर रख दिये जाया करें। मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि आखिर इन वक्तव्यों को पढ़ कर सुनाने में सदन का समय क्यों लिया जाता है ?

अध्यक्ष महोदय : हम पहले ही मंत्रालयों को इस सम्बन्ध में लिख चुके हैं कि लम्बे चौड़े वक्तव्य न दिये जायें । परन्तु फिर भी यदि कोई मंत्री किसी प्रश्न के उत्तर में कोई वक्तव्य देता है और यदि वह वक्तव्य पहले से अध्यक्ष को अवलोकनार्थ नहीं भेजा जाता तो मेरे लिये यह कहना कठिन है ।

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं सदन के सदस्यों से—जिनमें मंत्रिगण भी शामिल हैं—यह निवेदन करूंगा कि वे लम्बे लम्बे वक्तव्य पढ़ कर न सुनाया करें ।

अध्यक्ष महोदय : महत्वपूर्ण विषयों पर ऐसे वक्तव्यों के पढ़ कर सुनाये जाने की

अनुमति देने का एक लाभ तो है। सदन पटल पर रखे गये वक्तव्य सभी सदस्यों द्वारा शायद ही पढ़े जाते हों, हो सकता है कि वे इतना ध्यान भी न आकर्षित कर सकें जितना कि माननीय सदस्य चाहें। परन्तु यदि कोई वक्तव्य पढ़ कर सुनाया जाता है तो पूरा सदन उसे सुन लेता है। इसका यह लाभ है। परन्तु सारी बात वक्तव्य की लम्बाई, उसके द्वारा लिये जाने वाला समय और विषय की महत्ता में परस्पर सन्तुलन स्थापित करने पर निर्भर है।

श्री बी० एस० मूर्त्ति: क्या मैं जान सकता हूं, श्रीमान्....

अध्यक्ष महोदय: इस पर कोई अनुपूरक प्रश्नों की जरूरत नहीं है। बात यह नहीं है कि क्योंकि यह एक वक्तव्य है, इसलिये इस पर अनुपूरक प्रश्न पूछे जाने की अनुमति नहीं दी जायेगी। ऐसी बात नहीं है। असली चीज यह है कि जैसा कि माननीय सदन नेता ने कहा, वक्तव्य इतना लम्बा था और उसके अन्तर्गत इतनी अधिक बातें आ गई थीं कि मुझे इसमें सन्देह है कि हम सब ने इसमें कही गई सब बातों को पूरी तरह से ध्यान में बैठा लिया है। अब यह सदन के सामने है। सदस्यों को इस की प्रतिलिपि भी मिलेगी। जो सदस्य चाहें वे अलग प्रश्न रख सकते हैं। उससे समय भी बचेगा और प्रश्न भी अधिक प्रभावी ढंग से पूछे जा सकेंगे।

श्री रघुवय्या : "रोड-कम-रेगूलेटर" पुल के प्रश्न के महत्व को ध्यान में रखते हुये, आन्ध्र के सदस्यों के लिये सूचना प्राप्त करने के हेतु कुछ अनुपूरक प्रश्न पूछना आवश्यक है।

अध्यक्ष महोदय: उन्हें अलग प्रश्नों की सूचना देने की स्वतन्त्रता है। वे जितने चाहें उतने प्रश्नों की सूचना दे सकते हैं।

श्री रघुवय्या : कुछ भ्रम सा प्रतीत होता है। मद्रास राज्य की सरकार ने यह कहा कि वह....

अध्यक्ष महोदय: चाहे कुछ भी हो। ये तो तर्क की बातें हैं। इन सब बातों का तो खुद मुझे पता नहीं है।

तारांकित प्रश्न संख्या १२५० दिनांक ९ अप्रैल १९५३ के एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में संशोधन सम्बन्धी वक्तव्य

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी): आपकी अनुमति से मैं एक वक्तव्य देना चाहता हूं। काल्टैक्स कम्पनी द्वारा विशाखापटनम में बनाये जाने के लिये प्रस्थापित तेल परिष्करमी के विषय पर सदन में ९ अप्रैल को पूछे गये प्रश्न संख्या १२५० के सम्बन्ध में यह अनुपूरक प्रश्न पूछा गया था कि इस नई कम्पनी की निर्गमित पूंजी कितनी होगी। मैं ने यह कहा था कि यह कोई ७ १/२ करोड़ होगी। मैं ने जो आंकड़ा बतलाया था वह इस समय अनुमानित सम्पूर्ण पूंजीगत लागत से सम्बन्ध रखता है। कम्पनी की निर्गमित पूंजी का अनुमान कोई तीन करोड़ रुपये लगाया जाता है, साढ़े सात करोड़ रुपये नहीं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

नैपाल में भारतीय सैनिक मिशन

*१३१९. **श्री रघुनाथ सिंह** : (क) क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि नैपाली कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति ने यह मांग की है कि भारतीय सैनिक मिशन को, जो नपाल सरकार की प्रार्थना पर नैपाल में है, वापस बुला लिया जाये ?

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मिशन को वापस बुलाने का विचार रखती है ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) सरकार ने इस बारे में समाचारपत्रों में रिपोर्ट देखी है ।

(ख) जी नहीं । मिशन, नैपाल सरकार की प्रार्थना पर, अप्रैल, १९५२ में भेजा गया था और उसने वहां अच्छा कार्य किया है जिस की नपाल सरकार द्वारा बहुत सराहना की गई है ।

बिस्कुट

*१३२३. **श्री बुच्चिकोटैय्या** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भारत में बिस्कुट फ़ैक्टरियों की सम्पूर्ण वार्षिक उत्पादन क्षमता कितनी है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : संगठित फ़ैक्टरियों की वार्षिक अधिष्ठापित क्षमता लगभग ४०,००० टन है ।

प्रतिषिद्ध फ़िल्मी गानों का प्रसारण

*१३३५. **श्री बलवन्त सिंह मेहता** : (क) क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि जो फ़िल्मी गाने यहां प्रतिषिद्ध हैं वे अन्य विदेशों से, विशेष रूप से लंका से, प्रसारित किये जाते हैं ।

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस बात को रोकने के लिये क्या पग उठाये हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) अन्य विदेशों से तो वे प्रसारित नहीं किये जाते, हां, यह देखा गया है कि लंका, गोआ तथा पाकिस्तान रेडियो से कभी कभी ऐसे फ़िल्मी गाने प्रसारित कर दिये जाते हैं जो आल इण्डिया रेडियो के कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं किये जाते या उससे अपवर्जित हैं ।

(ख) भारत सरकार अन्य देशों के रेडियो संगठनों से यह कहने की स्थिति में नहीं है कि उन्हें अपने कार्यक्रमों में किस प्रकार की प्रसारण सामग्री का उपयोग करना चाहिये ।

जापान को कच्चे लोहे का निर्यात

*१३३६. **श्री सी० आर० नरसिंहन्** : (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने भारतीय कच्चे लोहे के जापान को निर्यात के सम्बन्ध में उस देश के साथ बातचीत फिर आरम्भ कर दी है ?

(ख) यदि हां, तो कितना निर्यात अभ्यंश निर्धारित किया गया है ?

(ग) क्या निर्यात अभ्यंश का राज्य-वार वितरण किया जायेगा ?

(घ) क्या इस सिलसिले में सरकार की सूचना में कोई ऐसी प्रस्थापना आयी है कि सलेम में बड़ी मात्रा में पाये जाने वाले कच्चे मैगनेटाइट का "मैगनिफ़िकेशन" (इकट्ठा करना) तथा "ब्रिकेटिंग" (पिंड बनाना) किया जाये ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी नहीं ।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठते ।

बर्मा के निष्क्रमणार्थी

*१३३९. **श्री राजगोपाल राव** / **श्री के० सुब्रह्मण्यम्** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भारत सरकार को विज़गापटनम तथा श्रीकाकुलम ज़िलों में बसाये गये बर्मा के निष्क्रमणार्थियों की दशा में सुधार किये जाने के सम्बन्ध में मद्रास सरकार द्वारा की गई कार्यवाहियों के बारे

में मद्रास सरकार से कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है ; तथा

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार ने मद्रास सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाहियों की जांच की है ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) तथा (ख). जी हां ; हाल ही की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अधिकांश निष्क्रमणार्थी अपने गांवों में बस गये हैं । बहुत से निष्क्रमणार्थी अपनी जीविका सामयिक कृषि परिश्रम कर के, और तटवर्ती गांवों में कुछ निष्क्रमणार्थी मत्स्यग्रहण करके, अर्जित कर रहे हैं । शिल्पी कामगार बर्मा लौट रहे हैं और पूर्व-बर्मा रेलवे के बहुत से कर्मचारियों को भारतीय रेलवेओं द्वारा लगा लिया गया है । कताई तथा बुनाई की सहकारी समितियां स्थापित कर दी गई हैं और उनको, पुनर्वास के कार्य में सहायता पहुंचाने की दृष्टि से, वित्तीय सहायता तथा पूंजी दी गई है ।

पुस्तकों का आयात

१०४०. श्री बलवन्त सिंह मेहता : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री विदेशों से मंगाई गई पुस्तकों का कुल मूल्य तथा उनकी संख्या बतलाने की कृपा करेंगे ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : सदन पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें वर्ष १९५०-५१, १९५१-५२ तथा १९५२-५३ (अप्रैल, १९५२ से जनवरी १९५३ तक) में आयात की गई पुस्तकों तथा अन्य छपी हुई चीज़ों का परिमाण तथा मूल्य बतलाया गया है । **[देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या १५]** पुस्तकों के विषय में अलग आंकड़े प्राप्य नहीं हैं । परिमाण के आंकड़े हन्डरवेटों में रखे जा रहे हैं, संख्या में नहीं ।

प्रस्तावित आंध्र राज्य में नमक का उत्पादन

१०४१. श्री नानादास : (क) क्या **उत्पादन** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रस्तावित आन्ध्र राज्य में नमक उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं ?

(ख) प्रस्तावित आन्ध्र राज्य के क्षेत्र में सन् १९५०, १९५१ तथा १९५२ में कितना कितना नमक उत्पन्न हुआ था ?

(ग) क्या वह क्षेत्र नमक के विषय में आत्म निर्भर या आधिक्य वाला क्षेत्र है ?

(घ) सन् १९५०, १९५१ तथा १९५२ में उस क्षेत्र में कितना नमक वहां की आवश्यकता से अधिक उत्पन्न हुआ था ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) सदन पटल पर एक विवरण रखा जाता है । जिसमें यह बतलाया गया है कि प्रस्तावित आन्ध्र राज्य में लाइसेंस प्राप्त नमक फ़ैक्टरियां किन किन स्थानों में स्थित हैं । **[देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या १६]**

(ख) कुल अनुमानित उत्पादन निम्न भांति था :

१९५०	६७ लाख मन
१९५१	७१ लाख मन
१९५२	५५.५ लाख मन

१९५२ में उत्पादन में कमी आने का कारण विपरीत मौसम दशाओं का होना था जिनमें एक भारी तूफान भी शामिल है ।

(ग) सामान्य मौसम होने की दशा में उस क्षेत्र में इतना नमक उत्पन्न हो सकता है कि वहां की आवश्यकता पूरी करने के बाद भी बच जाये ।

(घ) आवश्यकता से अधिक मात्रा १९५० में १२ लाख मन तथा १९५१ में १४ लाख मन थी। १९५२ की अनुमानित मात्रा नगण्य है।

सामग्री क्रय नीति

१०४२. **श्री बंसल** : क्या **निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद** मंत्री सदन-पटल पर उन नियमों को रखने, जिनका सरकार द्वारा अपनी सामग्री क्रय नीति के सम्बन्ध में अनुसरण किया जाता है, तथा यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या इन नियमों को पुनरीक्षित करने की, जिससे कि स्थानीय निर्माताओं को इस समय से अधिक मूल्य अधिमान मिल सके, कोई प्रस्थापनायें विचाराधीन हैं ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद उपमंत्री (श्री बुरागोहिन्) : सदन पटल पर लोक सेवा के लिये क्रय की जाने वाली वस्तुओं के सम्भरण सम्बन्धी नियमों, की एक प्रति रखी जाती है। **[देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या १७]** ये नियम पूर्व उद्योग तथा श्रम विभाग के संकल्प संख्या एस.—२१७ दिनांक १२ दिसम्बर, १९२९ द्वारा प्रख्यापित किये गये थे और अब भी लागू हैं। इन नियमों में भारत में पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से तैयार की गई वस्तुओं को सामान्य अधिमान तथा सीमित मूल्य अधिमान देने का उपबन्ध है और आर्डर देते समय उस नीति का पालन किया जाता है।

भारत सरकार ने हाल ही में एक सामग्री क्रय समिति नियुक्त की है जो भारत के केन्द्रीय सामग्री क्रय संगठन के संचालन की जांच करेगी। उक्त समिति के निर्देश पदों में एक यह भी है कि वह भारत में बनी वस्तुओं को सहायता देने तथा छोटे पैमाने पर तथा कुटीर उद्योगों द्वारा बनाई गई वस्तुओं को प्रोत्साहन देने के विषय में सामग्री क्रय प्रणाली की क्रियान्विति की जांच करे। नियमों का उस सीमा तक पुनरीक्षण करने का, जिस तक कि आवश्यक हो, प्रश्न सरकार द्वारा सामग्री क्रय समिति की सिफारिशों पर विचार कर लिये जाने के पश्चात् उठाया जायेगा।

सरकारी क्रय

श्री बंसल : (क) क्या **निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद** मंत्री सदन पटल पर निम्न विषयों के सम्बन्ध में विवरण रखने की कृपा करेंगे :—

(१) सम्भरण तथा उत्सर्जन के महानिदेशालय द्वारा १९५०-५१, १९५१-५२ तथा १९५२-५३ के वित्तीय वर्षों में से प्रत्येक में किये गये क्रय ;

(२) भारतीय सामग्री विभाग द्वारा उपर्युक्त तीन वित्तीय वर्षों में किये गये क्रय;

(३) भारतीय सम्भरण मिशन, वाशिंगटन द्वारा उक्त कालावधि में किये गये क्रय ; तथा

(४) स्थानीय सूत्रों के द्वारा किये गये क्रय का कुल क्रय से अनुपात?

(ख) क्या सरकार के विचाराधीन कोई ऐसी प्रस्थापना है कि भारत सरकार, राज्य सरकारों, अर्ध-सरकारी निकायों, रेलवओं, रक्षा सेवाओं तथा भिन्न भिन्न राष्ट्रीय परियोजनाओं द्वारा किये जाने वाले क्रय का पूरा ब्यौरा दिया जाये जिससे कि देशीय निर्माताओं को यह पता लग सके कि वे वर्तमान एककों का प्रसार तथा नवीन एककों का विकास किस आधार पर करें ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद उपमंत्री (श्री बुरागोहिन) : (क) सदन पटल पर विवरण रखा जाता है जिसमें अपेक्षित

सूचना दी गई है । **[देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या १८]**

(ख) इस सम्बन्ध में निम्न पग तो पहले ही उठाये जा रहे हैं :—

(१) क्रय संगठन ५,००० रुपये या इससे अधिक मूल्य की सामग्रियों की सब मांगें इण्डियन ट्रेड जर्नल में विज्ञापित करते हैं ।

(२) भिन्न भिन्न निर्माताओं/संभरणकर्ताओं को दिये गये आर्डरों का साप्ताहिक विवरण भी, जिसमें पूरा ब्यौरा, यथा, सामग्री का खुलासा, क़िस्म, दर, देने वाले देश का नाम आदि, होता है, इण्डियन ट्रेड जर्नल में प्रकाशित किया जाता है । इण्डियन ट्रेड जर्नल में भारत सामग्री विभाग, लन्दन/भारत संभरण मिशन, वाशिंगटन के महानिदेशक द्वारा दिये गये आर्डरों के बारे में विस्तृत ब्यौरा भी प्रकाशित किया जाता है ।

(३) कुछ वस्तुओं के सम्बन्ध में, आर्डर देने वाले विभाग पहले से ही यह बतला देते हैं कि आगामी दो वर्षों में उनकी आवश्यकता क्या होगी और ऐसे मामलों में उद्योग को उससे अवगत कर दिया जाता है ।

(४) देश में नई उत्पादन एककों का विकास करने के लिये वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के विकास विभाग के परामर्श से देशीय निर्माताओं को परीक्षणात्मक आर्डर भी दिये जाते हैं ।

ख्याल है कि जो कुछ जानकारी छापी गई है और इस सम्बन्ध में जो जो कार्यवाही की गई है वह देशीय निर्माताओं को वर्तमान एककों का प्रसार करने तथा नये एककों का विकास करने के लिये प्रेरित करने के लिये पर्याप्त है ।

रसायनिक हीरे

१०४४. श्री बालकृष्णन् : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) रंगून से सन् १९४७ से लेकर सन् १९५२ तक प्रत्येक वर्ष आयात किये गये रसायनिक हीरों की कुल मात्रा ;

(ख) उसी कालावधि में भारत में प्रतिवर्ष बनाये गये रसायनिक हीरों का मूल्य तथा

(ग) क्या रसायनिक हीरों का निर्माण भारत में कुटीर उद्योग के आधार पर होता है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) जानकारी प्राप्य नहीं है ।

(ख) तथा (ग) . भारत में रसायनिक हीरों का निर्माण नहीं होता ।

युद्ध क्षतिपूर्त्ति

१०४५. श्री एल० जे० सिंह : क्या **निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भारत को उसके युद्ध क्षतिपूर्ति के अंश के भाग के रूप में मशीनें भी मिली थीं ; तथा

(ख) यदि हां, तो ऐसी मशीनों की संख्या तथा नाम तथा उन देशों के नाम जहां से वे मशीनें मिली थीं ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद उपमंत्री (श्री बुरागोहिन) : (क) जी हां ।

(ख) भारत को युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में जर्मनी से १०,४३१ सामान्य प्रयोजनीय मशीन औज़ार तथा अन्य औद्योगिक मूल उपकरण मिले थे। जापान से युद्ध क्षतिपूर्ति के लिये कोई दावा नहीं किया गया था।

साइकिल फैक्टरियां

१०४६. श्री एच० एस० प्रसाद : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) भारत में कौन कौन सी फ़ैक्टरियां साइकिलों का निर्माण करती हैं और वे कहां कहां स्थित हैं ;

(ख) साइकिल बनाने वाली उन भारतीय कम्पनियों के नाम जो साइकिल का प्रत्येक हिस्सा तैयार करती हैं ; तथा

(ग) साइकिल बनाने वाले उन भारतीय सार्थों के नाम जो यहां साइकिल के केवल कुछ हिस्से बनाते हैं और शेष भाग विदेशों से मंगा कर पूरी साइकिल तैयार करते हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) तथा (ग). सदन पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या १९]**

(ख) इस समय कोई भी फैक्टरी पूरी साइकिल का निर्माण नहीं कर रही है।

पाकिस्तान में सीरे से लदी नावों का रोक लिया जाना

१०४७. श्री बी० एन० राय : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि लगभग छै मास पूर्व पाकिस्तान सरकार द्वारा प्रेमतल्ली घाट में पूर्वी उत्तर प्रदेश के किन्हीं व्यापारियों की सीरे से लदी हुई कोई पचास बड़ी नावें, इस बात की पूर्वसूचना दिये बिना ही कि नदी द्वारा उक्त व्यापार किये जाने की सुविधायें रद्द कर दी गई हैं, रोक ली गई थीं ;

(ख) क्या सरकार को यह पता है कि व्यापारिक सामान से लदी हुई वे नावें आज भी वहां रुकी पड़ी हैं ; तथा

(ग) सरकार ने उक्त माल को पाकिस्तान में ही बिकवाने या भारतीय व्यापारियों को लौटवाने के लिये क्या क़दम उठाये और उसका क्या परिणाम निकला ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) सरकार ने निर्दिष्ट माल के रोक लिये जाने सम्बन्धी खबर देखी है और वह समझती है कि ऐसा इसलिये किया गया क्यों कि वह सीरा अपेक्षित आयात अनुज्ञप्ति के अन्तर्गत नहीं भेजा गया था।

(ख) तथा (ग). ढाका स्थित भारतीय वाणिज्यिक सचिव इन नावों को छुड़वाने के लिये कार्यवाही कर रहे हैं। ख्याल है कि उनमें से कुछ तो छोड़ भी दी गई हैं और कुछ और शीघ्र ही छोड़ दी जायेंगी।

उत्तर-पूर्व सीमान्त एजन्सी में कपड़े की आवश्यकता

१०४८. श्री गोहेन : (क) क्या **प्रचार** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उत्तर-पूर्व सीमान्त एजेन्सी की अनुमानित वार्षिक वस्त्र आवश्यकता कितनी है ?

(ख) वर्ष १९५१-५२ और १९५२-५३ में एजेन्सी के प्रत्येक ज़िले को कपड़े के कुल कितने अभ्यंश बांट में दिये गये ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) यह अनुमान लगाना कठिन है क्योंकि साधारणतया लोग अपना कपड़ा सूत तथा

रेशे की स्थानीय सप्लाई से बुनते हैं । हां, कुछ लोग कपड़ा तथा सूत दुकानों से खरीदते हैं और उनकी आवश्यकतायें पूरी करने के लिये ३० गांठ कपड़े की तथा ६० गांठ सूत की प्रति मास दी जा रही हैं ।

(ख) सदन पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १९ अनुबन्ध संख्या २०]**

कोयला खानों को सहायता

१०४९. डा० राम सुभग सिंह : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) उन कोयला खानों की संख्या जिन्होंने वर्ष १९५३-५४ में थाक लगाने सम्बन्धी कार्यों के लिये सहायता मांगी है ; तथा

(ख) उस कालावधि के लिये उनमें से कितनी कोयला खानों को सहायता मंजूर की गई है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) ११० ।

(ख) ६७ ।

संविहित बोर्ड, बिभागीय समितियां तथा आयोग

१०५०. श्री के० सी० सोधिया : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री (१) संविहित बोर्डों, (२) विभागीय समितियों तथा (३) मंत्रालय की भिन्न भिन्न शाखाओं के साथ मिल कर कार्य करने वाले आयोगों की कुल संख्या बतलाने की कृपा करेंगे ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : संख्यायें इस भांति हैं :

(१) संविहित बोर्ड तथा परिषदें ।	९
(२) विभागीय समितियां, बोर्ड तथा परिषदें ।	१९
(३) आयोग	२

सरकारी प्रेसों में एप्रेन्टिस

१०५१. श्री नानादास : (क) क्या **निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार के प्रेसों में कितने ग्रेजुएट एप्रेन्टिस हैं ?

(ख) उनकी सेवाओं की शर्तें क्या हैं ?

(ग) प्रत्येक एप्रेन्टिस को दिये जाने वाले मासिक निर्वाह-भत्ते की दर क्या है और वह कब निश्चित की गई थी ?

(घ) क्या सरकार का विचार मासिक निर्वाह-भत्ते की दर बढ़ाने का है ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) आठ ।

(ख) भर्ती सम्बन्धी नियमों तथा सेवा की शर्तों की एक प्रतिलिपि सदन पटल पर रखी जाती है । **[देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या २१]**

(ग) ५० रुपये प्रति मास ; यह दर सन् १९२२ में निश्चित की गई थी ।

(घ) प्रश्न विचाराधीन है ।

सरकारी प्रेसों में अस्सिटेंट टैकनिकल मैनेजर तथा ओवरसीयर

१०५२. श्री नानादास : (क) क्या **निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि १९४८ से अब तक भारत सरकार के प्रेसों में ऐसिस्टेंट टैक्निकल मैनेजरों तथा ओवरसियरों के कितने स्थान संघ लोक सेवा आयोग द्वारा की गई सीधी भर्ती से भरे गये तथा कितने विभागीय पदोन्नति द्वारा ?

(ख) सन् १९४८ में चालू की गई योजना के अन्तर्गत सरकारी प्रेसों में कितने ग्रेजुएट एप्रेन्टिस अपना प्रशिक्षण पूरा कर चुके हैं ?

(ग) उनमें से कितने सरकारी प्रेसों में लगा लिये गये हैं ?

(घ) सरकारी प्रेसों में इस समय ऐसिस्टेंट टैक्निकल मैनेजरों तथा ओवरसियरों के कितने स्थान रिक्त हैं ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) ऐसिस्टेंट मैनेजर (टैक्निकल) के १९४८ से ले कर अब तक भरे गये आठ स्थानों में से चार तो संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से सीधी भर्ती करके भरे गये और शेष विभागीय पदोन्नति द्वारा । इसी कालावधि में भरे गये १९ ओवरसियरों के स्थानों में से ८ संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा सीधी भर्ती करके भरे गये और ११ विभागीय पदोन्नति द्वारा ।

इन संख्याओं में वे नियुक्तियां शामिल नहीं हैं जो थोड़े समय के लिये की जाती हैं, उदाहरण के लिये छुट्टी पर गये लोगों के स्थान भरने के लिये की जाने वाली अल्पकालीन नियुक्तियां ।

(ख) एक ।

(ग) अब तक एक भी नहीं ।

(घ) इस समय केवल एक ओवरसियर का स्थान रिक्त है ।

आल इण्डिया रेडियो का जलन्धर स्टेशन

१०५३. प्रो० डी० सी० शर्मा : क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि आल इण्डिया रेडियो के जलन्धर स्टेशन में वर्ष १९५१ तथा १९५२ में क्या क्या मुख्य परिवर्तन या सुधार किये गये ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : आल इण्डिया रेडियो के जलन्धर स्टेशन में वर्ष १९५१ तथा १९५२ में मुख्य सुधार यह किया गया कि अमृतसर स्थित 'रिले केन्द्र' की शक्ति बढ़ा दी गई है ।

नियन्त्रण

१०५४. श्री बंसल : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) सरकार द्वारा १९४७ से प्रत्येक वर्ष

(१) सूती कपड़े,

(२) कच्चे कपास,

(३) क़ागज़, तथा

(४) लोहे तथा इस्पात,

जैसी वस्तुओं पर विभिन्न नियंत्रणों के प्रशासन पर कितना व्यय किया गया ; तथा

(ख) क्या सरकार के पास इन नियंत्रणों के प्रशासन पर विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा किये गये व्यय का कोई प्राक्कलन है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) सदन पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें प्राप्य जानकारी दी गई है । **[देखिये परिशिष्ट ९, अनुबन्ध संख्या २२]**

(ख) जी नहीं ।

तारपीन का तेल

१०५५. श्री गणपति राम : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) देश में वर्ष १९५१-५२ और १९५२-५३ में उत्पादित तारपीन के तेल की कुल मात्रा ;

(ख) इस तेल का उत्पादन करने वाले कारखानों की कुल संख्या कितनी है और वे कहां कहां स्थित हैं, राज्यवार ;

(ग) विदेशों से आयात की गई तथा को निर्यात की गई कुल मात्रा ; यदि कोई की गई हो ; तथा

(घ) तेल बनाने के बाद जो चीज़ बच रहती है वह किस काम आती है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क)—

वर्ष	मात्रा (हंडरवेटों में)
१९५१	४८,२८६
१९५२	४०,७०४

(ख) देश में २३ कारखाने हैं जिनमें से १५ पूर्वी पंजाब में, ६ उत्तर प्रदेश में और एक एक हिमाचल प्रदेश और जम्मू में है ।

(ग) वर्ष	मात्रा (हंडरवटों में)
(१) आयात	
१९५१-५२	४३,७७४
१९५२ (अप्रैल-दिसम्बर)	२४,४७५
(२) निर्यात	
१९५१-५२	१५,७३२
१९५२ (अप्रैल-दिसम्बर)	३,६०१

(घ) सम्भवतः माननीय सदस्य का अभिप्राय 'बिरोज़ा' से है जो तारपीन के उत्पादन में एक उपोत्पाद के रूप में प्राप्त होता है । 'बिरोज़ा' का प्रयोग रंग, वारनिश, साबुन, क़ागज़ तथा अन्य कीटाणुनाशक पदार्थों के निर्माण में एक औद्योगिक कच्चे माल के रूप में किया जाता है ।

Par. S. 18. III. 12. 53.
285.

अंक ३

संख्या १२

बुधवार

१५ अप्रैल, १९५३

1st Lok Sabha

संसदीय वाद विवाद

लोक सभा

तीसरा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

—:o:—

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक कार्यवाही

विषय-सूची

राज्य परिषद् से संदेश [पृष्ठ भाग ३३२१-३३२२]

नियंत्रक-महालेखा परीक्षक (सेवा की शर्तें) विधेयक—पुरःस्थापित [पृष्ठ भाग ३३२२]

वित्त विधेयक तथा केन्द्रीय आबकारी तथा नमक (संशोधन) विधेयक—
विचार प्रस्ताव पर चर्चा—असमाप्त [पृष्ठ भाग ३३२२—३३७५]

राष्ट्रीय छोटी बचत योजना [पृष्ठ भाग ३३७५—३३८२]

285 P.S.D.

(मूल्य ६ आने)

लोक सभा

बुधवार, १५ अप्रैल, १९५३

सदन की बैठक सवा आठ बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष पद पर आसीन थे]

प्रश्न और उत्तर

(देखिये भाग १)

८-१९ म० पू०

राज्य परिषद् से संदेश

सचिव: श्रीमान, मुझे राज्य परिषद के सचिव से प्राप्त निम्न संदेश प्रस्तुत करना है :

"राज्य परिषद् के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम १२५ के उपबन्धों के अनुसार मुझे लोक सभा को यह सूचित करने का निदेश है, कि राज्य परिषद ने अपनी १४ अप्रैल, १९५३ की बैठक में खादी तथा अन्य हथकरघा उद्योग विकास (कपड़े पर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क)

विधेयक, १९५३, को बिना किसी संशोधन के स्वीकार कर लिया है, जो लोक सभा द्वारा अपनी ९ अप्रैल, १९५३ की बैठक में पारित किया गया था।"

नियन्त्रक महालेखा परीक्षक (सेवा की शर्तें) विधेयक

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख): मैं भारत के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक की सेवा की कुछ शर्तों को नियमित करने के लिये एक विधेयक पुरःस्थापित करने की अनुमति चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है :

"कि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक की सेवा की कुछ शर्तों को नियमत करने के लिये एक विधेयक प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री सी० डी० देशमुख: मैं विधेयक को पुरःस्थापित* करता हूं।

वित्त विधेयक तथा केन्द्रीय आबकारी तथा नमक (संशोधन) विधेयक

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख): मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४, में अग्रेतर

*राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित

[श्री सी० डी० देशमख]

संशोधन करने के विधेयक पर विचार आरंभ किया जाये।"

इस विधेयक के उपबन्धों पर विचार करने के पूर्व, मैं एक बार प्रारम्भिक अवलोकन करना चाहूंगा। विधेयक के प्रस्ताव चालू वर्ष के लिये आय-व्ययक प्रस्तावों के वास्तव में एक भाग हैं किन्तु आवश्यक प्रशासनीय प्रबन्ध करने के लिये लगने वाले समय के कारण उनको वित्त विधेयक में सम्मिलित कर लेना सम्भव नहीं था। अतः यह केवल प्रावैधिक कारणों से है कि यह विधेयक एक पृथक् विधेयक के रूप में लाया जा रहा है। मैं समझता हूं यह सुविधाजनक होगा यदि सदन में विवाद तथा विचार के उद्देश्यों से इस विधेयक को वित्त विधेयक का ही एक अङ्ग समझा जाये और उसी के साथ इस पर विचार किया जाये। इसी दृष्टिकोण से कल मैंने इस विधेयक को रखने के विचार से वित्त विधेयक सम्बन्धी वार्ता में हस्तक्षेप किया।

मैं ने अपने आय-व्ययक-भाषण में सरकार द्वारा की गई विभिन्न कार्यवाहियों का निर्देश किया था, जो चाय के मूल्यों में भारी कमी हो जाने के कारण चाय के बागों को सहायता देने की दृष्टि से की गई थीं। इनसे उद्योग को कुछ सहायता अवश्य पहुंची है, किन्तु उनके पूर्ण प्रभाव को बताना समय के बहुत पूर्व होगा। सरकार इस उद्योग को सहायता देने के लिये अन्य सम्भव उपायों पर भी विचार कर रही है। विभिन्न क्षेत्रों से उत्पादन शुल्क घटा देने के सुझाव प्राप्त हुए हैं। प्रश्न पर ध्यानपूर्वक विचार करने के पश्चात् सरकार इस निश्चय पर पहुंची है कि उत्पादन में कोई भी साधारण कमी कर देने से चाय उत्पादक को बहुत थोड़ा या बिल्कुल ही लाभ नहीं होगा क्योंकि छूट मध्यस्थ द्वारा हड़प लिये जाने की सम्भावना अधिक है। दूसरी ओर, इससे राजस्व में अत्यधिक कमी हो जायगी जिसको देश आसानी से सहन नहीं कर सकता।

हम लोग समझते हैं, कि राजस्व में कमी के अतिरिक्त, उत्पादन शुल्क इस प्रकार पुर्नियोजित किया जा सकता है कि वह उत्पादक के लिये व्यावहारिक रूप में लाभदायक सिद्ध हो सकेगा। विधेयक में दिया गया प्रस्ताव संक्षेप में यह है कि चाय के बागों द्वारा दिये जाने वाले सभी उत्पादन शुल्क में से प्रति पौंड एक आना कम कर दिया जाय जब कि वह ढेर की ढेर चाय बाज़ारों को भेजते हैं। और इसका अर्थ यह है कि चाय के बागों की प्राथमिक वित्तीय बद्धता काफी कम हो जायेगी। अधिकतर चाय आन्तरिक खपत के लिये होती है जो उपयुक्त नाप के बंडलों में मिलाने वालों तथा बंडल बनाने वालों के द्वारा बेची जाती है। इस अवस्था में हम अतिरिक्त उत्पादन शुल्क तीन आना प्रति पाउन्ड और लगाने का विचार कर रहे हैं। अतः पूर्ण प्रभाव यह होगा कि पैकिंग करने के पूर्व चाय का उपभोग करने पर कुल उत्पादन शुल्क चार आना प्रति पाउन्ड हो जायगा या वर्तमान से प्रति पाउन्ड एक आना अधिक। दूसरी ओर, वह चाय जो खुली हुई उपभोग की जानी वाली है, उस पर उत्पादन शुल्क केवल एक आना प्रति पाउन्ड होगा। चाय के आन्तरिक उपभोग के ठीक-ठीक आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं। यह मात्रा २१०,०००,००० पाउन्ड अनुमानित की जाती है, जिस में से लगभग एक तिहाई फुटकर भाव में खुली बेच दी जाती है और दो-तिहाई उपयुक्त मात्रा के बंडलों में भर कर मिलाने वालों तथा बंडल बनाने वालों के द्वारा

फुटकर बेची जाती है। अतः शुल्क का पुनर्नियोजन करना जो कि विधेयक में प्रस्तावित किया गया है यह देखना चाहिये कि वह उपभोक्ताओं की काफी संख्या के लिये सीधा लाभदायक हो, विशेषकर गरीब श्रेणी के लोगों के लिये जो खुली हुई चाय क्रय करते हैं। निस्सन्देह ही, वे उपभोक्ता जो चाय के पैकेट खरीदा करते हैं, प्रति पाउन्ड एक आना अधिक देना पड़ेगा। किन्तु उसके सम्बन्ध में यह सम्भावना हो सकती है कि यह अतिरिक्त आना यदि सब नहीं तो कम से कम उसका कुछ अंश तो मध्यस्थ ही खपा लेता होगा, खपा लेना शब्द सम्भवतः गलत है। यद्यपि हाल ही में चाय के नीलाम मूल्य में काफी कमी हो गई है, फुटकर मूल्यों में उतनी कमी नहीं हुई है। अतः यह आशा करना पूर्ण रूप से न्यायोचित होगा कि यह अतिरिक्त एक आना प्रति पाउन्ड यदि सम्पूर्ण नहीं तो इसका काफी अंश बंडल बनाने वालों या मध्यस्थों की जेबों में जाता होगा। आशा यह की जाती है कि सब उपभोक्ताओं को देखते हुए वे कुछ भी अधिक नहीं देते होंगे जैसा कि गणना की जा चुकी हैं कि इस पुनर्नियोजन के पश्चात कुल राजस्व लगभग वही रहेगा जितना अभी है। जैसा कि सदन को ज्ञात है कि देश में पैदा की जाने वाली अधिकतर चाय निर्यात कर दी जाती है। उत्पादन कर जो पहले ही दिया जा चुका है तथा चार आना प्रति पाउन्ड निर्यात शुल्क के बीच का अन्तर, यदि कुछ होता है तो, जो अपरिवर्तित रहता है, निर्यात करने के समय बराबर कर लिया जाता है।

मुझे सदन को विधेयक के खण्ड २ के उपखण्ड (२) की कुछ व्याख्या भी देनी चाहिये। यह उपखण्ड नवीन उत्पादन कर के क्षेत्र के अन्तर्गत, सभी पैकेटों में बन्द चाय को जो १५ अप्रैल, १९५३ तक स्टाक में उत्पादकों की सीमा में पड़ी हुई की, लाने का प्रस्ताव रखता है। अब यह अधिकार ले लिया गया है क्योंकि सरकार को दूसरे उपाय के अनुसार यह राय दी गई है कि नवीन शुल्क मिली हुई चाय तथा इस विधेयक के लागू होने के बाद बंडलों में भरी जाने वाली चाय पर ही देना पड़ेगा। सरकार का विचार पैकेटों में बन्द कर दी जाने वाली चाय के स्टाक पर पूरा भार लागू कर देने का नहीं है, जैसा कि १५ अप्रैल, १९५३ तक खुली चाय से बनाने का था, जिस पर कारखानों से जारी होने के पहले ही पुराने दर के हिसाब से तीन आने प्रति पाउन्ड शुल्क वसूल कर लिया जा चुका है। विधेयक के खण्ड २ के उपखण्ड (२) में किये गये प्रावधान के प्रभाव से ऐसी बन्द चाय अतिरिक्त तीन आने प्रति पाउन्ड के अधीन समझी जायेगी। केन्द्रीय शुल्क नियम, १९४४ के अन्तर्गत इसीलिये आज एक कार्यकारिणी विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसका प्रभाव सभी प्रकार की बन्द चाय पर एक आना प्रति पाउन्ड शुल्क लगाना होगा इस तिथि तक उत्पादक की सीमा में रहने वाली चाय पर। ऐसी बन्द चाय पर इस प्रकार कुल कर चार आने प्रति पाउन्ड से अधिक न होगा। यह वैज्ञानिक उपाय है। इसी प्रकार कुछ समय तक नवीन तटकर लागू हो जाने के पश्चात् १५ अप्रैल, १९५३ तक उत्पादकों की सीमा के अन्तर्गत रहने वाली खुली चाय को पैकटों में बन्द कर दिया जायगा, जिस पर पुराना शुल्क तीन आना प्रति पाउन्ड दिया गया है; ऐसी चाय पर कुल शुल्क को चार आना प्रति पाउन्ड तक सीमित कर देने के विचार से। कार्यकारिणी विज्ञप्ति, जिसका मैंने अभी निर्देश किया है, वह भी प्रावधान बनाती है कि अतिरिक्त शुल्क केवल एक आना प्रति पाउन्ड ही लगाया जाय।

अध्यक्ष महोदय प्रस्ताव रखा गया ।

"कि केन्द्रीय आबकारी तथा नमक अधिनियम १९४४ में आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय ।"

माननीय वित्त मंत्री न प्रार्थना की है कि वित्त विधेयक पर भी इसके साथ ही विचार किया जाय । यदि माननीय सदस्य तैयार हों तो ऐसा किया जा सकता है ।

डा० एस० पी० मुखर्जी (कलकत्ता दक्षिण-पूर्व) यदि दोनों विधेयकों पर एक साथ ही विचार करना तथा मत दान देना है तो यह वित्त विधेयक म ही क्यों नहीं मिला दिया गया ?

अध्यक्ष महोदय : यह तो पहले ही कहा जा चुका है कि कुछ प्रशासन सम्बन्धी कठिनाइयों के कारण ऐसा करना पड़ा है । लगभग १५ सदस्य बोल चुके हैं किन्तु इस बात की कोई गारन्टी नहीं कि उनमें से एक या सभी को इस विधेयक पर बोलने का अवसर मिला हो ।

मैंने बताया कि इसमें कुछ प्राविधिक कठिनाई है किन्तु उसका हल प्रबन्ध तथा सगझौते से हो सकता है । कहने का तात्पर्य यह है कि सभी वित्त सम्बन्धी कार्यवाहियों पर सामूहिक वाद-विवाद की आवश्यकता है ।

श्री अलगू राय शास्त्री (ज़िला आजमगढ़ पूर्व व ज़िला बलिया–पश्चिम) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं वैसे तो यह ठीक ही है कि माननीय मंत्री महोदय ने बताया कि यह हमारे फायनेंस बिल का ही एक अंग समझा जाना चाहिये। सो इस प्रकार यह एक अंग अंगी के रूप में जो बिल है वह डिसकस होने लगता है गा। एक बिल लेट स्टेज पर आया है, जैसे कोई एक संशोधन के रूप में उपस्थित हो गया हो, कोई चीज़ छूट गई थी, उसको शामिल कर दिया गया हो । इस में एक कठिनाई तो यह होती है कि जो सदस्य बोल चुके हैं उन्हें अब इस पर बोलने का कोई मौक़ा नहीं मिलेगा और दो बिलों को एक साथ विचार में लेने में ज़रूर कठिनाई पड़ेगी । अच्छा होगा कि फायनेंस बिल को समाप्त करने पर एक या दो घंटे इस के लिये और दे दें, ताकि और लोग भी बोल सकें और नया उदाहरण क़ायम न हो कि दो बिल एक साथ मिलाकर विचार के लिये उपस्थित किये जा सकें ।

मैं माननीय अर्थ मंत्री को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने अपने बजट भाषण में और फायनेंस बिल के सम्बन्ध में जो भाषण दिया है उसमें उन्होंने हमारे राष्ट्र के आर्थिक जीवन पर सुन्दर प्रकाश डालता है ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

जो प्रगति इस बीच में हमारे राष्ट्र ने की है उस की एक सुन्दर झांकी हमें उन के सुन्दर भाषण से मिलती है । देश ने इस बीच में अपना उत्पादन बढ़ाया है, अपनी सेना का संगठन किया है और अपनी खाद्य समस्या को सुलझाने की चेष्टा की है । यह सब बातें ऐसी हैं कि जिनसे राष्ट्र का विश्वास हमारी शासन व्यवस्था में बढ़ता है । यह सब ऐसे संकट काल में हुआ है जब कि वैदेशिक स्थिति और आन्तरिक स्थिति बहुत कठिन रही है । यह सब देखते हुए हृदय से बधाई दिये बिना कोई व्यक्ति नहीं रह सकता जो कि ईमानदारी से चीज़ों को देखना चाहता है ।

यह होते हुए भी यह हम नहीं कह सकते कि हमने अपनी समस्याओं को सुलझा लिया और कुछ करने को शेष नहीं है । जो

प्रशंसा अर्थ मंत्री की सारे देश में हो रही है, समाचार पत्रों में हो रही है और इस भवन में जो प्रशंसा माननीय सदस्य इस सम्बन्ध में कर रहे हैं, मैं उस में अपन ये शब्द जोड़ कर चुप नहीं रह जाना चाहता, कुछ आवश्यक बातों की ओर उन का ध्यान दिलाने के लिये खड़ा हुआ हूं। बजट डिसकशन में मैंने कोई हिस्सा नहीं लिया। लेकिन इस अवसर पर कुछ चन्द बातों की ओर उनका ध्यान आकर्षित कर देना मैं राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य का पालन मात्र समझता हूं और इसी दृष्टि से मैं इस समय खड़ा हुआ हूं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा राष्ट्र एक सर्वहितकारी सामाजिक राज्य है। इस में हम सब के कल्याण के लिय काम करने का लक्ष्य रखते हैं और उसी दिशा में प्रयत्न कर रहे हैं। यह होते हुए आज चाहे दूसरों के दोष के ही कारण हो, चाहे कुछ विरोधी दलों के अपने दूषित दृष्टि-कोण के परिणामस्वरूप ही हो, लेकिन हमें यह देखना पड़ता है कि जगह जगह हमें ऐसी कार्रवाईयां करनी पड़ती हैं कि जिन से लगता है कि जिस राज्य का हमारा लक्ष्य है, सर्वहितकारी राज्य का, वह एक पुलिस राज्य की तरह बनता जा रहा है। हमें १४४ की धारायें लगानी पड़ती हैं। हमें मीटिंगों पर, जुलूसों पर, प्रंतिबन्ध लगाने पड़ते हैं, चाहे वह उनके ही कारण हों, उनकी अनुचित कार्रवाइयों के ही कारण हो, पर यह मानना पड़ेगा कि जनता कुछ उस अनुचित कार्रवाई की ओर नहीं बहकती तो हमें इन को नहीं लगाना पड़ता। जनता ही उन को रोक देती, न ऐसे जलसे हो सकते न जुलूस निकलते। यह चीज़ थोड़ा सा व्यापक रूप धारण करती जा रही है और यह एक चिन्ता की बात है और हम को इसे दूर करने के प्रयत्न करने चाहिय।

हमें, चिन्ता होती है कि जब लेबर के स्ट्राइक की बात आती है। अभी कल मेरे मित्र श्री हरिहरनाथ जी ने कुछ लोगों में बेकारी के बारे में, कुछ आदमी जो फैक्टरीज़ में काम करते हैं उन के निकाले जाने के बारे में चर्चा की। उन के स्ट्राइक हो जाने के बारे में उन्होंनें चिन्ता प्रकट की। वह चिन्ता निस्सन्देह एक बड़ी चिन्ता है और जो लोग लेबर क्ष में काम करते हैं उन को उस तरफ़ ऐसा लगता है कि यदि वह अंग इस तरह पैरैलाइज़ हो और उस में अविश्वास और अश्रद्धा फैले तो देश का बड़ा अहित होगा, क्योंकि उत्पादन उस से अवरुद्ध होता है और यदि उत्पादन अवरुद्ध होता है तो देश में सामान की कमी से उत्तेजना फैलेगी। इसलिये यह महत्व की बात है। लेकिन मुझको इस से कम महत्व की यह बात भी नहीं लगती कि सामाजिक और राजनीतिक विद्वेष की आग और उस की नन्हीं नन्हीं चिनगारियां जगह-जगह फैलें और हम उन को न देखें। तो मैं समझता हूं कि हमारी शासन व्यवस्था का बड़ा ारी कर्तव्य यह होना चाहिए कि एक ऐसा पोर्टफोलिओ क्रियट करें एक ऐसा विभाग अलग से खोलें, एक ऐसा मन्त्री नियुक्त करें कि जिसका काम ही हो सामाजिक और राजनीतिक सम्पर्क स्थापित करना। उस का काम शासन का कम हो, किसी शासकीय विभाग से उसका सम्बन्ध कम हो, किन्तु जन-सम्पर्क स्थापित करना उस का काम होना चाहिये। उस के साथ एक छोटी सी कमेंटी भी एक एडवाइज़री कमेटी भी हम रख सकते हैं कि जो इन चीज़ों पर निगाह रखें कि कहां कहां क्या असन्तोष फ़ैल रहा है।

'रिपु रुज पावक पाप, इन्हें न गनिये छोट करि।''

हम को नन्हीं सी आग की चिनगारी को भी छोटा नहीं समझना चाहिय कि वह

क्या करेगी । "आई डेम केयर फार दीज़ रोग्ज़, दीज़ रास्कल्स ।" यह ऐटीट्यूड हमारा नहीं होना चाहिये कि यह लोग क्या हैं, इन से क्या हो सकता है, इन की हम क्या परवाह करते हैं, इस दृष्टिकोण से धीरे-धीरे हम अपनी शक्ति को क्षीण करते जा रहे हैं और धीरे-धीरे अविश्वास और अश्रद्धा की आग फैलती जा रही है। हम को तनिक भी असन्तोष दिखाई पड़े तो तत्काल उधर ध्यान देना चाहिये और उस का निराकरण करना चाहिये । अभी कुछ दिन हुए हम ने देखा कि श्री जयप्रकाश नारायण से हमारे प्रधान मंत्री की बातें हुईं । दोनों के बयान आए । उन बयानों से जनता को यह निर्णय करने का मौक़ा मिला कि कौन आदमी सही रास्ते पर है और कौन आदमी ग़लत रास्ते पर है । लेकिन यदि हम बातें ही न करें, सुने नहीं, लोगों से अप्रोच न करें, कांटेक्ट तोड़ दें, तो अपने राज्य के प्रति अविश्वास बढ़ने का अधिक मौक़ा होता है । इसलिये पहला सुझाव तो मैं यह देना चाहता हूं जन-सम्पर्क थापित करने के लिये और राजनीतिक और सामाजिक दुर्भावनाओं को दूर करने के लिये । प्रत्येक विरोधी दल के लोगों के साथ उनकी बातों को शान्तिपूर्वक सुनने के लिये एक अलग अशासकीय विभाग सा या शासन से कुछ सम्बन्ध न रखने वाला जन-सम्पर्क के लिये एक पृथक विभाग और पृथक मंत्री नियुक्त करना चाहिये । चाहे पृथक मंत्री हो या इन्हीं में से कोई एक मंत्री इस काम को देखे । इस तरीक़े पर चलन के बिना हमें अपना काम चलता नज़र नहीं आता ।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा जो केन्द्रीय शासन है यह अपने इनकमटैक्स की आमदनी से और दूसरे तरीक़े से क़र्ज़ा देकर और सहायता देकर और हिस्सा देकर स्टेट्स को मदद करता है ।

यहां अक्सर प्रश्न उठते हैं, अभी जो एक प्रश्न उठा उसके संबंध में यह बात कही गयी कि कोयले का परमिट कोअपरेटिव सोसाइटीज़ को नहीं मिलता लेकिन लोगों को अपने व्यक्तिगत कार्य के लिये मिल जाता है. तो स प्रश्न के उत्तर में यह चीज़ आयी कि यह राज्यों का काम है, वह इस काम को करते हैं । जब इस तरह के उत्तर यहां पर आ जाते हैं तो राज्यों को इससे और अधिक उत्साह मिलता है और वह समझते हैं कि वह जो चाहें कर सकते हैं । हम केन्द्र से ही तो राज्यों को यह चीज़ें देते हैं, केन्द्र से बड़ी भारी सहायता राज्यों को दी जाती है, तो केन्द्र का यह कर्तव्य होना चाहिए कि वह कोई एक ऐसी मशीनरी स्थापित करे जो अखरन वाली न हो, ताकि विभिन्न राज्यों में आपस में कोई कोआरडिनेशन हो और परस्पर विचार विमर्श हो सके ताकि हम यह देख सकें कि जो सहायता हमने राज्यों को दी है और जिस लक्ष्य से दी है, वह ठीक २ उपयोग में लायी जा रही है, हम केन्द्र से कम्युनिटी प्राजेक्ट्स, फाइव इयर प्लान और दूसरे डेवलपमेंट के कार्यों में जो पैसा देते हैं, तो यह तो उचित न होगा कि हम केवल उन को पैसा दे कर सो जायें और यह समझ कर कि स्टेट्स के काम में हस्तक्षेप करना ठीक नहीं है कुछ न करें, हस्तक्षेप करने की बात स्वयं मैं भी नहीं कहता हूं, किन्तु एक आपसी सहयोग और विचार विमर्श की बात मैं समझता हूं कि बहुत आवश्यक है, कुछ सिखावन देने की बात, और शिकायतों को सुनने के बाद उन के

बारे में जांच करने की बात तो केन्द्र द्वारा होनी ही चाहिये ।

अभी उस दिन यहां पर चुनार कैम्प के बारे में बहस हुई, उस सम्बन्ध में मेरे पास भी शिकायत आई थी. और मैंने वह यू० पी० गवर्नमेंट को भेज दी थी, यहां पर भी उस का ज़िक्र आया, तो आखिर बाहर से जो भगाये हुए लोग इस देश में आते हैं, उनके बसाने का काम तो केन्द्र का है और जब केन्द्र उन लोगों को बसाने का काम अपने हाथ में लेता है तो वह उन को मुख्तलिफ स्टेटस में ही तो बसावेगा । अब अगर स्टेट्स में इस क़िस्म की बातें हो जायें तो उन को एफेक्टिवली रोकना समझा बुझा कर हस्तक्षेप करके नहीं, नाट बाई बौसिंग, अपना अधिपत्य जमा कर नहीं, किन्तु जैसा मैंने कहा उनके साथ सम्पर्क स्थापित करके, डायरेक्ट अप्रोच और अपील के द्वारा कोई ऐसी मशीनरी बनानी चाहिए जो स्टेट्स के उन कामों के ऊपर दृष्टि रक्खे। यह साधारण नियम है कि सहायता पाने वाला अपने काम की रिपोर्ट सहायता देने वाले के पास भेजता है, और इसमें बड़े और छोटे का कोई भेद नहीं है और फिर आखिर केन्द्र का स्थान उस एकांगी शरीर में बड़ा ही है और इस नाते भी उसका हमारे कामों पर दृष्टि रखना और सलाह मशविरा देना अनुचित नहीं है ।

मैं पूर्वी यू० पी० के ज़िलों से आता हूं, और यह वाक़या है कि यू० पी० के यह पूर्वी ज़िले बहुत पिछड़े हुए हैं और पूर्वी यू० पी० का विकास १८५७ से लेकर आज तक किसी अंश में नहीं हो पाया । आज भी वहां अकाल की सी स्थिति जारी है। अभी उस दिन माननीय खाद्य मंत्री ने बताया कि इस वक्त केन्द्र द्वारा जो खाद्य सहायता दी जा रही है, उस का बहुत बड़ा भाग उत्तर प्रदेश को दिया गया है और खेती के विकास इत्यादि के लिए पूर्वी ज़िलों को बहुत काफ़ी सहायता दी जा रही है । यू० पी० के ये पूर्वी ज़िले आज स्केयरसिटी डिसट्रिक्टस् के नाम से प्रसिद्ध हो गये हैं और यदि मैं आपके सामने उनका चित्र रक्खूं तो आपको आश्चर्य होगा कि इस ज़माने में भी आज के इस युग में वहां पर बसने वाले चमार और दूसरी जातियों के ग़रीब लोग काऊ-डंग में से जो अनाज निकलता है, चना गेहूं आदि उसको धो कर और पीस कर उसका आटा खाते हैं, वहां की स्थिति यह है । ये ज़िले बड़े क्रान्तिकारी ज़िले रहे हैं और उन्होंने सदैव राजनैतिक क्रान्तियों में बहुत बड़ा भाग लिया है, किन्तु यह खेद की वस्तु है कि उनके विकास कार्य को सदियों से उपेक्षित किया गया है और आज विकास योजना के लिए जो भी पैसा आप खर्च करते हैं, जो कुछ आप दे रहे हैं और वहां पर जो कुछ किया जा रहा है, वह नाकाफ़ी साबित होगा अगर उस पर कड़ी निगाह न रक्खी जायगी कि आया उसका पूरा सदुपयोग उन ज़िलों के विकास के लिए हो रहा है कि नहीं हो रहा है ।

मैं एक निवेदन और किया चाहता हूं कि हमारे देश में खादी डेवलपमेंट के लिए हैंडलूम इंडस्ट्री में सेस लगाने का जो बिल आया है उसके लिए सरकार बधाई की पात्र है । फ़ाइव इयर प्लान के सफ़े १४३ पर जो छोटे उद्योग धंधों की बाबत ज़िक्र है, उन शब्दों को मैं पढ़ कर हाउस का समय लेना नहीं चाहता, वह सब चीज़ हाउस के सामने मौजूद

है, उसमें छोटे उद्योग धंधों के रक्षण के हेतु चिन्ता प्रकट की गयी है और यह कहा गया है कि छोटे उद्योग धंधों की रक्षा करना हमारा कर्त्तव्य होगा, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि वह रक्षा तब तक नहीं हो सकती जब तक हम केवल सेस के ऊपर ही निर्भर करेंगे, हमको उसके लिए और अधिक उद्योग और प्रयत्नशील होना पड़ेगा । आज बाटा की फैक्टरी ने चमड़े के जूते बनाने के आगरे और कानपुर के व्यापार को तबाह कर दिया है, फैक्टरी लेबर की तो हम चिन्ता करते हैं लेकिन अपने हाथ से और अपनी कतरनी और रांपी से जो जूता बनाने का छोटा मोटा काम करते हैं, उनकी रक्षा की तरफ़ हमारा ध्यान नहीं जाता, उनकी रक्षा के लिए और हैंडलूम इंडस्ट्री के गरीब आदमियों की रक्षा के लिए आपको कोई न कोई सीमा निर्धारित करनी पड़गी कि इतनी हद तक का कपड़ा वह बना सकें और इतनी हद तक की चीज़ें ये बना सकें, इस तरह की कोई योजना बना कर जब तक उनकी रक्षा का प्रयत्न नहीं किया जायगा, तब तक काम नहीं चल सकता ।

घंटी तो बज गयी है, मुझे अभी बातें तो बहुत कहनी थीं, लेकिन मैं अब उनको कहने के लिए आग्रह नहीं करूंगा और मैं केवल एक चीज़ कह कर बैठ जाऊंगा । शिक्षा के सम्बन्ध में मैं आप से कुछ कहना चाहता हूं । शिक्षा की विधि आज हमारी यह बन गयी है कि यह तमाम स्कूल, कालिजों की पढ़ाई और अक्षर ज्ञान, इसी तरफ सारी शिक्षा चलाई जा रही है, और एक मात्र उद्देश्य यह रहता है कि किसी प्रकार वहां से डिग्रियां प्राप्त करके सरकारी नौकरियों में प्रविष्ट हुआ जा सके, जिसका नतीजा यह हो रहा है कि हमारे देश में हाथ से काम करने वालों और खेतों में अनाज पैदा करने वाले हैंड्स कम होते जा रहे हैं, आज हमारी हालत यह हो गयी है कि हम अमरिका से गेहूं मंगा कर उनको फ़ीड करते हैं और कर्ज़ा लेते हैं तो उस का तो परिणाम यही होगा कि कर्ज़ा खिलाये, पूत बिकाये । हम दिन प्रतिदिन पराधीन होते जाते हैं और इस तरह हम यहां के लोगों के काम करनें वालों के हाथ पांव में बेड़ियां बांध देते हैं । पढ़ाई का ढंग ऐसा होना चाहिए कि जिससे वह जाकर खुद अपने हाथों से काम करें और देश के उत्पादन कार्य को बढ़ायें, न कि इस प्रकार की शिक्षा उन्हें दी जाय जिससे वह शिक्षा प्राप्त करके सुफेद हाथियों की तरह से नौकरी के लिए उन की दरख्वास्त आजाय कि उनको इम्पलायमेंट दिया जाय, और फिर डफ़िसिट फाइनेंसिंग तो हमारी है ही, बस कागज़ का नोट छापते चले जावो, तो इस तरह से तो कोई देश तरक्की नहीं कर सकता । वास्तव में धन वह कागज़ के नोट नहीं हैं, वास्तविक धन तो श्रम ही है, और श्रम दे नहीं पाते, श्रम हम फ़िकटीशियस देते हैं, एक आध कागज़ की फाइल पलटवा देते हैं, लेकिन उन कागज़ की फ़ाइलों के पलटने से न तो हमको एक पत्ती चाय की मिलती है और न ही अनाज का एक कण मिलता है । इस तरह के कामों को काम समझ कर और निरन्तर सुफ़ेदपोशों की जमात को बढ़ाते रहना और अपनी शिक्षा और सामाजिक स्ट्रक्चर को ऐसा बनाना, मैं एक अभिशाप समझता हूं । जिस देश में बाहर से अन्न मंगाया जाता हो और वह देश

जिसको सदा से कृषि प्रधान देश माना गया है, वहां यह बात चलती रहे, तो यह हमारे लिए बड़ी लज्जा की बात है। हमने यह चेष्टा नहीं की कि छोटे २ उद्योग धं ों को छोटे आकार पर चला कर, जैसे कुओं को पक्के करवाना और खुदवाना और रहट लगाना आदि ऐसे काम करने की ओर हमारा ध्यान नहीं गया जिससे हमारे देश में अनाज की पैदावार बढ़ सके, उन कार्यों की ओर हमारा ध्यान कम गया है और यही कारण है कि हमें जितने विकास की आशा थी, उसको पूरा नहीं कर पाये हैं। इन शब्दों के साथ मैं अधिक समय न लेता हुआ अपने भाषण को समाप्त करता हूं और मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि —

'न क़ंचिदवमन्येत, सर्वस्य श्रृणुयान्यतम्"

कौटिल्य का जो वाक्य है उसमें यह कहा गया है कि लोगों की बात सुननी चाहिए और किसी को तिरस्कृत और अपमानित न करना चाहिए और यह एटीच्यूड कि 'कि आई डोन्ट केयर फ़ार यू,' न रखकर हमको अपने शासन की व्यवस्था ठीक प्रकार से चलानी चाहिए। चूंकि अभी २ उपशिक्षा मंत्री यहां आकर बैठ गये हैं, इसलिए जो ख्याल आगया है उसको चन्द शब्दों में व्यक्त किये देता हूं....

उपाध्यक्ष महोदय : इसका अर्थ यह नहीं कि जब कभी कोई नया मंत्री आये, माननीय सदस्य पुनः प्रारम्भ करें।

श्री अलगूराय शास्त्री : और यह बात मुझ इसलिए भी बहुत आवश्यक प्रतीत हुई कि इस समय हमारे उत्तर प्रदेश में अध्यापकों की हड़ताल चल रही है और मेरा आपसे कहना है कि उसकी तरफ़ आपका ध्यान देना ज़रूरी है। केन्द्र को सहायता देने के साथ यह देखना भी ज़रूरी है कि किसी स्टेट में कोई किसी क़िस्म की इमरजेंसी तो नहीं हो गयी है, वहां की सिचुएशन को मौका बेमौका देखने के लिए और उस पर कंट्रोल रखने के लिए प्रदेश की सरकार से मिल जुल कर सहयोग की भावना से, शासक अथवा बड़े के रूप में नहीं, किन्तु एक सहयोगी के रूप में केन्द्र को अपना पार्ट अदा करना चाहिए। बस मेरा इतना ही निवेदन है।

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : मैं उनके पास बैठा हूं केवल उनके साथ सहानुभूति प्रकट करने के लिये।

श्री एन० बी० चौधरी (घाटल) : यद्यपि देश में अकाल तथा बेकारी बढ़ती जा रही है किन्तु फिर भी वित्त मंत्री के प्रस्ताव उन लोगों पर और अधिक कर भार बढ़ाने के जान पड़ते ह जो बेचारे गरीब लोग पहले से ही संकट ग्रस्त हैं। उदाहरण के लिये सुपाड़ी शुल्क को ही ले लीजिये। यद्यपि यह साधारण सा जान पड़ता है फिर भी इससे करोड़ों रुपये की आय सरकार को प्रतिवर्ष होती है।

यद्यपि सरकार का विचार है कि वह उत्पादक को सहायता देने की दृष्टि से आयात शुल्क बढ़ा रही है किन्तु सरकार उपभोक्ता द्वारा दिये जाने वाले अधिक मूल्य की ओर किंचित मात्र भी ध्यान नहीं दे रही है। अभी हाल ही में कलकत्ता में सुपाड़ी की कीमत ५० रुपये से लेकर ६० रुपये प्रति मन अचानक ही बढ़ा दी गई। इसका पता कैसे चला कि

[श्री एन० बी० चौधरी]

इस पर कर लगनें जा रहा है ? इसका अर्थ यह है कि वित्त मंत्रालय में ही कुछ गड़बड़ी है ।

कृषि मंत्रालय के अनुसार सुपाड़ी समिति के कार्य सुपाड़ी के उच्चतम तथा न्यूनतन मूल्य निर्धारित करना एवं नियंत्रित क्रय तथा आयात की गई मात्रा पर विचार करना है। बाहर से सुपाड़ी बहुत सस्ते मूल्य में आती हैं । समिति की सिफारिश है कि जब तक आयात पर प्रतिबन्ध नहीं लगेगा, जो बाहर से बहुत सस्ते भाव पर आती है, यहां भी मूल्य बहुत कम हो जायेंगे और उत्पादकों पर इसका प्रभाव पड़ेगा हम जानते हैं कि इससे ४ करोड़ रुपये की सरकार को आय है किन्तु सीधी गणना के अनुसार यदि अंग्रेजी राज्य की कुछ बस्तियों से ७$^{१}/_{२}$ आने प्रति मन के भाव से भी कर लगाया जाय, जो छः पाई प्रति मन हैं तो यह राशि लगभग दस करोड़ रुपये होती है। इस हिसाब से दो ही बातें हो सकती हैं कि या तो उपभोग की मात्रा जो ५१ लाख मन है, वह गलत है या यहां पैदा की जाने वाली मात्रा जो २५ लाख मन बताई गई है वही गलत है या इसमें कुछ गोलमाल है अथवा कहीं और पर कुछ गड़बड़ी है।

उत्पादकों को सहायता करने के कई उपाय हो सकते हैं। जैसा कि समिति ने बताया है कि एक सामान्य संचय प्रारम्भ कर सकते हैं। इसके मूल्य पर कुछ नियंत्रण लगा दिया जाय । उपर्युक्त समिति द्वारा इस पदार्थ का मूल्य १०० रु० प्रति मन से कहीं कम बताया गया है किन्तु यह बिकती लगभग ४ रु० सेर है। अतः उच्चतम एवं न्यूनतम मूल्य निर्धारित कर दिये जाने चाहिये ।

उत्पादकों को सहायता करने की दृष्टि से इसका आयात धीरे धीरे बन्द कर देने का प्रस्ताव रखा गया था किन्तु इससे राज्य की आय कम होती है । अतः यह अभी ठीक नहीं समझा गया इसका अर्थ यह है कि उत्पादकों के लिये उपभोक्ताओं से अधिकाधिक कर वसूल किया जाता है जो अनुचित है । शक्कर, जूट तथा अन्य ऐसी ही वस्तुओं के उचित न्यूनतम मूल्य निर्धारित कर दिये जाने चाहिये किन्तु इस बात का ध्यान रहे कि उपभोक्ता पर इसका भार अनुचित ढंग से न बढ़ने पाये । आयात किये जाने वाले देशों तथा यहां के मूल्य में बहुत अंतर हैं। यह पाकिस्तान, लंका तथा कुछ अन्य देशों से आयात की जाती हैं । पाकिस्तान से लगभग औसतन एक करोड़ रु० की प्रतिवर्ष आयात की जाती है । हमें देखना यह है कि आयात करने वाले तथा अन्य लोग मिलकर एकाधिकार स्थापित न कर लें और उपभोक्ता का शोषण करें। गांव के सुपाड़ियों के गरीब लोग छुहारे की गुठली आदि मिला लेते हैं जिससे कभी छूत की बिमारियां फैलती हैं।

[श्रीमती रेणु चक्रवर्ती अध्यक्ष-पद पर आसीन हुई ।]

अब मैं पश्चिमी बंगाल से आने वाली जूट के प्रश्न पर आ गया हूं । एक सदस्य ने अभी कल ही बताया कि उस का न्यूनतम मूल्य तय कर दिया जाना चाहिये। इस बार इस पर किसान सभा तथा जूट उत्पादकों द्वारा बड़ी उत्तेजना फैली किन्तु सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। जूट तथा चाय उद्योग बड़े

बड़े अंग्रेज व्यापारियों के हाथ में हैं। हमारी सरकार उनके हाथों का खिलौना है। उन्हीं के कथनानुसार सरकार ने एकदम निर्यात शुल्क १८० रु० से घटाकर ७५ रु० कर दिया। सरकार इस सम्बन्ध में उद्योगपतियों को सहारा देती हैं उत्पादकों को नहीं। जब तक न्यूनतम मूल्य जूट का निश्चित नहीं कर दिया जायगा, लोगों को बड़ी हानि उठानी पड़ेगी और पंचवर्षीय योजना में जहां तक जूट का सम्बन्ध है पूर्ण न हो सकेगी। उत्पादकों से अधिक उत्पादन करने के लिये कहा जाता है किन्तु दूसरी ओर छटनी, उत्पादन व्यय से भी कम मूल्य किया जा रहा हैं। अतः उनको जीवित रहने भर को भी मज़दूरी नहीं मिल पाती। अब चाय के सम्बन्ध में सुना है कि उपभोक्ता पर भी कर लगाया जायगा। यही इतना बड़ा परिवर्तन किया जा रहा है। किन्तु इसके विपरीत प्रचार यह किया जा रहा कि इस वर्ष कर इतने अधिक नहीं लगाये गये हैं। चाय को तो छोटे बड़े सभी लोग पीते हैं, अतः चाय पर कर लगाने का प्रभाव जन-साधारण पर पड़ता है। आपकी नीति जनसाधारण को हानि पहुंचा कर उद्योग-पतियों, विशेषतः विदेशों के निहित स्वार्थों को प्रसन्न करने की है।

श्री चन्दा ने जो अब सरकारी बेन्च पर बैठते हैं कहा था कि अध्यापकों की दशा शोचनीय है। उन्हें इतना भी वेतन नहीं दिया जाता जितना सरकारी कार्यालयों के निम्नतम कर्मचारी को मिलता है। इस प्रकार हम करों से प्राप्त धन को केवल धनियों के बालकों पर व्यय कर रहे हैं। चंदा जी ने कहा था कि दो लौरेन्स विद्यालयों पर साढ़े चौदह लाख रूपये व्यय किये जाते ह जहां कि केवल ६९९ बालक हैं। एक बालक पर इस प्रकार २००० रुपये व्यय होते हैं जो कि कई स्थानों पर कालेजों के प्राध्यापकों को भी नहीं मिल पाते।

उत्तर प्रदेश में अध्यापक अधिक वेतन मांगते हैं तो उन्हें कारावास तथा दंड दिया जाता है। उन्हें कई स्थानों पर २५ रुपये भी नहीं मिल पाते और वे अकथनीय कष्ट उठाते हैं। कुछ धनी बच्चों पर ही भारी राशि व्यय की जाती है, परन्तु निर्धन बालकों को प्राथमिक शिक्षा से भी वंचित रहना पड़ता है। विश्व भारती जैसी संस्थाओं को अधिक धन मिलना चाहिये परन्तु उन्हें जो लाखों रुपये दिये जाते हैं वे भी तो ठीक प्रकार व्यय होने चाहिये जिससे की रविन्द्र नाथ ठाकुर की स्मृति को लाभ पहुंचे।

श्री एन० एम० लिंगम (कोयम्टूर): कहा जाता है कि सभा में एक ही बात प्रायः दोहराई जाती है कि सरकार जनता की दशा सुधारने के लिये बहुत धीरे कार्यवाही कर रही है। सरकार और वित्त मंत्री यदि इस एक ही पाठ को हृदयंगम करलें तो इस लम्बे वाद-विवाद का प्रयोजन बहुत कुछ सिद्ध हो जायेगा। वित्त मंत्री की वित्तीय प्रस्थापनाएं चाहे कितनी ही अच्छी क्यों न हों, उनसे हमारे देश में स्वर्ग की स्थापना नहीं हो सकती क्योंकि हमारा देश अभी बहुत कम विकसित है और हमारी जटिल समस्याओं का समाधान समुचित करारोपण से ही नहीं हो सकता। हमारे यहां उत्पादन-वृद्धि, व्यापार वृद्धि के साथ साथ अकिंचनता तथा दरिद्रता भी बहुत है। इतने अल्प विकसित देश में सरकार द्वारा अपनाए गये उपाय अधिक प्रभावी नहीं हो सकते।

प्रधान मंत्री ने कहा कि हमारे देश में इस पीढ़ी को तो कठोर श्रम का अभिशाप

मिला ही हुआ है। स्वतंत्रता प्राप्ती के पश्चात हमें अपूर्व त्याग तथा प्रयास करने हैं। तभी हम अपने लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठा सकते हैं।

परन्तु हमारे यहां साधनों की कमी नहीं है और हमारे लोगों ने एक सहस्त्र वर्ष की दासता तथा कष्टों को झेला है और न्यूतम से निर्वाह करना सीखा है। अतः उपयुक्त पथप्रदर्शन तथा प्रेरणा पाकर वे पंचवर्षीय योजना के उद्देश्यों को पूरा करने में भागीरथ प्रयत्न कर सकते हैं।

क्या पंचवर्षीय योजना अपनी योजना तथा अल्पतम समय में जनता के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के प्रयोजन को पूरा करती है? और चाहे कोई कुछ भी कहे पर मैं तो समझता हूं कि सरकारी कार्यवाहियों की प्रगति मंद है। वर्तमान परिस्थितियों और ढांचों को दोष नहीं दिया जा सकता क्योंकि मेरा विश्वास है कि इनके होते हुए भी विकास सम्बन्धी तथा लोक हितकारी कार्यों की गति को बढ़ाया जा सकता है। सरकार लोगों में इस योजना के प्रति अधिक उत्साह उत्पन्न नहीं कर सकी है, और यह बात निश्चित है कि जनता की रुचि तथा उत्साह की मात्रा पर ही बहुत हद तक इस योजना की सफलता निर्भर है।

अब मैं पंचवर्षीय योजना की अभिपूर्ति के एक दो पहलुओं के विषय में कुछ कहूंगा। इस योजना में विस्तार पूर्वक देश के प्रशासकीय ढांचे में परिवर्तनों तथा जन-सहयोग के विषय में कहा गया ह। पर मैं समझता हूं कि ये प्रस्ताव विषय के उद्देश्य तक ज़रा भी नहीं पहुंचते हैं क्योंकि केन्द्र तथा राज्य दोनों में ही क्रमशः राज्यों तथा जिलों के संबंध में बहुत अधिक केन्द्रीकरण है। यह अत्यन्त आवश्यक है कि जिला स्तर के लोगों को शक्ति प्राप्त होनी चाहिये। योजना आयोग द्वारा जिला स्तर पर जो शासन तंत्र बनाया जा रहा है, वह प्रयोजन को सिद्ध नहीं करता। मेरा विचार तो यह है कि जिला स्तर के प्रशासन में वैधानिक रूप से गैर सरकारी लोगों को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए। सरकारी नौकरों के दृष्टिकोण तथा उनके व्यवहारों में आमूल्य परिवर्तन करने के लिए सरकार के ढांचे को एकदम बदल देने की आवश्यकता है। इस प्रशासकीय ढांचे के कायाकल्प के प्रश्न पर सरकार को बहुत शीघ्र विचार करना चाहिये। अर्थाभाव के बहाने से इस को टाला नहीं जा सकता।

जब तक कि सरकारी नौकरों का वर्तमान दृष्टिकोण बदलता नहीं तब तक सरकार को इस संबंध में जनसहयोग प्राप्त होना बहुत मुशकिल है। जब तक लोगों के जीवन से किसी भी प्रकार सरकारी कार्यवाहियों का महत्वपूर्ण संबन्ध नहीं होता तब तक वे उस में कोई भी रुचि नहीं दिखायेंगे। इसके अतिरिक्त उक्तयोजना में जिला बोर्डों और सहकारी संस्थाओं के जैसी स्थानीय संस्थाओं के कार्य पर बहुत अधिक विश्वास किया जा रहा है। यह उचित नहीं प्रतीत होता क्योंकि उन स्थानीय संस्थाओं का कार्य संचालन अत्यन्त असंतोषजनक है और उनके प्रति लोगों की श्रद्धा भी नहीं है। अतः योजना आयोग को इन स्थानीय संस्थाओं को और अधिक क्रियाशील बनाने का प्रयत्न करना चाहिए।

अन्त म मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र के एक प्रश्न के संबंध के बारे में कुछ कहूंगा। वहां

पर एक सुन्दर पहाड़ी स्थान है जहां पर दो या तीन बड़ी बड़ी जल विद्युत योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं लेकिन भूमि क्षरण और वन को काटने की समस्याओं के फलस्वरूप इन योजनाओं के विद्युत उत्पादन पर लगभग ७० प्रतिशत कटौती लगानी पड़ी है । इससे उस स्थान को तथा दक्षिण भारत की आर्थिक व्यवस्था को बहुत हानि पहुंच रही है । सरकार को उक्त दोनों समस्याओं को हल करने के लिए शीघ्र प्रयत्न करने चाहिये नहीं तो उक्त योजनाओं में लगा हुआ करोड़ों रुपया डूब जायेगा । राज्य सरकार स्थिति को संभालने में असमर्थ है । वित्त मंत्री को इस प्रयोजन के हेतु विशेष अर्थ सहायता अथवा अनुदान देना चाहिये ताकि अन्य चीजों के अतिरिक्त वहां की आर्थिक दशा सुधारने और पर्यटक यातायात के विकास की दिशा में कुछ कार्य हो सके ।

श्री दामोदर मेनन (कोजिकोड): कांग्रेसी सदस्य श्री अलगू राय शास्त्री ने एक जन-सहयोग मंत्रालय बनाने का सुझाव रखा है। पर मेरा विचार है कि ऐसा करने से इस देश के राजनैतिक तथा आर्थिक वातावरण में कोई आश्चर्यजनक परिवर्तन नहीं हो सकता। जन-सहयोग तो तभी प्राप्त हो सकता है जब कि सरकार ऐसे कार्यक्रम अपनाए जिन से जनता में उत्साह उत्पन्न होता हो । पर साधारणतः सरकार ऐसे कार्यक्रमों को स्वीकार करने में बहुत बहाने बाजी करती है। जन-सहयोग की समस्या को मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखना चाहिए ।

पंचवर्षीय योजना में उत्पादन के संबंध में बहुत सी बातें कही गई हैं, लेकिन खेद है कि उस में वितरण की कोई चर्चा नहीं की गई है । जन-सहयोग तभी प्राप्त हो सकता है जब कि लोग यह जाने कि इस देश के आर्थिक वितरण में न्याय होता है आपके पास वितरण का भी एक निश्चित कार्यक्रम होना चाहिए। श्री जयप्रकाश नारायण ने इसी प्रकार का एक कार्यक्रम श्री जवाहरलाल नेहरू को भेजा था । यद्यपि उस में कोई भी अड़चन की बात या कमी नहीं थी फिर भी कांग्रेसी नेताओं ने उसे स्वीकार नहीं किया। उसके विषय में कहा यह गया कि इस की अपेक्षा कांग्रेसी कार्यक्रम कहीं अधिक उग्र सुधारवादी है, पर मैं यह पूछता हूं कि यदि यह सच है तो वह कांग्रेसी कार्यक्रम कार्यान्वित क्यों नहीं किया जा रहा है ? उसके मार्ग में बाधा क्या है ?

पिछले अवसर पर मैंने बैंकों तथा बीमा के राष्ट्रीयकरण के लिए कहा था पर वित्त मंत्री ने उस को मानने में असमर्थता प्रकट की थी वर्तमान भारतीय अर्थ व्यवस्था को देखते हुए। वे इन के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में नहीं थे ।

लेकिन आज मैं उनके सामने राज्य व्यापार के प्रगतिशील विकास के हेतु एक दूसरा प्रस्ताव रख रहा हूं । यद्यपि सरकार के विरुद्ध नहीं है, फिर भी वह इस दिशा में आगे बढ़ने में झिझक रही है । वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय की अनुदानों के लिए मांग के ऊपर होने वाले वादविवाद में श्री टी० टी० कृष्णमाचारी ने जूट के निर्यात व्यापार के राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में ऐसी ही बात कही थी। वे उसके राष्ट्रीयकरण के विरुद्ध नहीं थे पर वैसा करने ो उन्हें हिम्मत नहीं पड़ रही थी---हानि के भय से। शायद हमारे वित्त मंत्री योग्य कर्मचारियों की कमी का बहाने बताएं । १९४८ में सरकार एक ऐसी संस्था बनाने का विचार कर रही थी जिस में व्यापार संबंधी तरीकों और प्रबन्ध कार्य में प्रशिक्षित लोग हों ।

क्या मैं जान सकता हूं कि उसका क्या हुआ ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): वह बात तब की है जब आप हम लोगों के साथ थे ।

श्री दामोदर मेनन : मैं यह जानना चाहता हूं कि उस कार्य में क्या प्रगति हुई है ? गत पांच वर्षों में आपने क्या उस के लिए कुछ भी किया है ? ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार इसको अधिक महत्व नहीं देती थी । मेरा सुझाव है कि यदि सरकार वास्तव में इस कार्य को करना चाहती ह तो अच्छा हो कि वह बेकार बैठे हुए पढ़े लिखे नवयुवकों को ऐसा प्रशिक्षण दे कर तैयार करले । इस प्रकार आपको अपने इस प्रयोजन के लिए बहुत से प्रशिक्षित व्यक्ति प्राप्त हो सकते हैं । योजना आयोग के प्रतिवेदन के अनुसार भारत का निर्यात व्यापार बहुत कम हो गया है, अतः आवश्यकता इस बात की है, कि उसको बढ़ाया जाय । पंचवर्षीय योजना की अभिपूर्ति के लिए भी उसको बढ़ाना आवश्यक है । ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार भी ऐसा ही सोच रही है क्योंकि कल ही वित्त मंत्री ने एक विधेयक प्रस्तुत किया था जिसका मुख्य उद्देश्य निर्यात व्यापार को बढ़ावा देना था । यदि हमारी यही नीति है और हम निर्यात व्यापार का विकास चाहते है और राज्य उस पर काफी नियंत्रण रखना चाहता है तो जूट, सूती कपड़ों, चाय, मिर्च, काफी तथा अन्य वस्तुओं के निर्यात व्यापार का राष्ट्रीयकरण करके इस कार्य को शुरू कराना चाहिए । इसका फल यह होगा कि हम अपने निर्यातों की योजना बना सकेंगे, तथा अन्य विदेशों के साथ वस्तु विनिमय कर सकेंगे जिनसे हमें अपने विकास कार्यक्रमों के लिए आवश्यक सामग्रियां प्राप्त हो सकती हैं ।

मालाबार तथा आस पास के अन्य प्रदेशों से मिर्च, दालचीनी, नारियल की जटा के उत्पाद और काजू निर्यात होते हैं । किन्तु खेद है कि इन फसलों पर न तो केन्द्रीय सरकार और न राज्य सरकार ही उचित ध्यान देती है । फलस्वरूप न की दशा बड़ी खराब है और इन के उत्पादकों को उचित लाभ नहीं प्राप्त हो पाता । क्या केन्द्रीय सरकार के लिए यह संभव नहीं है कि वह इन वस्तुओं में राज्य व्यापार करे जिस से उत्पादकों को भी उचित लाभ प्राप्त हो सकेंगे क्योंकि तब बीच के दलाल लोग समाप्त हो जायेंगे । मैं वित्त मंत्री से फिर कहूंगा कि वह निर्यात व्यापार का राष्ट्रीयकरण करें ।

मालाबार में जंगलों पर गैर सरकारी व्यक्तियों का स्वामित्व है वे जंगल बहुत मूल्यवान हैं और यदि मनमाने शोषण से वे नष्ट हो जाते हैं तो यह एक भारी राष्ट्रीय क्षति होगी जैसा कि निलम्बूर के एक जंगल में हो रहा है । उस में इतनी अधिक इमारती लकड़ी है कि वहां पर बड़ी आसानी से एक अखबारी कागज का कारखाना खोला जा सकता है, पर ११२ भागीदारों के बीच में बंट कर और उन के द्वारा मनमाने शोषण से वह जंगल बिल्कुल बेकार सा हो जायेगा। अतः इस जंगल को व्यक्तिगत हाथों में छोड़ने से भारी राष्ट्रीय क्षति होगी । अतः मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि वह इस मामले में अपना कदम उठाए और उस जंगल का तुरंत राष्ट्रीयकरण करके उस को अपने नियंत्रण के अधीन करले ।

श्री सी० डी० पाण्डे (जिला नैनीताल व जिला अलमोड़ा—दक्षिण-पश्चिम व जिला बरेली—उत्तर) : वित्त मंत्री दो प्रकार के विचार उत्पन्न करने में सफल रहे हैं। एक तो यह कि इस वर्ष का आय-व्ययक कोई और कर के न लगाए जाने के कारण एक ऐसा आय-व्ययक है जिसका लोग स्वागत करेंगे। और दूसरा विचार, जिसको कि मैं गलत समझता हूं यह है कि इस देश में कर बहुत कम है और यहां पर और लगाए जा सकते हैं। और कर लगाने की बात श्री गाडगिल ने भी कही थी। यह बड़े दुःख की बात है। लोग पहले से ही करों के भार से पिसे जा रहे हैं। उन पर और अधिक करारोपण अत्यन्त अन्याय पूर्ण कार्य होगा। वित्त मंत्री को तो यह चाहिए था कि वे आवश्यक मदों में कर की छूट दे कर लोगों के आर्थिक कष्ट को दूर करते, जैसा कि ब्रिटेन में किया गया है। इस देश में वित्त मंत्री ने केवल आय-कर की मुक्ति की सीमा को ३६०० रुपए से बढ़ा कर ४२०० रुपए तक कर दिया है। पर यह कार्य भी किसी दया भाव से नहीं बल्कि अपनी प्रशासकीय कठनाइयों के कारण किया गया है। अच्छा तो यह होता कि यह सीमा बढ़ा कर ४८०० रुपए तक कर दी जाती जिस से ४०० रुपए प्रति माह आय वाले लोगों को भी लाभ हो सकता है। ४०० रुपए प्रति माह की आय वाला व्यक्ति १५० रुपए प्रति वर्ष कर के रूप में देने में असमर्थ होता है क्योंकि उसकी जिम्मेदारियां बहुत अधिक होती हैं।

उन्होंने कहा है कि आयात तथा निर्यात शुल्क जो विलास सामग्री पर लिया जाता है उस के अतिरिक्त प्रति साधारण मनुष्य को दो रुपया कर स्वरूप और देना होता है। मैं यह नहीं समझ सका कि उन्होंने यह निष्कर्ष किस प्रकार निकाला है। उन्हें यह नहीं सोचना चाहिए कि वह कितना कर लगाते हैं? देश में कर लगाने वाले तीन अभिकरण हैं (१) स्थानीय संस्थाएं जैसे नगरपालिकाएं तथा ज़िला बोर्ड (२) राज्य तथा (३) केन्द्रीय सरकार। केन्द्रीय सरकार प्रति मनुष्य से १२ रुपया, राज्य सरकार १३ से १४ रुपया और ज़िला बोर्ड भी १३ से १४ रुपया लेता है। अब तनिक देखिए कि एक थोड़ी सी वेतन वृत्ति वाले जिसे २५१ रुपया मिलते हों उस पर ४० रुपया कर का हो जाता है। ४० रुपया कर बहुत बुरी बात है। क्या आप सोच सकते हैं कि एक परिवार जिसकी आय १००० रुपया प्रति मास हो वह १६० रुपया प्रति मास कर में दे सकता है?

प्रशासन भी बड़ा महंगा होता जा रहा है। कर तथा उत्पादन शुल्क को एकत्रित करने में ८५५ लाख रुपया दो वर्ष पूर्व हुआ था, किन्तु पिछले वर्ष ८५५ लाख की अपेक्षा यह २३ करोड़ हो गया एक वर्ष में ही १५ करोड़ रुपया बढ़ गया। पहले वर्ष की अपेक्षा पिछले वर्ष १५ करोड़ रुपया अधिक भी खर्च कर दिया और धन भी कम एकत्रित किया गया।

श्री सी० डी० देशमुख : उत्पादन शुल्क इकठ्ठा करने का काम हम ने राज्य सरकारों को सौंप दिया है।

श्री सी० डी० पांडे : किन्तु उस शुल्क को इकट्ठा करने पर खर्च तो किया है। मेरा कहने का तात्पर्य तो यह है कि आपने इस मामले में कोई बचत नहीं की। प्रशासन पर होने वाले खर्चे में कमी करने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया है।

उदाहरण के लिए में मंत्रीमंडल को ही लेता हूं । यह कहां तक ठीक है कि देश में ४० मंत्री हों । आखिर हमारे यहां राज्य सरकारें भी तो हैं वे भी तो दूसरे देशों में केन्द्रीय सरकार का कार्य कर रहीं हैं । यदि शिक्षा मंत्रालय तथा स्वास्थ्य मंत्रालय को बिल्कुल ही समाप्त कर दिया जाता है तो देश को कोई हानि नहीं होगी । मेरी समझ में नहीं आता कि योजना तथा उत्पादन मंत्रालय की ही कौन ऐसी आवश्यकता है । योजना आयोग काफी है जो योजना बनाता है और जिसमें तीन या चार गणमान्य व्यक्ति हैं । साधारण रूप से तो यह होता है कि योजना आयोग योजनाएं तैयार करता है और उत्पादन मंत्री उन्हें कार्यान्वित करता है । श्रम मंत्रालय को भी किसी दूसरे मंत्रालय में विलय किया जा सकता है क्योंकि इस मंत्रालय में कोई यथेष्ट काम नहीं है । मेरा कहने का तात्पर्य तो यह है कि खर्चा कम करने के लिए पूरा पूरा प्रयत्न होना चाहिए । एक मंत्रालाय पर लगभग १० लाख रुपया खर्च होता है । यदि एक मंत्रालय भी आपने बंद कर दिया तो १० लाख रुपया की बचत हो जाती है । हमारे देश में ४० मंत्रियों की कोई आवश्यकता नहीं है । केन्द्रीय सरकार का कार्य तो बहुत से मामले में पुनरावृत्ति करने का होता है । शिक्षा, स्वास्थ्य, तथा श्रम का कार्य तो राज्य सरकारें देख सकती हैं ।

कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका राष्ट्रीयकरण होना बहुत ही आवश्यक है । उदाहरण के लिए इम्पीरियल बैंक को ही लीजिए इस से प्रति वर्ष १३० लाख रुपये का कुल लाभ होता है । इस बैंक को लाभ आज इसलिए हो रहा है कि सरकार का काफ़ी रुपया यहां जमा रहता है इससे इसकी साख बनी रहती है । और यही कारण है कि इसे इतना लाभ होता है । किन्तु दूसरी ओर यदि आप रिज़र्व बैंक के द्वारा एक अपना अभिकरण बना लें तो आपको भी लगभग १ करोड़ प्रति वर्ष की आय हो सकती है । अतएव सरकार को बड़े ध्यानपूर्वक प्रशासन में बचत करने की बात को सोचना चाहिए ।

श्री मात्तन (तिरुवल्ला) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं क्या इस आयव्ययक को तैयार करते समय वित्त मंत्री ने कभी यह भी सोचा था कि कीमतों में आम कमी भी होगी ? किस प्रकार यह गिरे हुए मूल्य हमारे राजस्व पर प्रभाव डालेंगे ? पंचवर्षीय योजना पर इसका क्या प्रभाव होगा । त्रावनकोर कोचीन में प्रारम्भ में चार अभिकरण थे जिसके पास मोनाज़ाइट तथा इल्मेनाइट का काम करने के लिए अनुज्ञप्ति पत्र थे । किन्तु एकीकरण होने से पूर्व त्रावनकोर सरकार ने तीन अभिकरणों से यह अनुज्ञप्ति पत्र ले लिये । चौथे अभिकरण के अनुज्ञप्ति पत्र की भी अवधि समाप्त हो गई । अब यह उद्योग मूल रूप से त्रावनकोर कोचीन सरकार के हाथ में है । सरकार ही इनका मूल्य तथा निर्यात के लिए परिमात्रा आदि निश्चित करती है । किन्तु अब केन्द्रीय सरकार की निगाह उस पर लग गई है और इस उद्योग को हथियाना चाहती है ।

मेरा तो यह कहना है कि केन्द्रीय सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए ।

हम नहीं चाहते कि केन्द्रीय सरकार इस उद्योग को अपनाये । हम इस उद्योग का विकास करना चाहते हैं । जो कुछ खनिज वे हम से लेना चाहते हैं वे हम उन्हें दे सकते हैं । यह भी कहा गया है कि त्रावनकोर कोचीन सरकार इस उद्योग का प्रबन्ध उचित रूप से नहीं कर रही है ।

आपका ध्यान मंत्रालय के प्रतिवेदन के पृष्ठ २१ पर उल्लिखित यूरेनियम थोरियम सयंत्र की ओर दिलाता हूं ।

"आलवी में एक सयंत्र ह जिसमें खली बनती है इस खली में थोरियम तथा थोड़ी मात्रा में यूरेनियम होता है । आगामी १५ महीने में यह सयंत्र काम करने लगेगा ।"

आलवी मेरे राज्य का एक नगर है। किन्तु अब यह कहा जा रहा है कि यह सयंत्र बम्बई में लगाया जायगा । यदि चाहे तो यह सयंत्र यहीं रह सकता है । किन्तु उनका कहना है कि वहां एक तो सलफ्यूरिक एसिड नहीं है तथा दूसरे बिजली की कमी है । जैसा कि मैंने बताया है कि 'रेयर अर्थ फैक्टरी' के निकट ही सलफ्यूरिक एसिड का एक कारखाना है जिसमें १३५ टन एसिड प्रति दिन बनती है, जो कि समस्त भारत में सब से बड़ा कारखाना होगा । किन्तु दो सयंत्र परियोजनाओं के बनने के उपरान्त जो इसी वर्ष बन कर तैयार हो जायगी ; बिजली की समस्या भी दूर हो जायगी ।

मैं ने एक अल्पकालीन प्रश्न पूछा था । माननीय मंत्री ने कहा कि नहीं यह नहीं हो सकता, क्योंकि अणुशक्ति आयोग के पास बम्बई में एक प्रयोगशाला है जिससे खली बनाने के कार्य में समय समय पर सहायता ली जा सकती है दूसरे अणुशक्ति आयोग के अध्यक्ष डा० भाभा इसकी देखभाल के लिए बहुत ही आवश्यक है और वह आलवी भी नहीं जा सकते । बम्बई को बिजली सम्बन्ध सुविधा उतनी नहीं है जितनी कि हमें। यह अणुशक्ति आयोग प्रयोगशाला तो पूर्ण रूप. से रसायन शास्त्र सम्बन्धी प्रयोगशाला है । फिर 'रेयर अर्थ फैक्ट्री' के पास भी तो अपनी प्रयोगशाला है जहां इसे बनाया जा सकता ह । मैं तो यह चाहता हूं कि यह सयंत्र आलवी में लगे ।

श्री शिवमूर्ति स्वामी (कुष्टगी) : मैंने इस सदन के सामने कर्नाटक की सिचुएशन के बारे में राष्ट्रपति के भाषण पर हुई बहस के दौरान में अपना विचार रक्खा था और आज दुबारा फिर मैं अपने भाषण में उसी कर्नाटक की सिचुएशन आपको बतलाना चाहता हूं । उस वक्त मैंने आपको बतलाया था कि किस प्रकार श्री रामुलू के त्याग से आंध्र का अलग प्रान्त बनना संभव हुआ और आन्ध्र का सवाल हल हो जाने के बाद कर्नाटक में भी वैसी ही सिचुएशन पैदा हो गई है और यह बिल्कुल स्वाभाविक है । आज कर्नाटक में परिस्थिति यह हो गई है कि हर घर का बच्चा और औरत सब इस कर्नाटक प्रान्त की मांग कर रहे हैं और आज कर्नाटक में भी शंकरगौडा हुबली नाम के ताल्लुका कांग्रेस के सदर कर्नाटक प्रान्त बनाये जाने की मांग को स्वीकार कराने के लिए उपवास कर रहे हैं और आज उनके उपवास का उन्नीसवां दिन है और उनका वज़न आज करीब पन्द्रह पौंड कम हो गया है । मालूम पड़ता है कि शायद जो कुछ आन्ध्र में हुआ, उसका रिपीटीशन आज कर्नाटक में हो रहा है ।

श्री बलीरामदास (बारपेटा) : अच्छा होगा ।

श्री शिवमूर्ति स्वामी : ठीक है, अच्छा उनके लिए होगा जो उत्तर में बसते हैं, और आज अपने २ प्रान्त बना कर मज़ा करते हैं, उन लोगों को खुशी हो सकती है, लेकिन मेरा तो कहना यह है कि जो इस तरह की हालत पैदा हो जाने पर खुशी जताते हैं और जो इस तरह अपने जीवन को बिताते हैं उन पर लानत है..... मैं आपको बतलाऊं कि आज वहां कर्नाटक प्रान्त बनाये जाने के लिए लोगों में प्रबल भावना है और आप वहां के कन्नड़ भाषा के अखबार पढ़ें तो पायेंगे कि वहां कोई ऐसा दिल नहीं, ऐसा आदमी नहीं जो इस चीज़ के लिए तड़पता न हो । वहां के हर आदमी की नज़र इस ओर लगी हुई है आप से मैं और ज़्यादा इस सम्बन्ध में न कहते हुए सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इसमें आप जितनी मुश्किलात समझते हैं, उतनी तो मुश्किलात नहीं हैं ।

इस के लिए कैपीटल सिटी बैंगलोर मौजूद है सिर्फ जिस तरह बेलारी का कुछ हिस्सा मैसूर में मिलाया गया है उसी तरह हैदराबाद और बम्बई के तीन और चार ज़िलों का रिएडजस्टमैंट हम चाहते हैं । इस से ज्यादा हम कुछ नहीं चाहते । अगर आप इस को कर देंगे तो आसानी से कर्नाटक की कल्चरल, लिंग्विस्टिक और एकानमिक स्थिति ठीक हो जायेगी । आप कहते हैं कि आप प्रान्तीयवादी खत्म करना चाहते हैं, लेकिन क्या इस तरह से खत्म हो सकता है ? वह किसी एक जगह के प्रयत्न से खत्म नहीं होता । हम हैदराबाद के लोग दस साल से कर्नाटक के लिये प्रयत्न कर रहे हैं । लिहाज़ा मैं पुरज़ोर अपील करता हूं कि अगर कर्नाटक प्रान्त अभी नहीं बना तो फिर कर्नाटक वाले जो आवाज़ उठा रहे है मिसगाइडेड एलिमेंट्स उस का फायदा उठायेंगे और समाज के खिलाफ कार्रवाई करेंगे । आप को यह भी नोट करना होगा । महोदया, मैं आप के तवस्सुत से इस सदन के नेता श्री जवाहरलाल नेहरू से यह अपील करना चाहता हूं कि वह इस सिचुएशन को ध्यान में रखें । यह हाई टाइम है कि आप किसी तरह से हम को यह बताइये कि आंध्र के बनने के कितने दिन बाद हमारा प्रान्त आयेगा । मैं नहीं कहता कि आज बनाइये, या कल बनाइये, लेकिन हम चाहते हैं कि आप यह बताइये कि एक साल, दो साल, तीन साल, दस साल, कभी तो कर्नाटक प्रान्त बनेगा या नहीं ।

इस के बाद मैं जो मुश्किलें पेश की जाती हैं उनका जवाब देना चाहता हूं । कहा जाता है कि सरहद पर बहुत से झगड़े पैदा होते हैं । कोई झगड़ा पैदा नहीं होता अगर आप मुउचुअली तमाम बातें सेटल करना चाहते हैं । कोई नहीं चाहता कि दूसरे का हिस्सा हम को मिले । हम सिर्फ यह चाहते हैं कि जो ५१ फीसदी आबादी वाले हमारे गांव या ताल्लुक हैं वह हम को दिये जायें, या अगर वांचू साहब की सिफारिशों के बेसिस पर भी आप तस्फिया करते हैं तो हमारे लिए काफी है । इस से ज्यादा दूसरे प्रान्त का एक गांव हम भी नहीं चाहते । न हम यह चाहते हैं कि हमारा एक भी गांव दूसरे प्रान्त में जाये । आन्ध्र प्रान्त तो आ रहा है, हमें उन लोगों को बधाई देनी चाहिए, और मैं श्री रामुलू की हार्दिक बन्दना करता हूं कि उन्होंने भाषावार प्रान्तों का दरवाज़ा खोला । आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों तो वह आयेगा और

लोगों की ताकत से आयेगा, उनके मरने के बाद आयेगा। शंकर गौडा जैसे दस आदमी मरने के लिए तैयार हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि यह कांग्रेस हुकूमत श्री रामुलू का धब्बा कभी भी अपने ऊपर से नहीं हटा सकती। और इसी तरह के दूसरे धब्बे आज की डिमाक्रेटिक एज में वह अपने ऊपर लगाना चाहती है। डिमाक्रेसी में फास्ट से फोर्स करने के मैं भी विरुद्ध हूं, लेकिन फास्ट के इन्टेन्शन और मकसद म किसी को डाउट नहीं है। आज जो आवाज़ कर्नाटक के लिये उठ रही है उसे मैं कैसे इस सदन में पहुंचाऊं? किस तरह से मैं आप लोगों के दिलों को टटोलूं। आप के रवैये पर मुझे ताज्जुब मालूम होता है।

इस के बाद मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि आखिर आप क्यों नहीं समझते हैं? क्या इस तरह के इन्डिविजुअल मौतों, या स्टेशनों के तोड़ने या रेलों को उखाड़ने के बाद ही आप की आखें खुलती हैं आप को इन दोनों सवालों को देखना होगा। मैं चाहता हूं कि इस मौके का फायदा उठा कर आप फौरन ही कर्नाटक प्रान्त के लिए एक हाईकोर्ट जजेज का कमिशन बैठाइये जो दक्षिण भारत में भाषावार प्रान्तों के बनाने में जो मुश्किलें हैं उन पर गौर करे। अगर बाउन्डरी कमिशन से आप को डर है तो आप कम से कम हाई कोर्ट जजेज की एक प्रिलिमिनरी कमेटी बनाइये और देखिये कि कौन सी एसी मुश्किलें हैं जिन को दूर न करने से हमारी हुकूमत और देश को धब्बा लग सकता है। और ऐसा वक्त जल्दी ही आ सकता है, इसलिये यह प्रिलिमिनरी कमेटी आप इसी महीने बैठायें तो बहुत ही अच्छा होगा। इसी के लिए श्री रामुलू ने उपवास करके जान दी है। अगर आप इस के लिए अभी ही ऐश्योरेन्स नहीं देते हैं तो कर्नाटक के लोगों ने मांग की है कि इस सदन में जो कर्नाटक के मेम्बर हैं वह इस सदन से वायकाट करें। और सदन को छोड़ कर चले आयें। उन की यह मांग कांग्रेस के तमाम एम-पीज के कानों में गूंज रही है। आज निलिंगप्पा साहब यह सोचते हैं कि क्या करें जबकि उनकी आवाज़ सिर्फ हवा में उड़ रही है, लेकिन आप असली हालत का जायज़ा नहीं लेते हैं। कर्नाटक के लोग शान्तिवादी हैं, और महात्मा के मार्ग से ही अपना प्रान्त हासिल करेंगे, कर के ही रहेंगे, लेकिन उन की ताकत को आजमाने के बाद देने के बजाय आप यह तय कीजिये कि आप की तरफ से ही कर्नाटक प्रान्त आना चाहिये।

अब मैं उन गलतफहमियों को भी पेश कर देना चाहता हूं जो कि हमारे और पड़ोसी के बीच आ गई हैं। आप आन्ध्र प्रान्त का एक नया कैपिटल बना रहे है और इस पर दस करोड़ या कुछ और ज़्यादा रुपया लगा रहे हैं, लेकिन मैं आप से अपील करना चाहता हूं कि इस के लिए हैदराबाद है और वहां सब कुछ मौजूद पड़ा हुआ ह। मैं आन्ध्र के लोगों से भी अपील करना चाहता हूं कि अगर आप को कैपीटल बनाना ही है तो हैदराबाद तैयार है आप उसका ख्याल क्यों नहीं करते। अगर आप उस को ले लें तो बड़ा विशाल आन्ध्र बन जायेगा और इस से आप का भी अभ्युदय होगा। नानल नगर में एक रेजोल्यूशन पेश कर दिया है कि आन्ध्र की स्टेबिलिटी के बाद दूसरे प्रान्तों पर गौर किया जायेगा। लेकिन सवाल यह है कि आन्ध्र का एक टुकड़ा हैदराबाद में मिला कर क्या उस

[श्री शिवमूर्ति स्वामी]

को स्टवल किया जा सकता है। विशाल आन्ध्र बन जाय तो कौन कहता है कि वह एकानमिकली सेल्फ सफिशिएन्ट न हो जायेगा। मैं चैलेन्ज करता हूं कि आप एक कमेटी बैठाइये और अगर वह इस निर्णय पर आती है कि दक्षिण का कोई प्रान्त सेल्फ सफ़िशिएन्ट नहीं हो पायेगा तो हम अपनी डिमांड वापस ले लेंगे। आप कुर्ग और छोटे छोटे राज्य एक सदन के द्वारा चला रहे हैं, छोटे छोटे राज्यों के टुकड़े बना कर रखने को आप राजी हैं लेकिन, कर्नाटक प्रान्त या दूसरे प्रान्तों को बनाने में आप को मुश्किल मालूम होती है। यह बात आप अपने दिल के खिलाफ कहते हैं। हम चाहते हैं कि आन्ध्र को दे कर आप एक साल के भीतर ही प्रान्तों के लिए बाउण्डरी कमिश्न ले आयेंगे क्योंकि इसी तरह से आप बेलारी के हिस्से को एडजस्ट कर सकते हैं। एडजस्ट कर के उनका हिस्सा उन को मिल जाये और हमारा हिस्सा हम को मिल जाये।

इस के बाद मैं बेलारी प्रान्त के बारे में आप को जो गलतफहमी है उस के विषय में दो चार शब्द कहना चाहता हूं। बेलारी तालका में जो पापुलेशन है उस में कन्नड़ लोग १८४१९ हैं, तैलगू बोलने वाले लोग २४८८२ हैं। तैलगू के लोग कनड़ लोग से टाउन में ज़्यादा हैं इस में कोई शक नहीं लेकिन बेलारी की रूरल एरिया को देखा जाये तो ८०७४० है। बेलारी की पापुलेशन के टोटल की ५४ फीसदी आबादी कन्नड़ लोगों की है और २६ फीसदी आन्ध्र की होती है, सिटी में इन की पापुलेशन इसलिए ज़्यादा, है कि जो टेम्पोरैरी कर्मचारी हैं उन में उन की दस हज़ार की संख्या है। अगर उस पापूलेशन को छोड़ दिया जाये तो कर्नाटक के लोग मैजारिटी में होते हैं इस में कोई शक नहीं। लेकिन छोटे छोटे झगड़ों में नहीं पड़ना चाहिये आप एक बाउन्डरी कमिशन बैठाइये और उस का तस्फिया ठीक तरह से हो। सिर्फ ६ तालुकों को बेलारी छोड़ कर देने से मैसूर को भी काफी तकलीफ होगी इस के अलावा आलर, रायदुर्ग और ऐदोनी के जो विलेज हैं वह आन्ध्र की आबादी क. ६० या ७० फीसदी ज़्यादा है। वह निस्फ़ हिस्सा आ सकता है। इसलिये मैं कहता हूं कि बाउन्डरी कमिशन बैठाइये। यह बाउन्डरी कमिशन सारी स्टेटिस्टिक्स को ले कर जो ५१ फीसदी वाले हिस्से कर्नाटक के हों वह कर्नाटक को दे दे और जो ५१ फ़ी सदी वाले इलाके आन्ध्र के हों वह आंध्र को दे दे। जिस भी ४९ फी सदी कर्नाटक वाले हों वह हमें नहीं चाहियें। इस डिमांड के लिए काफी रिप्रेजेन्टेशन्स आप के सामन आये हैं। उस मेमोरेंडम मे यह भी है कि जो कुछ कर्नाटक के लिए किया जाना चाहिये था वह नहीं किया गया है। उस को हर तरह से पंच वर्षीय योजना में शामिल किया जाना चाहिये। और वहां फैमीन या कहत की जो खराबी हो रही है उस को दूर करने में केन्द्रीय सरकार को सहायता देनी चाहिये।

और जो ट्यूब वल्स की स्कीम्स उत्तर में चल रही हैं जिन से किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा तसल्ली मिल सकती है उन को दक्षिण भारत में भी ज़्यादा से ज़्यादा चलाया जाये ताकि लोगों को फायदा पहुंच सके। मैं अपील करूंगा कि शंकर गौडा को बचाइये। यह तालुका कांग्रेस का काम करने वाला मुक्यस्त रहा है। मैं प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू से अपील करू कि वह हमको एक कटेगौरीकल ऐश्योरेंस

दे कि वह एक प्रिलिमिनरी कमिशन बिठायेंगे जैसा कि जस्टिस वांचू का कमिशन बैठाया था जो कि इस बात को देखेगा कि हमारे प्रान्त में क्या क्या मुश्किलात हैं और उनके क्या क्या इम्प्लीकेशन्स हैं। यही मेरी अपील है । इन शब्दों के साथ मैं चेयर का शुक्रिया अदा करते हुए अपना भाषण खत्म करता हूं।

श्री अच्युतन (केगांनूर) : मेरे विचार में यदि आय व्ययक के साथ एक परिशिष्ट जिस में राज्यों की आय के साधन, उनकी आस्तियां तथा दायित्व; उनकी आय तथा व्यय; होता तो संसद् सदस्यों को इस बात विस्तृत ज्ञान हो जाता कि देश में सरकार की स्थिति कैसी है ? मेरे विचार से यह अच्छी बात है। मेरी माननीय मंत्री से यह प्रार्थना है कि अग्रिम वर्षों से केन्द्रीय आयव्ययक के साथ साथ राज्यों के वित्त सम्बन्धी संक्षिप्त सारांश भी देने का प्रश्न करें । प्रथम पंचवर्षीय योजना में खाद्यान्न उत्पादन पर अधिक ज़ोर दिया गया है। गावों में किसानों का भूमि-स्वामित्व की प्रथा चल पड़ी है । भूमि की बचत की अधिकतम सीमा निर्धारित कर देनी चाहिये। सभी राज्यों में न्यूनतम वेतन अधिनियम लागू कर देना चाहिए। जब तक ये सुधार नहीं किये जायेंगे तब तक भारतवर्ष की उन्नति संभव नहीं है ।

जैसाकि पंचवर्षीय योजना से प्रकट होता है हमारा उद्देश्य आगामी २५ वर्षों में राष्ट्रीय सम्पत्ति को दुगना करना है। जब कि अन्य राष्ट्रों ने बहुत थोड़े समय में ही अपनी सम्पत्ति को दुगना कर लिया था अतएव इस मामले में हम पीछे हैं। चूंकि सरकार सोचती है कि खाद्यान्न तथा कृषि को प्राथमिकता देनी ह अतएव उद्योगों की ओर इतनी रुचि नहीं दिखाई गई है। निजी क्षेत्रों पर अधिक विश्वास करना वाँछित परिणाम ला सकेगा इसमें मुझे संदेह है । धनवानों ने जब कांग्रेस सरकार बनी थी तो अपने आप को असुरक्षित समझा था किन्तु अब वे अपने आपको सुरक्षित समझते हैं; और पूर्व की भांति ही काम कर रहे हैं । कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार धनवानों की ही अधिक देख रेख करती है । जब कि उसे साधारण मनुष्यों की अधिक करनी चाहिए ।

मैं माननीय वित्त मंत्री से प्रार्थना करता हूं कि वह हमारे राज्य का दौरा करें और वहां की स्थिति का सिंहावलोकन करें । वित्त आयोग के प्रतिवेदन देखने से प्रकट होता है कि वहां त्रावनकोर-कोचीन में एक वर्ग मील में १००० व्यक्तियों से अधिक रहते हैं । मैं समझता हूं कि अन्य राज्यों में इतनी घनी आबादी नहीं है। वहां स्थिति अतएव बड़ी गम्भीर है। जब तक वहां से २५ और तीस लाख व्यक्ति उत्तर भारत के राज्यों में परिवर्तित नहीं किये जायेंगे तब तक स्थिति की गम्भीरता कम नहीं हो सकती ।

श्री पुन्नूस : आप चाहते हैं कि आप के लोग बाहर ले जाए जाएं ?

श्री अच्युतन : हमारी समस्या का विधान करने के लिए हमारे बहुतसे लोगों को दक्षिण भारत के राज्यों में ले जाना हमारे लिये हितकारी होगा ।

श्री पुन्नूस : क्या आप जाने वाले लोगों में से होंगे ?

सभापति महोदय : शान्ति,, शान्ति। कोई अन्तर्बाधा नहीं होनी चाहिए।

श्री अच्युतन : गत वर्ष तक जो तीन करोड़ रुपये की सहायता दी जाती थी वह

[श्री अच्युतन]

सब बन्द होने वाली है। अतः राज्य सरकार ने दो करोड़ रुपये, बढ़ी हुई कीमतों की कठिनाई के कारण सहायता के लिए निकाले हैं। खाद्य मंत्री ने कहा कि चावल उसी भाव से इकट्ठा किया जाकर दिया जायगा। परन्तु उत्तर प्रदेश में धान की प्रति मन कीमत मद्रास के चावल की कीमत से अधिक है, ऐसा जानकर मुझे हैरानी होती है। इस बड़े राज्य से १२ या १३ मंत्री लिये जाते हैं, और एक करोड़ का हमारा राज्य अपने एक भी व्यक्ति को सरकारी बैंचों पर नहीं देख सका, यह कितने दुख की बात है। (अन्तर्बाधा)

चावल का ाव उत्तर प्रदेश में सब से अधिक है, और उड़ीसा और बिहार आदि में ९ रुपये मन के लगभग हें अतः हमें उड़ीसा और बिहार आदि से ही चावल दिये जायं, उत्तर प्रदेश से नहीं।

श्री नम्बियार : प्रायः सभी मंत्री उत्तर प्रदेश से हैं ?

श्री अच्युतन : दूसरी बात सन्तति-निग्रह की है, जो महत्वपूर्ण है। यदि उसका प्रबन्ध न किया गया तो देश की जन-संख्या अधिक बढ़ेगी, और खाद्य सामग्री की समस्या और भी गम्भीर हो जायेगी। ६५ लाख रुपया परिवार-योजना के लिए दिया गया है, जिसमें से केवल ७०००० रुपये खर्च किये गये हैं। सन्तति-निग्रह के प्रचलित तरीकों से, अब्राहम स्टोन का तरीका अथवा इसी प्रकार के और तरीके से काम नहीं चलेगा। सामान्य व्यक्ति की पहुंच में आने वाला सस्ता तरीका निकाला जाना चाहिये। वित्त मंत्री सारे देश की बाबत जानकारी रखने के कारण इस कार्य को गम्भीरता से उठायें, और स्वास्थ्य मंत्री का भी इसी भावना से प्रेरित करें। सदन के सब सदस्य इसके महत्व को समझते हैं। अतः वित्त मंत्री इस पर विचार करने की कृपा करेंगे।

श्री रामचन्द्र रेड्डी (**नेलोर**): ४ दिन तक राष्ट्रपति के भाषण पर साधारण विवाद रहा, ४ दिन बजट पर विवाद, और १८ दिन विभिन्न मांगों पर, और अब चार दिन वित्त विधेयक के लिए दिये गये हैं। मैं इसको अधिक पसन्द करता हूं कि वित्त विधेयक के लिए दो दिन दिये जायं, और दो दिन बजट पर साधारण विवाद के लिए दिये जायं। वित्त मंत्री को वही पुरानी बातें पुनः सुननी पड़ती हैं। अतः ऐसा सुझाव रखा जाता है कि वित्त विधेयक के लिये दो दिन कम करके दो दिन बजट पर साधारण विवाद के लिए दे दिये जायं।

मैं पहले नमक-कर को लूंगा। पिछले वर्षों का उदाहरण लेकर इसे न लगान की बात की जाती है। मेरा निवेदन है कि इसके लग जाने से एक तो पर्याप्त धन एकत्रित हो जायेगा और दूसरे नमक-उद्योग का भी विकास होने में सहायता मिल सकेगी। १९५१-१९५३ तक नमक की उत्पत्ति में वृद्धि हुई, और अब हम इसका निर्यात भी बढ़ा सकते हैं, अतः हमें नमक-कर लगाना चाहिए। इससे पंचवर्षीय योजना के घाटे को भी पूरा किया जा सकेगा। यदि इसके पीछे कोई राजनैतिक मनोविज्ञान है, तो मैं सरकार से इसे लगाने का अनुरोध नहीं करता। परन्तु यदि आर्थिक बात है, तो मैं सरकार के सामने सुझाव रखता हूं कि वे अब इस पर विचार करें और नमक-कर लगावें। बात यह है कि हम विदेश से खारा सोडा और नमक के उपउत्पाद मंगवाते हैं। हमारे लिए इन वस्तुओं का बनाना संभव है, और इस प्रकार देश का

आयात कम होकर धन बचेगा, और अनेक कारखाने लग जाने से मजदूरों को काम मिलेगा, तथा धन भी उद्योग में लगेगा। इस प्रकार राष्ट्र निधि के लिये अधिक धन प्राप्त हो सकेगा।

दूसरी बात तम्बाकू-कर की है। १९४८-५१ तक अशुद्ध तम्बाकू का निर्यात करोड़ रुपये का हुआ, और यदि तम्बाकू बीजने वालों को योग्य ढंग से प्रकृष्ट कृषि-कार्य की सुविधायें दी जायें, तो निर्यात से अपना राजस्व बढ़ सकता है।

तम्बाकू पैदा करने वालों पर अनेक कर लगाये गये हैं। उत्पादन शुल्क, विक्रय-कर, धन्धा-कर, आदि। दूसरे लाईसेंस बनवाने का झंझट भी कठिन है, और विक्रय-कर के लिए फार्म रखने का काम और भी कठिन है। देहाती क्षेत्र में तो उत्पादन शुल्क का आशय कदाचार से लिया जाता है। छोटे कर्मचारियों को स्वविवेक प्राप्त है, और वे कई बार सच को झूठ और झूठ को सच बना देते हैं। अतः आवश्यक है कि सरकार इन अनावश्यक नियमों की जांच करें।

उसमें कर लगाने के कई पद हैं, जो दूसरे पदों बदले जा सकते हैं, जिसका यह प्रभाव होता है कि या तो सरकार को लाभ होता ह या नुकसान, तथा या तो पैदा करने वाले को हानि अथवा लाभ। इसी के परिणाम स्वरूप कहीं पर कर कम और कहीं अधिक होता है, जिस के कारण व्यक्तियों में वैमनस्य फैलता है। सरकार बदनाम हो चुकी है, अतः सरकार अपने छोट अधिकारियों के स्वविवेक को कम करने के नियम बनाकर लोक-प्रियता प्राप्त करें। एक और विषय डाक-दर का है। विधेयक में कई सुझाव दिये हैं, जिन पर ध्यानपूर्वक विचारने की आवश्यकता है। पैकट पर पहले नौ आने लगते थे, और अब ग्यारह आने लगेंगे। गांव वाले पुस्तकें और औषधियां आदि डाक द्वारा ही मंगवाते हैं। दर बढ़ जाने के कारण डाकघर गांवों में लोक-प्रियता खो बैठेंगे। अतः छः आने के स्थान पर आठ आने दर कर देना ठीक है।

मैं दूसरी वात को लूंगा, अर्थात लोक-हित के लिय कार्य करने वाली संस्थाओं के चन्दे पर कर लगाना भी ठीक नहीं। उनको साम्प्रदायिक समझना भी गलती है। ऐसे सेवा भाव रखने वाले व्यक्ति शिक्षा, आरोग्य तथा और लोक हित के कार्यों में धन लगा कर लोक भलाई करते हैं। ऐसे चन्दे पर कर लगाने कीं बात पर फिर से विचार करना चाहिए।

श्री अल्तेकर (उत्तर सतारा): एक सदस्य थोड़े समय में अपने विचारों को खोल कर नहीं रख सकता। मैं डायरैक्ट और इनडायरैक्ट शब्द पाठशाला के दिनों में सुना करता था, परन्तु अब यहां वे वित्त मंत्री के प्रभाव डालने के सम्बन्ध में भी कहे जाते हैं। अपरोक्ष करों के विरुद्ध विरोध होनी स्वभाविक ही है। कर बुरी वस्तु नहीं; एक राष्ट्र को शक्तिशाली और उन्नत बनाने के लिये यह अनिवार्य है। हमारे राजस्व म परोक्ष और अपरोक्ष करों के अतिरिक्त रैलव का लाभ तया रिजर्व बक और मुद्राचालन तथा टकसाल का लाभ भी सम्मिलित है।

श्री सी० डी० पांड: ये सब अपरोक्ष कर हैं।

श्री अल्तेकर: वैसे तो प्रत्येक लाभ ही अपरोक्षकर होता हैं। कल प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने बतलाया कि कर एक दूसरे के ऊपर डाला जा सकने वाला होना चाहिए। यह एक ही बात है।

[श्री अल्तेकर]

तब फर्मों और स्थानीय सभाओं को दिए गए उधार पर तीन करोड़ और पांच लाख का सूद मिलना है। ये सब जिसमें पाकिस्तान को दिए उधार की १८ करोड़ की रकम भी मिली हैं, मिलकर ६८·१४ करोड़ बनते हैं। मैं इसमें राज्य के भी आमदनी कर को भी मिलाता हूं। सीधे करों का प्रतिशत कम हो गया है। वित्त विधेयक में यह उपबन्ध रखा गया है कि अनुमान-व्यापार की हानि को अनुमान-व्यापार के लाभों से पूरा किया जा सकेगा। यह दूसरे ढंग से राजस्व ही है जिसे अनुमान व्यापार करने वाले लोग बचा लेते थे। बड़े व्यापारी लेखा ठीक नहीं रखते हैं। इससे बड़ी धांधली मचती थी। इन कबालों का कोई हिसाब नहीं था। और अन्त में उनको फाड़ डाला जाता था, जिससे बड़ी गड़बड़ी होती थी।

परन्तु इसमें एक कमी है, कि अनुमान-व्यापार के लाभों से क्षति पूर्ति की जायगी। देखना यह चाहिए कि उचित हानि की ही पूर्ति की जाय। इस प्रकार राजस्व और भी बढ़ सकता है।

अपरोक्ष करों के समन्वय हो जाने के उपरान्त केवल विलास और अर्ध विलास की सामग्री पर कर लगाया जायगा। इससे साधारण व्यक्ति पर बोझ नहीं पड़ेगा।

इसके अतिरिक्त बच्चों और अमान्य व्यक्तियों के लिये भोजन का आराम भी दिया गया है। एक बात और भी कहूंगा कि ऐलोपैथिक दवाइयों को जो रियायत दी गई है, वह आयुर्वेदिक दवाइयों को भी मिलनी चाहिए तथा बंसलोचन आदि बनान के लिए कई वस्तुओं की आवश्यकता होती है, अतः उन पर आयात शुल्क कम होना चाहिए। कुनीन की तरह आयुर्वेदिक दवाइयां भी वैद्यों को निश्चित भावों पर दी जानी चाहिये।

हमने पंच वर्षीय योजना के प्रारम्भ से लेकर अपने जीवन स्तर को बिलकुल भी न गिरने देते हुए उन्नति और विकास किया है। यह कोई कम बात नहीं है।

हम कर और बचत द्वारा १२५८ करोड़ रुपया बचा रहे हैं, सम्पदा शुल्क द्वारा १६५ करोड़ रुपए की आय होगी और अन्ततः १४२३ करोड़ रुपये की आय हो जायगी। तब ६०० करोड़ रुपए का घाटा होगा और इस स्थिति के निर्माण के लिए ऐसे ढंग अपनाने चाहिये जो साधारण व्यक्ति को हानि न पहुंचाएं।

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन]

राष्ट्रीय आय से २० प्रतिशत निकाल लेना साधारण जनता के प्रति बहुत कठोर व्यवहार है। एक दिन डा० मेघनाद सहा ने यहां की तुलना रूस से की थी कि वहां बहुत शीघ्र विकास तथा प्रगति हो सकी है। फिर यह सुझाव रखा गया कि आपके करों के रूप में ६०, ७० प्रतिशत अप्रत्यक्ष कर लगाया जाए। यह तो आत्म खंडन है। एक ओर यह कहा जाता है कि यहां अप्रत्यक्ष कर का आधिक्य है और दूसरी ओर इसके लिये सुझाव रखा जाता है। रूस का उदाहरण लिया जाये तो वहां पहली पांच वर्षीय योजना में कृषि आय में ५३ प्रतिशत तथा उद्योग में २० प्रतिशत की कमी हो गई थी। परिवहन प्रणाली केवल सेवाओं के लिए रह गई थी। एक सदस्य न कहा था कि यदि उसके हाथ में सत्ता हो तो वह प्रत्येक वस्तु का राष्ट्रीयकरण कर दे। उस की साहसिकता की सराहना की जा

सकती है परन्तु बुद्धिमत्ता की नहीं। रूस में जब कुलकों से भूमि छीनकर कृषकों को दी गई तो उन्होंने खाद्यान्न शहरों में ले जाना बन्द कर दिया और जब उन्हें अतिरिक्त खाद्यान्न देने के लिए बाध्य किया गया तो वे अपनी आवश्यकता से अधिक कृषि नहीं करते थे। तब हजारों कृषकों के परिवारों को सफेद सागर नहर को भेज दिया गया। वहां कष्ट दुर्भिक्ष और अन्य कई कठिनाइयां हुई। क्या आप भी लोगों के लिए यही स्थिति लाना चाहते हैं। हमें दोनों बातों का संतुलन करना है। हमें न केवल कठोरता, कठिनाई और कष्ट की ओर देखना है जो शीघ्रता के कारण लोगों को होगा वरन् उसमें जीवन क्षति की भी संभावना है। धीर गति से हम इस सफलता को प्राप्त कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : समय समाप्त हो गया है।

श्री अल्तेकर : मैं सुझाव करना चाहता हूं कि विकास सम्बन्धी चर्चा करते हुए हमें सर्वप्रथम खाद्यान्न की नीति पर विचार करना चाहिये। जब तक यह न किया गया लोगों को यह अनुभव नहीं होगा कि उनके लिये कुछ किया जा रहा है। कुछ लोग शिक्षा और स्वास्थ्य पर अधिक जोर देना चाहते हैं। परन्तु भूखे को तो भोजन चाहिए।

बुभुक्षितैर्व्याकरणं न भुज्यते।
पिपासितैः काव्य रसो न पीयते॥

जो कुछ सरकार कर रही है उस के अतिरिक्त कृषकों को कुछ ऋण सम्बन्धी सुविधायें देनी होंगी। सरकार तकावी ऋण दे रही है। सहकारी ऋण संस्थायें भी हैं परन्तु वे जनता को आवश्यक सहायता नहीं दे सकती। इन परिस्थितियों में यदि रिजर्व बैंक संयुक्त स्कंध बैंकों को सरकारी प्रतिभूतियों के स्थान पर ऋण दे तो वे कृषकों की सहायता कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य कृपया स्थान पर बैठ जाएं।

श्री सोरेन (पूर्निया व सन्थाल परगना रक्षित — अनुसूचित जातियां) : हमारे संविधान के अनुसार यह सरकार जन तन्त्रात्मक सरकार है और यह हम बंधुता स्वतन्त्रता तथा न्याय प्रदान करती है। न्याय से अभिप्राय सामाजिक सांस्कृतिक, आर्थिक तथा राजनैतिक न्याय है। परन्तु क्या ये सब क्रियान्वित किया गया है।

पंच वर्षीय योजना को कार्यान्वित करने में सहयोग देने के लिए प्रत्येक व्यक्ति से कहा गया है। मैं ने अपने निर्वाचन क्षेत्र में लोगों में उत्साह उत्पन्न करने का प्रयत्न किया परन्तु लोग संदेह करते ह क्योंकि उन्हें कोई परिवर्तन दिखाई नहीं देता। जो कुछ परिवर्तन हुए हैं वे ग्राह्य नहीं हैं। उदाहरणतः मेरे निर्वाचन क्षेत्र में कुछ दामिन नाम के विशेष क्षेत्र हैं। पहले वहां पुलिस का कार्य करने वाले परगनीत होते थे। जब सरकार ने इस क्षेत्र को ले लिया तो पुलीस थानों पर व्यय भी अधिक बढ़ गया और अपराध में भी वृद्धि हो गई। मसनजोर डैम की रचना में हज़ारों व्यक्तियों को अपने घर बार से निकाल विस्थापित कर दिया गया है। वे लोग घर के स्थान पर घर और मकान के स्थान पर मकान मांगते हैं परन्तु सरकार पैसे देना चाहती है। आदिवासी अथवा अन्य क्षेत्रों में कृषि की प्रधानता है, परन्तु सरकार ने सिंचाई पर बहुत कम व्यय किया है।

[श्री सोरेन]

सरकार आर्थिक स्थिति के सम्बन्ध में कुटीर उद्योग तथा छोटे उद्योगों अर्थात् लाह, सबाई घास और कोयले की खानों को प्रोत्साहन नहीं देती। यह सब बड़ बड़े महाजनों के हाथों में रहता है। आदिवासियों के लिए जंगल आय के साधन हैं परन्तु उन्हें नष्ट किया जा रहा है। सरकार जो ऋण सहायता के लिए देती है उन्हें बहुत कठोर ढंग से वसूल करती है और दरिद्र लोगों को अपन हल पशु अनाज इत्यादि बेचने पड़ते हैं।

एक दिन वाणिज्य मंत्री ने कहा था कि पहारियों से सवाई घास ले ली गई है। परन्तु मुझे पता लगा है कि यह भुगतान इतना अनियमित है कि धन की बड़ी राशि, सरकार के पास है। पहारियों के लिये हज़ारों रुपया पटना इम्पीरियल बैंक म है। परन्तु यह राशि पहारियों के हित के लिए प्रयोग नहीं की जा रही। उन की स्थिति बुरी है। उन के पास खेत नहीं धान के लिए ज़मीन नहीं। मैं प्रार्थना करता हूं कि उन की स्थिति को सुधारा जाए।

मेरे प्रदेश में भ्रष्टाचार की यह स्थिति है कि यदि कोई व्यक्ति अध्यापक बनना चाहता है तो वह शिक्षा विभाग म १०० रुपए दे और वह नियुक्त हो जाएगा। सब छोटे अधिकारी भी दरिद्र लोगों से पैसे ऐंठते हैं। विकसित प्रदेशों भें सम्भवतः ऐसा नहीं होता।

हिन्दुस्तान टाइम्स द्वारा उद्धृत उच्चतम न्यायालय के एक निर्णय में यह कहा गया है कि यह विधि का शासन नहीं है वरन् अनियंत्रित जन समूह का शासन है। बिहार सरकार लोगों के अधिकारों को दबाने में सब से आगे रही है। आदिवासियों के सम्बन्ध में उन की भाषा के विकास और सुधार के अधिकारों पर भी रोक लगा दी गई है। प्रधान मंत्री ने अपने एक भाषण में कहा था कि भाषा की समस्या मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इस लिए सरकरों को आदिवासी भाषओं को प्रोत्साहन देना चाहिये। इस समस्या को हल करने में रुस ही केवल सफल हुआ है क्योंकि वहां सैकड़ों जबानों के शब्द कोष आदि तैयार करवा के उन भाषाओं को प्रोत्साहित किया गया था।

मै प्रस्ताव करता हूं कि सरकार को आतिवासियों की स्थिति के सम्बन्ध में गम्भीरता से विचार करना चाहिये और पहारियों को सबाई घास उसी प्रकार उगाने देनी चाहिये जैसे अन्य उगाते हैं।

आदिवासी संस्कृति की रक्षा होनी चाहिये और विद्यालय तथा महाविद्यालय खोले जाने चाहियें। आदिवासी लोगों को औद्योगिक व्यवसायिक तथा कृषि का प्रशिक्षण देना चाहिये। सिंचाई के लिए अच्छे प्रबन्ध करने चाहिये। जैसा पंच वर्षीय योजना में कहा गया है कि सचिवालय और ज़िला पदाधिकारियों के बीच सम्पर्क–पदाधिकारी लगाए जायेंगे, ये पदाधिकारी आदिवासी लोगों में से होने चाहियें।

श्री नटशन (तिरुवल्लूर) : वित्त विधेयक में प्रत्येक नागरिक से अपने कर इत्यादि देने का कर्त्तव्य पालन करने के लिए मांग की गई है परन्तु राज्य के अनुवर्ती कर्त्तव्यों का उस में वर्णन नहीं।

म मद्रास के विषय में कहना चाहता हूं कि पंच वर्षीय योजना में से कोई भी योजना

मद्रास में आरम्भ नहीं की गई । एक दिन मैं ने परियार परियोजना के सम्बन्ध में पूछा था और आज फिर पूछता हूं कि ७५००० किलोवाट विद्युत उत्पन्न करने वाली इस योजना को क्यों नहीं आरम्भ किया गया। इस के सब प्रावैधिक उपचार पूर्ण हो चुके हैं और योजना योजना आयोग के पास पड़ी हैं । परन्तु योजना आयोग ने इस पर कुछ नहीं किया जब कि यह सिद्ध है कि योजना के पूर्ण होने में पांच वर्ष लगते हैं ।

मद्रास की आजकल कैसी स्थिति है ? वहां पिछले दिन १५००० किलोवाट विद्युत उत्पन्न करने वाला विद्युत उत्पादक टूट गया जिस से विद्युत सम्भरण में ७५ प्रति शत को कटौती करनी पड़ी । इस कटौती से अनुमान लगाया जा सकता है कि कृषि उत्पादन, उद्योग तथा श्रमिक गण पर क्या प्रभाव पड़ा है। मैं जानना चाहता हूं कि जब आप के पास अधिक विद्युत उत्पन्न करने वाले थर्मेल प्लांट हैं जो कि नंगल योजना के लिए लाए गए हैं तो वे क्यों मद्रास की सहायता के लिए नहीं भेजे जाते। नंगल परियोजना की अभी कुछ वर्ष पूर्ण होने की संभावना नहीं। यदि मद्रास की योजनाओं को हाथ में न लिया गया तो प्रतिवर्ष विद्युत सम्भरण में कटौती होती रहेगी। लोग ऐसी कटौती से तंग आ चुके हैं।

मद्रास की स्थिति अत्यन्त गम्भीर है । वहां प्रत्येक ज़िला में दुर्भिक्ष फ़ैला हुआ है । लोगों के लिए रोज़गार नहीं और फसलें सूख चुकी हैं ।

मद्रास में करघा के जुलाहों की बहुत भारी समस्या है। हज़ारों जुलाहे बिना काम हो गए हैं। कल ही सुना है कि मद्रास ट्रैम बन्द हो गई उस से भी बहुत से श्रमिक बेकार हो गए होंगे । मद्रास को सहायता की आवश्यकता है । वहां बिक्री कर गिर रहा है । अन्य विभागों की आय भी क्षीण हो गई है । उड़ीसा न चावल भेजा है जिस से स्थिति सुधरी है परन्तु लोगों में चावल खरीदन की शक्ति नहीं। सरकार इस के लिए क्या कर रही है ?

वित्त मन्त्री मद्रास सरकार को कुछ अनुदान रूप में दें तो उस से लाभ ही होगा। मद्रास में भ्रष्टाचार नहीं है और कई योजनाएं सुन्दर रूप में प्रस्तुत की गई हैं ।

हमें श्रमिकों को उन अंशों के हाथ में नहीं सौंप देना चाहिए जो देश की शान्ति को भंग करना चाहते हैं। इस के लिए वहां के श्रमिकों को कार्य मिलना चाहिए । सड़कें, नहरें और भवन बनाने का कार्य अच्छा है । मैं जानता हूं कि केन्द्रीय सरकार के पास धन नहीं परन्तु इस घाटे के आय व्ययक में यह उपबंध भी किया जाना चाहिए ।

मद्रास ने अपनी सरकारी प्रतिभूतियां ३० लाख रुपये की हानि पर बेच दी हैं। इस से मद्रास सरकार की स्थिति का पता चलता है कि वह कितनी असहनीय है । केन्द्रीय सरकार को उसे बचाने का अपना कर्त्तव्य विदित होना चाहिए ।

मद्रास की सिंचाई सम्बन्धी मनिमत्तर योजना के लिए भी कुछ नहीं किया गया। संभवतः यह इस लिए है कि केन्द्र में हमारी आवाज़ नहीं और मद्रास को सर्वथा गिराया जा रहा है । केन्द्र को यह सोच कर संतोष नहीं कर लेना चाहिए कि यह कार्य राज्य सरकार का है । वहां जाकर स्थिति देखने की आवश्यकता है । वहां की योजनाओं को निष्पादन होना चाहिए और

[श्री नटेशन]

श्रमिकों को सन्तुष्ट करने के लिए उन के साथ सद्व्यवहार करना चाहिए तथा उन्हें काम देना चाहिए ।

कुमारी एनी मस्करीन (त्रिवेन्द्रम) : हमारे समक्ष प्रस्तुत किए गए विधयक में बजट को संतुलित करने की दृष्टि से उसमें छट देने, संतुलन स्थापित करने और अधिक कर लगाने की व्यवस्था की गई है। प्रत्यक्षतः यह स्पष्ट है कि छूट और संतुलन का प्रयोजन प्रशासनीय सुविधा है। राष्ट्रीय दृष्टिकोण से यह महत्वहीन है ! पटसन के बोरे बनाने के टाट, पेनीसिलीन, एण्टीबायटिक्स आदि तथा नमक पर शुल्क की समाप्ति वस्तुतः उसके मुख्य लक्षण है और उनसे राष्ट्र का हित हुआ है। इसके विपरीत डाक की दरों में वृद्धि होने से हानि अधिक हुई हैं। आज राष्ट्र कर के भार से कराह रहा है और करों में जो छूट दी गई हैं वह केवल नाम मात्र को है ।

विधेयक का प्रत्येक खण्ड देखने के पश्चात् एक खर्चीले व्यक्ति की कथा याद आ जाती है । बहुत अधिक व्यय करते रहने पर उसके जीवन में निर्धनता और अभाव का झंझावात आ गया ; उसने पड़ौसी की शरण ली । चमकते हुए सिक्कों से आकर्षित हो कर वह शाइलाक के चंगुल में फँस गया। अन्त में उसने पत्नि को पत्र लिखा जिसके प्रति वह सदैव से ही उपेक्षित था ।

उपाध्यक्ष महोदय : बारह बज कर ४५ मिनिट हो गए हैं । माननीया सदस्या अपना भाषण कल जारी रखेंगी ।

अब सदन में आधे घण्टे की चर्चा आरम्भ होगी ।

राष्ट्रीय छोटी बचत योजना

श्री वी० पी० नायर (चिरायिन्किल): श्रीमान, वित्त विधेयक पर बहस करते समय प्रस्तुत विषय पर वहस की अनुमति उपयुक्त प्रतीत होती है ।

वित्त मन्त्री ने अनेक बार यह बात कही है कि आन्तरिक वित्त के लिए हो वह राष्ट्रीय बचत योजना का आधार ले रहे हैं। इसके महत्व के विषय में उन्होंने सदन में कई बार कहा है। किन्तु उन्हों-ने एक बार यह भी कहा था कि इस योजना में संगठन सम्बन्धी न्यूनता है । तभी से यह चर्चा का विषय बन गया है। मंत्री महोदय कहते हैं कि निधि प्राप्त करने के लिये यह योजना प्रारम्भ की गई थी किन्तु जब इसी की व्यवस्था में न्यूनता है तब उससे क्या आशा की जा सकती है। जब वह इस बात का अनुभव करते थे तो उन्होंने इसे दूर करने का प्रयत्न क्यों नहीं किया। ऐसा लगता है कि यह वस्तुतः योजना नहीं है किन्तु धोखा है । मेरे पास समाचार पत्रों की कतरन है जिनका सरकार ने कभी खंडन नहीं किया और जिनसे वित्त मंत्री का कार्यालय प्रमत्त प्रलाप से परिपूरित प्रतीत होता है । वित्त मंत्री ने हमारे सम्मुख कुछ आंकड़े प्रस्तुत किये थे जिनसे यह सिद्ध होता है कि सन् १९५०-५१ के पश्चात् एकत्रित की जाने वाली निधि में कमी हो रही है । स्वभावतः वित्त मंत्री से यह आशा की जाती है कि वह इस योजना को सही मार्ग पर लाते । किन्तु इसके विपरीत हम देखते हैं कि राष्ट्रीय बचत की दिल्ली शाखा का प्रशासन भार ऐसे व्यक्ति के सुपुर्द है जो उक्त पद के लिये योग्य नहीं है । राष्ट्रीय बचत के प्रादेशिक आयुक्तों के पद का विज्ञापन संघ सार्वजनिक सेवा आयोग की दिनांक ७ मई, १९४९ की विज्ञप्ति में प्रकाशित हुआ था । इस विज्ञापन के

अनुसार प्रादेशिक राष्ट्रीय बचत आयुक्त की न्यूनतम योग्यता स्नातक के साथ ही त्रिधि स्नातक अपेक्षणीय थी। किन्तु दिल्ली प्रादेशिक राष्ट्रीय बचत योजना के वर्तमान पदाधिकारी विज्ञप्ति में प्रकाशित योग्यता सम्पन्न नहीं है। वित्त मंत्री ने संघ लोक सेवा आयोग को अनेक बार इस व्यक्ति की सिफारिश करते हुए लिखा कि उसे न्यूनतम योग्यता के नियमों से मुक्त कर दिया जाय। उनके मंत्रालय ने दिनांक १७ मई १९५० को सेवा आयोग के पास इस आशय का एक पत्र भेजा कि उक्त पदाधिकारी की पुष्टि कर दी जाय। ११ दिसम्बर १९५१ को आयोग ने मत्रालय की इस प्रार्थना को अस्वीकृत कर दिया। २३ जनवरी को वित्त मंत्रालय ने पुनः अपनी प्रार्थना दोहराई और १७ फर्वरी को संघ लोक सेवा आयोग ने उसे दूसरी बार अस्वीकृत कर दी। इसके पश्चात् वित्त मंत्रालय ने संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को, जो कि उस समय इंगलैण्ड में थे, एक अर्द्ध राज पत्र लिखा किन्तु आयोग ने बार बार उस व्यक्ति के सम्बन्ध में नियम मुक्त करना उचित नहीं समझा जो कि अयोग्य था। तब मेरे माननीय मित्र के मंत्रालय ने अयोग्य अस्त्र केबिनेट-निर्णय का आधार लिया।

यदि आप समाचार पत्रों के वृत्तान्त पढ़े तो आपको आश्चर्य होगा। 'हिन्दुस्तान' ने अपन २५ जून १९५२ के अंक में निम्न शीर्षक से समाचार प्रकाशित किया था :

"दिल्ली राज्य में नेशनल सेविंग्स सर्टीफिकेटों की बिक्री में कमी।"

'दी हिन्दुस्तान टाइम्स' के सायंकालीन संस्करण में भी ५ अक्टूबर १९५२ को इसी आशय का एक समाचार प्रकाशित हुआ है। २४ जून १९५२ के 'टाइम्स आफ इंडिया' के अंक में वित्त मंत्री के विख्यात पूर्वाधिकारी के उद्धरण सहित एक समाचार प्रकाशित हुआ है। उस में डा० जान मथाई ने कहा था कि राष्ट्रीय बचत योजना की सफलता के लिये योजना के संघटन की ओर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।

'नवभारत टाइम्स' ने भी लिखा था :

"नेशनल सेविंग्स कमिश्नर से शिष्टमंडल की शिकायत

नेशनल सेविंग्स कमिश्नर श्री एस० एस० रथपाल से एक शिष्टमंडल दिल्ली के कुछ नागरिक प्रतिनिधियों का २४ अक्तूबर को श्री राजवन्स सिंह के नेतृत्व में मिला और शिष्टमडल ने मोहनी तेजवानी के सम्बन्ध में रुपया ले कर भी सर्टीफिकेट न देने की शिकायत की।"

वित्त मंत्री ने उक्त समाचारों म से एक का भी प्रतिवाद नहीं किया।

एक अन्य सज्जन ने भी बचत योजना की कतिपय अवैधताओं की शिकायत की है। वित्त मंत्रालय के निर्देश पर गृहमंत्रालय ने विशेष पुलिस स्थापन की सहायता से इस मामले की जांच प्रारम्भ की किन्तु विशेष पुलिस स्थापन ने यह मत प्रकट किया कि वर्तमान पदाधिकारी की उपस्थिति में जांच असम्भव है।

वित्त मंत्रालय में एक ऐसी भावना कार्य कर रही है कि राष्ट्रीय बचत योजना सहित अन्य उत्तरदायित्वपूर्ण स्थानों पर अपने ही व्यक्तियों को नियोजित किया जाय।

इतना सब होते हुए भी वित्त मंत्री अपने प्रतिवेदन में कहते हैं कि राष्ट्रीय बचत योजना संघठन का कार्य संतोष जनक रूप

[श्री वी० पी० नायर]

से चल रहा है। सुन्दर शब्दों के प्रयोग में मैं वित्त मंत्री को पराजित नहीं कर सकता क्योंकि उनके पास मुहावरों का कोष है किन्तु मैं उन्हें अंग्रेजी के प्रसिद्ध कवि गोल्डस्मिथ के 'विकार आफ वेकफील्ड' के एक पात्र का स्मरण करा देना चाहता हूं जिस का कर्तव्य अविवाहितों को विवाह सूत्र में बांधना और विवाहितों को निग्रह-युक्त करना है। वित्त मंत्री प्रथम कार्य म सफल हो गये हैं किन्तु दूसरे में सफल होना अभी बाकी है।

श्री पुन्नूस (आल्लप्प): मैं दो प्रश्न पूछना चाहता हूं :

(१) मैं यह जानना चाहता हूं कि राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रों द्वारा पांच या छः वर्षों में कुल कितनी निधि निर्वहन अथवा लौटाई जाती है ?

(२) क्या यह सच नहीं है कि वित्त मंत्री को इस आशय की शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि योजना के अन्तर्गत नियोजित संघठनकर्ता डाकखानों द्वारा जारी किये गये बचत प्रमाण-पत्रों की क्रम संख्या गुप्त रीति से प्राप्त कर लेते हैं और अपने कार्य का परिणाम बताने के लिये यह निधि प्रकट कर देते हैं।

वित्त उपमंत्री(श्री ए० सी० गुहा) : मैं इस बहस का स्वागत करता हूं क्योंकि सदन इस तथ्य से परिचित है कि राष्ट्रीय बचत योजना से हमें अनेक आशाएं हैं और पंचवर्षीय योजना की अधिकांश परि-योजनाओं की सफलता भी बचत योजना से प्राप्त होने वाली निधि पर निर्भर है।

सर्व प्र म यह योजना युद्ध कार्य के लिये अतिरिक्त निधि प्राप्त करने के लिए प्रारम्भ की गई थी किन्तु युद्ध में विजय हो जाने पर सम्भवतः यह इच्छा हुई कि उक्त संगठन को चालू रखा जाय। इसी भावना से प्रेरित होकर वित्त मंत्री ने कहा था कि यह उसकी वर्तमान व्यवस्था से संतुष्ट नहीं है। स्पष्ट है कि वह इसे उचित रूप देना चाहते थे। किन्हीं माननीय सदस्य ने डा० जान मथाई का उल्लेख भी किया है। किन्तु डाक्टर जान मथाई के शब्द इस प्रकार ह :

"योजना की सफलता वृहद् संख्या में व्यक्तियों में मितव्ययिता और बचत की आदत उत्पन्न करना है। अतः योजना के संगठनकर्त्ताओं को अधिक महत्व इस और देना चाहिये कि निधि बृद्धि की अपेक्षा बचत करने वाले व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि की जाय।"

'हिन्दुस्तान टाइम्स' का यह कहते हुए उल्लेख करना कि बचत निधियों का कुल योग भी घटता जा रहा है सच नहीं ह। समाचार पत्र ने तो मैत्री रूप में आलो-चना करते हुए ऐसा लिखा था। उसने किसी अव्यवस्था की ओर संकेत नहीं किया है।

राष्ट्रीय बचत योजना के दिल्ली के पदाधिकारी के विषय में बहुत कुछ कहा गया है दिल्ली के उक्त संगठन और केन्द्रीय सचिवालय के कुछ अधिकारियों के विरुद्ध यह आरोप है कि उन्होंने अमुक अवसर पर घोर दुर्व्यवहार किया था। इस आरोप की जांच की जा रही है तथा इस सम्बन्ध में दो पदाधिकारी निलम्बित कर दिये गये हैं।

दिल्ली राष्ट्रीय बचत योजना के पदाधिकारी के विषय म कहा गया ह कि

लोक सेवा आयोग ने उसका अनुमोदन नहीं किया तथा वह वर्तमान पद के योग्य नहीं है । जब उक्त स्थान के लिये विज्ञापन हुआ था उसमें यह स्पष्ट कर दिया गया था जो व्यक्ति पहले से ही सेवा नियोजित हैं उनके लिय आयु, सीमा और शेक्षणिक योग्यता में शिथिलता कर दी जायगी । प्रस्तुत व्यक्ति के विषय में यही किया गया था । प्रारम्भ में यह व्यक्ति संघ लोक सेवा आयोग द्वारा इसलिये अस्वीकृत कर दिया गया था कि राष्ट्रीय बचत योजना के भारत भर के लिये नियुक्त अधिकारी ने उसके विरुद्ध वृत्तान्त दिया था किन्तु जब इस तथ्य की ओर लोक सेवा आयोग का ध्यान आकर्षित किया गया तो उन्होंने उसे इन्टरव्यू के लिये बुलाया और आयोग द्वारा समुचित रूप से उसे चुन लिया गया । जब लोक सेवा आयोग ने उसे स्वीकृत कर दिया है तो उसके विरुद्ध किसी भी आधार पर कुछ भी कहना व्यर्थ है ।

उसके अतिरिक्त समाचार पत्रों ने योजना में प्रतिवर्ष होने वाली वृद्धि के सम्बन्ध में भी प्रसंशात्मक वर्णन प्रकाशित किये हैं । दिल्ली में एकत्रित हुई निधि इस प्रकार है ।

१९४६-४७	५०,९४,००० रुपये
१९४७-४८	६९,३४,००० रुपये
१९४८-४९	१,१३,४७,००० रुपये
१९४९-५०	१,५६,३४,००० रुपये
१९५१-५२	१,५७,७३,००० रुपये

हम योजना के विषय में माननीय सदस्यों की उत्सुकता की प्रशंसा करते हैं किन्तु आधारहीन आलोचना का क्या उत्तर हो सकता है ? एक माननीय सदस्य ने वित्त मंत्रों को लिखे गए पत्र में जिन अनियमितताओं का उल्लेख किया है उन की जांच की जा रही है ।

अखिल भारतीय आधार पर भी राष्ट्रीय बचत योजना के अंतर्गत संग्रहीत विधि में वृद्धि हुई है । १९४९-५० में २६ करोड़ रु० से बढ़कर १९५०-५१ में यह ३३ करोड़ रु० तक पहुंच गई तथा ९९५१-५२ में यह निधि ३८·५ करोड़ रुपये थी । १९५२-५३ के पूरे आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं किन्तु विश्वास है कि वह ४० करोड़ के अथवा उससे ऊपर ही होंगे ।

अंत में मैं इतना ही कह सकता हूं कि इस योजना की सफलता के लिय माननीय सदस्यों का सहयोग अत्यन्त आवश्यक है ।

इसके पश्चात् सदन की बैठक गुरुवार दिनांक १६ अप्रैल १९५३ के सवा आठ बजे तक के लिए स्थगित हो गई ।